खण्ड-178, अंक-2
मंगलवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(4 सितम्बर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 178 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LIBRARY
NOV1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२४२)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कालिकासिंह, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम श्री, (बदायूं)

टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूदअली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मून्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री

राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव , श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शुगनचन्द , श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम , श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुज़राम, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आल ख़ां, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठान, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार ४, सितम्बर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि विभाग के ग्रूप तीन के कर्मचारी

****१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)**--क्या सरकार को विदित है कि कृषि विभाग के ग्रूप III के कर्मचारी १० से १५ वर्ष तक की सेवा के उपरान्त भी स्थायी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री के सभा-सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--जी हां। इसका कारण यह है कि जिन पदों पर यह लोग काम कर रहे हैं वे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हैं और अधिकतर उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ पदों पर जो हाल ही में स्थायी किये गये हैं, स्थाई रूप से नियुक्त करना अभी विचाराधीन है।

****२--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**--क्या सरकार ग्रूप III के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेगी ? इनमें से कितने ग्रूप II की पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--ग्रूप III के स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों की संख्या १४१ और ६६० है। इनमें से ११६ कर्मचारी Subordinate Agricultural Service ग्रूप २ में कार्य कर रहे हैं।

****३--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**--क्या यह सही है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट नहीं है अथवा प्रकाशित नहीं की गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस श्रेणी के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट है। इसका रिवीजन किया जा रहा है। आशा है कि शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायगी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि इतनी लम्बी अवधि तक टेम्पोरेरी रहने के कारण कर्मचारियों में अनसिक्योरिटी की भावना है जिसकी वजह से उनकी एफीशिएंसी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह)--काम तो वे अच्छा कर रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि तीन या पांच वर्ष से अधिक जिन कर्मचारियों की सर्विस है और जिनका रेकार्ड अच्छा है उनको फौरन कंफर्म कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह--ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ११६ कर्मचारी जो ग्रूप दो में काम करते हैं उन सब का स्थायीकरण हुआ है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह--१३ का नहीं हुआ है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार स्थायीकरण करते समय या नियुक्ति करते समय रिवाइज्ड ग्रेडेशन लिस्ट प्रकाशित कर देगी ?

श्री हुकुमसिंह--ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसमें काफी वक्त लगता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार को विदित है कि अगर ग्रेडेशन लिस्ट नहीं प्रकाशित हुयी तो जिन लोगों की हकतल्फी होगी उन्हें रप्रजेन्टेशन करने का कोई मौका नहीं मिलगा ?

श्री हुकुमसिंह---कोशिश कर रहे हैंकि किसी की हकतल्फी न होने पावे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रूप II के जो १३ आदमी अस्थायी हैं, उसका क्या कारण है ? वे क्यों नहीं स्थायी किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह---वे जिस योजना में काम कर रहे हैं वह योजना ही स्थायी नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों को स्थायी किया जायगा, उनकी पहले की सर्विस पेंशन इत्यादि के लिये काउन्ट की जायगी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह---जब विचार कर लेंगे तब तय करेंगे कि उनको काउन्ट करें या न करें।

बाराबंकी नगर में बिजली की दर का नियत करना

**४---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी शहर में बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनी तथा सरकार में हाईडेल की बिजली उसी कम्पनी द्वारा बांटने के सम्बन्ध में कोई समझौता हो रहा है?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी हां ।

**५---श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सरकार उक्त कम्पनी को अन्य जिलों की अन्य कम्पनियों से कहीं ऊंची दर पर बिजली वितरित करने का अधिकार देने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---कम्पनी किस दर पर बिजली देगी यह अभी तै नहीं हुआ है ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---क्या सकरार यह बताने की कृपा करेगी कि वह किस भाव पर कम्पनी को बिजली देने जा रही है और किस भाव पर वह कम्पनी बिजली बेचेगी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---इस पर इस वक्त रोशनी नहीं डाली जा सकती क्योंकि अभी जवाब में कहा गया है कि इस बात पर गौर हो रहा है इसलिये यह कहा नहीं जा सकता कि क्या शरहें आकर बैठेंगी । तो इसकी निस्वत अभी से क्या कह दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद नगरपालिका को सड़क, नाली आदि के लिये प्रदत्त अनुदान का व्यय

*१---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या यह सही है कि सरकार ने इलाहाबाद नगरपालिका का १९५६-५७ का बजट अस्वीकार कर वापस कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी नहीं । दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

*२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने इलाहाबाद नगरपालिका को सड़क, नाली, सीवर के लिये कितना रुपया १९५५-५६ के लिये दिया था और उसमें कितना रुपया व्यय किया गया और कितना रुपया खर्च नहीं किया गया ?

नोट---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४-५-श्री रामसेवक यादव ने पूछे।

श्री सैयद अली जहीर—सड़कों के लिये नगरपालिका को ३,७९,३०० रु० का अनुदान दिया गया था जिसमें से उसने ६०,५६७ रु० खर्च किया और ३,१८,७३३ रु० खर्च करना बाकी रहा। नगरपालिका की ड्रेनेज स्कीम के लिये १२,५०,००० रु० का कर्ज़ दिया गया था जिसमें से १२,०८,६३५ रु० खर्च हो गया, और ४२,३६५ रु० खर्च होना बाकी रहा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो रुपया सड़क के लिये दिया गया था और बच गया वह क्यों बच गया ?

श्री सैयद अली जहीर—वह खर्च हो रहा है, अभी सब खर्च नहीं हुआ था जब तक आपने पूछा था ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो ड्रेनेज के लिये रुपया दिया गया है उसमें से यह ६० हजार रुपया जो बचा है वह क्यों बचा है ?

श्री सैयद अली जहीर—ड्रेनेज स्कीम में ४१ लाख बचा है और १२ लाख खर्च हो चुका है। काम जारी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद नगरपालिका ने एल० एस० जी० ई० डी० के द्वारा काम कराने के विरुद्ध कोई शिकायत की है ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मैं समझता हूं ड्रेनेज स्कीम एल०एस० जी०ई०डी० के द्वारा चलाई जा रही है लेकिन सड़क का इम्प्रूवमेन्ट खुद ट्रस्ट कर रहा है ।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ड्रेनेज स्कीम की योजना कितने की है और उस पर अबतक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर—ड्रेनेज स्कीम की योजना एल०एस०जी०ई०डी० ने बनाई थी और उस में केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिली थी कर्जे के रूप में और वह काम अभी जारी है, वह खाली इलाहाबाद में ही नहीं हो रहा है बल्कि सूबे के बहुत से शहरों में चल रहा है ।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो काम एल० एस० जी० ई० डी० के द्वारा हुआ है उस के विरुद्ध इलाहाबाद नगरपालिका ने कोई पत्र लिखा है कि वह काम उनके द्वारा न करा के नगरपालिका के ही द्वारा कराया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मैं नहीं कह सकता, अगर पत्र आया होगा तो उस पर गौर हो रहा होगा और उस पर कोई फैसला हो जायगा ।

रायबरेली तथा आजमगढ़ जिला बोर्डों का राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन पर टैक्स लगाना

*३—**श्री राम सुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक ऐसे जिला बोर्डों को जिन्होंने राजनीतिक पीड़ित पेंशनों पर टैक्स लगाया है, टैक्स न लगाने का आदेश वे जारी करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार ऐसा आदेश जारी करना उचित नहीं समझती ।

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे जिला बोर्ड कितने और कौन कौन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसे जिला बोर्ड केवल दो हैं :

(१) रायबरेली,

(२) आजमगढ़ ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा आदेश न देने का क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—बात यह है कि इस किस्म के टैक्स जो होते हैं उन के लिये किसी खास ग्रूप या क्लास के लोग अलग नहीं किये जाते, होता यह है कि जिस किसी की भी उतनी आमदनी होती है उस पर टैक्स लग जाता है, ख्वाह वह आमदनी किसी जरिये से होती हो । उस में यह नहीं देखा जाता कि किस जरिये से आमदनी है इसलिये यह कहना गलत होगा कि राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन की आमदनी को मुस्तस्ना कर दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से कोई आदेश जिला बोर्डों को गया है कि राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन पर टैक्स लगायें ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, ऐसा कोई नहीं गया है ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जिला बोर्डों ने टैक्स लगाया है उनके टैक्स लगाने की क्या शरह है ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने बताया कि जिन की आमदनी एक खास मुऐयना रकम से ज्यादा होती है उन से टैक्स लिया जाता है, आमदनी का जरिया क्या है इस से कोई वास्ता टैक्स लगाने वाली बाडी को नहीं होता ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि जिन जिला बोर्डों ने राजनीतिक पीड़ितों की पेंशनों पर टैक्स लगया है उन बोर्डों ने उस टैक्स के लगाने के पहले प्रान्तीय सरकार से इसकी स्वीकृत ली थी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह कोई मसला इस तौर से थोड़े ही आया कि इस तरह के आदमियों पर टैक्स लगे या न लगे । वह तो यह हुआ कि इतनी आमदनी से ज्यादा वालों पर टैक्स लगाना चाहिये और उनके ऊपर इस तरह से टैक्स लगा ।

आजमगढ़ में जलकल से पानी मिलने में विलम्ब

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि "आजमगढ़ नगरपालिका में जल–कल" का प्रबंध हो गया है, पर विद्युत् के अभाव में पानी नागरिकों को नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत न मिलने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । और जल २६ मार्च, १९५६ से नागरिकों को मिलना शुरू भी हो गया है ।

मुजफ्फरनगर जिले में कस्बा बुढ़ाना को हिंडन नदी से क्षति का भय

*६—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में कस्बा बुढ़ाना की आबादी और आबादी के अन्दर की सड़कें हिन्डन नदी के कारण प्रति वर्ष कटती जा रही है ?

सूचना मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—हिन्डन नदी बुढ़ाना कस्बे के बिलकुल पास आगयी है और एक मंदिर को कुछ क्षति पहुंची है । बाढ़ के समय में कुछ नीची गलियों तथा सड़कों में नदी का पानी भी आ जाता है ।

*७—**श्री श्रीचन्द्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस तहसील के हेडक्वार्टर्स को नदी के कटाव से बचाने की कृपा करेगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि सम्भव हुआ, तो इस क्षेत्र को बचाने के लिये अवश्य चेष्टा की जावेगी ।

*८--श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)---यदि हां, तो किस प्रकार से और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस समय कोई योजना तैयार नहीं है। वर्षा ऋतु के उपरान्त सर्वे इत्यादि करवा कर उपयुक्त योजना पर विचार किया जायगा।

*९-११---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---[७ अक्तूबर, १९५६ क लिये स्थगित किये गये।]

टूण्डला टाउन एरिया फंड में गबन की शिकायत

*१२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन विभाग के माननीय मंत्री या उपमंत्री महोदय के पास टूण्डला टाउन एरिया फंड के गबन के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र आया है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, कई पत्र आये हैं।

*१३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सरकार ने उक्त आवेदन-पत्र के सम्बन्ध म अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर---जो भी पत्र आये उन पर शासन द्वारा यथोचित ध्यान दिया गया है, तथा आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

*१४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार उस आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---शासन द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि उसके पास जो आवेदन-पत्र आये उनमें से पहला आवेदन पत्र कब आया था और उसे कितना समय हो गया ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में सन् १९५५ में आया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यह सही है कि पहले आवेदन-पत्र को आये हुये लगभग २ साल हो गये और यह मामला सरकार के पास २ साल से विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर---दो साल तो शायद नहीं हुए। लेकिन १ साल से ज्यादा जरूर हो चुका।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यह सही है कि इस मामले म सरकार क पास आगरा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दुबे जी की कोई रिपोर्ट भी आयी है ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में कोई रिपोर्ट जरूर आयी होगी। लेकिन उसके बाद फिर उनसे जो कुछ बातें साफ नहीं थी उनके बारे में रिपोर्ट मांगी गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि इस मामले का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरा ख्याल है अब तो बहुत जल्द हो जायगा क्योंकि छोटी सी बात थी जिसके बारे में दरयाफ्त किया गया था और उसका जवाब आ जाने पर फैसला किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--कितने रुपये के गबन का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया, क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो मैं अभी नहीं बतला सकता क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स थी और कहां तक वे सही हैं और वाकई कितना गबन है यह सब तहकीकात हो रही है ।

*१५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--[२१ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गया ।]

भुजाण-गरजिया सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने के लिये प्रार्थना

*१६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास मांग आई है कि भुजाण गरजिया पैदल सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपने नियंत्रण में ले ले ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--प्रथम भाग जी हां ।

द्वितीय भाग--जिले के अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के होते हुये, भुजाण-गरजिया मार्ग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका । अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर इस सड़क के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

प्रदेशीय फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनायें

*१७--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्तीय फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सामने अब तक बाढ़ नियंत्रण की कौन-कौन सी योजनायें विचारार्थ प्रस्तुत हुयीं और उनमें कौन-कौन सी स्वीकृत हुयीं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--प्रदेशीय फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सामने अब तक जो जो योजनायें विचारार्थ प्रस्तुत हुयीं तथा उनमें से जो जो स्वीकृत हुयीं, उनकी सूची मेज पर रक्खी हुयी हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७२-१७७ पर)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इन योजनाओं के नाम पढ़ कर बताने की कृपा करेगी जो स्वीकार हो चुकी हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह ७ सफों में है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार मुख्य-मुख्य योजनाओं को बताने की कृपा करेगी

श्री अध्यक्ष--जी नहीं । मैं इसकी भी इजाजत नहीं दूंगा ।

*१८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में चंगईपुर नाले पर अमुवारीनरायनपुर के पास पुल बनाने की योजना

*१९--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र अमुवारीनरायनपुर तहसील सगड़ी के पास चंगईपुर नाले पर कोई पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

नोट (१) तारांकित प्रश्न १६-१७ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछे ।

(२) तारांकित प्रश्न १९ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछा ।

श्री राममूर्ति—चंगई नाले का प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुका है। बाढ़ के समय में आवागमन के लिये अमुवारीनरायनपुर के समीप एक पुल बनाने की योजना विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमुवारीनरायनपुर के पास जो पुल बनाने की योजना विचाराधीन है उसका अनुमानित व्यय कितना है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि अभी सर्वे हुआ है। अभी इसके एस्टीमेट्स तैयार नहीं हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसका सर्वे कब तक हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि सर्वे हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कबतक सरकार के विचाराधीन रहेगी।

श्री राममूर्ति—वर्षा ऋतु के बाद सरकार इसके बारे में एस्टीमेट्स वगैरह तैयार करायेगी।

वृन्दावन में पाइप लाइन का ठेका

*२०—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को पता है कि वृन्दावन में पाइप लाइन का ठेका कितने रुपये का दिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—वृन्दावन में पाइप लगाने का ठेका सर्वश्री रबी सिनेटरी वाटर सप्लाई कार्पोरेशन, कानपुर को ८३,९५३ रु० ८ आ० का दिया गया था।

*२१—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार को पता है कि उक्त ठेकेदार को ठेके से अधिक आठ हजार रुपये का पेमेंट दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—ठेकेदार को पहले बिल का धन २२,०९८ रु० ११ आने दिनांक, २३ मार्च, १९५६ को दिया गया था। तत्पश्चात् ज्ञात हुआ कि एकाउन्ट्स लिपिक ने १५ आने प्रति फुट (rft) की दर के स्थान पर १ रुपया १५ आने प्रति फुट (rft) की दर से आंकने के कारण ७,४२४ रु० १५ आने ठेकेदार को अधिक दे दिए। इस बात को जानने पर ठेकेदार से उपर्युक्त अधिक दिया हुआ धन लौटाने का आदेश दिया गया जो उसने २३ मई को लौटा दिया।

बांदा जिले की करवी तहसील में कुछ गांवों का कथित नीचा धरातल

*२२—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले की करवी तहसील के खोपा भदेदू आदि गांवों के निवासी जमुना तथा पयस्वनी नदियों के बाढ़ के कारण वर्षा में चारों तरफ से पानी से घिर जाते हैं और घरों में पानी पहुंच कर बहुत नुकसान करता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तहसील करवी में स्थित यमुना व पयस्वनी नदियों के किनारे के ग्रामों की सतह पानी से बहुत ऊंची है। अतः अभी तक कोई ऐसा रिकार्ड तहसील में नहीं है कि पानी घरों में घुस गया हो और बाढ़ के कारण मनुष्य, पशु अथवा सम्पत्ति की क्षति हुई हो।

*२३—श्री जगपतिसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन ग्रामों की रक्षा के हेतु भी उपाय सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नहीं उठता।

मेंहदावल कछार क्षेत्र में बनकसिया नाले पर बांध बनाने की मांग

*२४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मेहदावल कछार में बनकसिया के नाले से राप्ती का पानी इतने वेग से आता है कि बाढ़ विभाग और माल विभाग के टेस्ट वर्क से बनी हुई सड़कें वह जाती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। मेंहदावल कछार क्षेत्र में राप्ती नदी का पानी बनकसिया नाले से होकर अन्दर क्षेत्र में पहुंच जाता है। किन्तु, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क को जिलाधीश, बस्ती ने टेस्ट वर्क द्वारा मेंहदावल से करमइनी तक ऊंचा करवाया था। यह सड़क ५ जगह कटी हुई है और इन्हीं जगहों से हो कर राप्ती का पानी सड़क के उस पार गुजरता है अतः टेस्ट वर्क द्वारा ऊंची की गई सड़क के बह जाने का प्रश्न नहीं उठता। बाढ़ विभाग की कोई सड़क बनकसिया नाला द्वारा अब तक नहीं बही है।

*२५—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जब लोक निर्माण विभाग के मन्त्री जी मेहदावल में गये थे तो उन्हें उस क्षेत्र की जनता ने बहुत से आवेदन-पत्र दिये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार को न तो प्रश्न में कहे गये आवेदन पत्र प्राप्त ही हुए हैं और न उनके सम्बन्ध में कोई ज्ञान ही है।

*२६—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस नाले को अगली बरसात के पहले बंधवाने और रेगुलेटर लगवाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बनकसिया नाले पर बांध या रेगुलेटर बनवाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है, क्योंकि राप्ती नदी का पानी दूसरी नीची जगहों से हो कर इस बांध या रेगुलेटर के पीछे पहुंच जायगा और कछार क्षेत्र को डुबा देगा।

*२७-२८—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[२८ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले में अतरौली-कासगंज पक्की सड़क बनाने की स्कीम

*२९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह अलीगढ़ जिले में कुल कितने मील लम्बी मैटल्ड रोड नई तैयार करायेंगे और वे सड़कें कौन-कौन हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला अलीगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अतरौली-कासगंज लगभग १८ मील लम्बी नई पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव है।

*३०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति ने जिन-जिन सड़कों की प्राथमिकता तथा उसके क्रम निश्चित किये थे वह सरकार ने मान लिये हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—स्थानीय जनता के सुझावों पर टेक्निकल दृष्टिकोण से छानबीन की गई थी और अन्तिम रूप से वही सड़कें चुनी गई हैं जो नियोजन के सर्वमान्य सिद्धान्तों पर पूरी उतरती हैं और जिनसे जिले की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जिल क सभी विधायकों की उस प्रार्थना पर पुनर्विचार करेंगे जो कि उन्होंने सरकार द्वारा जिला बोर्ड की नौ मील चार फर्लांग सड़कों के लिए जाने के सम्बन्ध में की है कि इन अच्छी सड़कों के बदले में सरकार नई सड़क बना दे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी तो इसका प्रश्न नहीं उठता, श्रीमन् ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---सरकार ने जलेसर-हाथरस तथा गोंडा-हाथरस की महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने की स्वीकृति क्यों प्रदान नहीं की । जब कि श्रमदान में कई हजार रुपया इस पर व्यय हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---केवल श्रमदान से कुछ सड़क बनी इस लिए वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ले ली जाय यह केवलमात्र क्राइटीरियन नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त और जो दृष्टिकोण और माप दंड इसके सम्बन्ध में रखे जाते हैं उनके द्वारा सड़कों को स्वीकृत किया जाता है, अथवा लिया जाता है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या यह सच है कि जिला नियोजन समिति की बैठक के समय भेजे गए विभागीय सहायक सचिव ने जो सिद्धान्त प्राथमिकता के निश्चित किये थे उन्हीं सिद्धान्तों पर यह प्राथमिकता निश्चित की गई ? यदि हां, तो यह सड़क क्यों नहीं ली गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिला नियोजन समिति से कुछ सिफारिश अवश्य हुई थी लेकिन वह नियोजन के दृष्टिकोण से अन्तिम सिद्धान्त है ऐसा विभाग ने स्वीकार नहीं किया बल्कि विभाग ने स्वयं अपने सिद्धान्त निश्चित किये और उन्हीं के अनुसार सड़कों को लिया ।

माताटीला बांध पर श्री जियाउल्ला इंजीनियर की मृत्यु

*३१---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि ६ जुलाई, ५६ को श्री जियाउल्ला नामक इंजीनियर को जो माता टीला बांध पर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, मत्यु किस प्रकार हुई ?

श्री राममूर्ति---श्री जियाउल्ला की मृत्यु माता टीला बांध पर ६ जुलाई, १९५६ को नदी में डूब जाने से हुई । श्री जियाउल्ला, १२ मेकेनिक और फौरमैन मिल कर माता टीला बांध के स्लूस को, जो १६ और १७ नम्बर पियर में लगा हुआ है, खोलने के लिये गये । स्लूस खोलने के बाद सारी पार्टी को किनारे पर जाने के लिये डैम के ऊपर से आना था । १२ आदमी बांध के ऊपर से किनारे पर आ गये । श्री जियाउल्ला और एक मिस्त्री श्री चांदअली, बजाय बांध के ऊपर जाने के, पियर नम्बर २० से बांध से नीचे सीढ़ियों से उतर कर पानी में हो कर किनारे आना चाहते थे । पानी चौड़ाई में ५० फीट था । पियर नम्बर २० की दूरी पियर नम्बर १७ से लगभग २०० फीट है । पानी देखने में शांत था परन्तु स्लूस के गिरने की वजह से गहराई ज्यादा न होते हुये भी, पानी के अन्दर भंवर पड़ रही थी । श्री जिया उल्ला इस भंवर में फंस गये और डूब गये । श्री चांदअली ने उनको बचाने की काशिश की परन्तु सफलता न मिल सकी ।

*३२---**श्री गज्जूराम**---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस उक्त इंजीनियर की मृत्यु हुई वह नव-युवक था और क्या सरकार बतायेगी कि उसके कुटुम्ब को वह क्या सहायता देने जा रही है ?

श्री राममूर्ति---जी हां । जिया उल्ला एक नवयुवक थे और इस विभाग में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । उनके पिता ने कुछ क्षतिपूर्ति की इच्छा प्रकट की थी जिस पर उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दें जिस पर नियमों के अनसार सहानुभूति के साथ विचार किया जायगा ।

श्री गज्जूराम––क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि स्लूस प्रथम बार खोला गया था? यदि हां, तो किसी अनुभवी को क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री राममूर्ति––स्लूस खुलवाने का काम कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। वह तो जैसा मैंने अभी बतलाया स्लूस खोलने के बाद डैम के ऊपर हो कर सब लोग गये थे। यह मालूम पड़ता है कि नवजवान आदमी होने के कारण चढ़ने उतरने की दिक्कत से दरिया में घुस गए और उसी की वजह से इन बेचारों को यह तकलीफ उठानी पड़ी।

*३३–३५––**श्री बलवन्तसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)––[६ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ९–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आगरा जिले में दिये गये सरकारी रेडियो

*३६––**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)––क्या सूचना मंत्री को विदित है कि आगरा जिले में अधिकांश जो रेडियो दिये गये हैं वह प्राइवेट जगहों में इस्तेमाल होते हैं और उनके ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

सूचना मंत्री के सभा-सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)––जी नहीं।

श्री देवकीनन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा जिले में कितने रेडियो लगे हैं और उनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव––पूरे आज तक ४७९ लगे हैं और मरम्मत के लिये पहले जब कम थे तो वहां पर मेरठ जो सर्विसिंग स्टेशन था वहां पर भेजे जाते थे। अब ज्यादा हो गये और इंस्पेक्टर भी ज्यादा हो गये––पहले दो थे, अब चार हो गये और आगे चल कर सर्विसिंग स्टेशन खुलने वाला है। शायद रेडियो इंजीनियर भी वहां पर भेजे जायंगे। जगह का सवाल था, जिला मैजिस्ट्रेट को लिख दिया गया। जैसे ही स्थान मिलेगा काम शुरू कर दिया जायगा। ३१ अगस्त, १९५६ को सारा सामान भेज दिया गया।

श्री देवकीनन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह सर्विस स्टेशन कब से काम करने लगेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––मैं अभी आगरा गया था। स्थान वहां नहीं मिल रहा है। वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी कह आया हूं कि बहुत जल्दी स्थान की व्यवस्था कर दें। जैसे ही व्यवस्था हो जायगी, काम शुरू हो जायगा। मैं समझता हूं एक आध महीने के अन्दर काम शुरू हो जायगा।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सूचना प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा अभी कहा गया कि "जी नहीं" यह इन्क्वायरी किसके द्वारा करायी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––कलेक्टर से यह इन्क्वायरियां करायी जाती हैं।

आगरा के सूचना विभाग की मोटर

*३७––**श्री देवकीनन्दन विभव**––क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सूचना विभाग की मोटर कब से खराब पड़ी है और उसकी मरम्मत क्यों नहीं करायी गई और प्रोजेक्शन मशीन कितने दिन खराब रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—आगरा जिले के सूचना विभाग की मोटर केवल १ जून, १९५६ से ११ जून, १९५६ तक खराब होने के कारण अप्रयोगनीय दशा में थी। इस बीच में गाड़ी की मरम्मत हो गयी किन्तु गाड़ी में ओवर हालिंग की भी आवश्यकता है। चूंकि पुरानी गाड़ी के स्थान पर नई गाड़ी देना अभी तक संभव नहीं हो सका उसकी ओवर-हालिंग नहीं हो सकी।

प्रोजेक्शन मशीन लगभग ६ महीने मरम्मत में थी।

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जमीनों का मुआविजा

*३८—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वायत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अपनी योजनाओं के लिये कब-कब जमीन प्राप्त की गई और उसका मुआविजा कब-कब बांटा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अपनी ११ विभिन्न योजनाओं के लिये जिन-जिन तिथियों पर भूमि प्राप्त की गई तथा मुआविजा बांटा गया उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७८ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि कई जो अक्वीजीशंस हुये हैं उनके अवार्ड अभी तक तीन-तीन, चार-चार महीने हो जाने पर भी क्यों नहीं दिये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अगर कोई खास अवार्ड के मुताल्लिक़ दरियाफ्त करें तो उसकी सूचना हासिल कर के माननीय सदस्य के पास भेज सकता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव—यह भूमि जो ४ साल हुए आपने उनके मालिकों से ले ली थी, लेकिन अभी तक उनको मुआविजा नहीं दिया गया, तो शीघ्र मुआविजा दिलाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, हमारी कोशिश तो बराबर यह है कि मामलात जल्द से जल्द खत्म हों और मुआविजा जल्द से जल्द दे दिया जाय।

कूप ३९, ग्रूप बदायूं से कम पानी निकलने की शिकायत

*३९—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या जिला बदायूं में सरकार बिजली के उन कुओं में जिनमें पानी कम है पानी बढ़ाने के लिये दूसरा बोरिंग करा रही है ? यदि हां, तो कूप ३९, ग्रूप बदायूं जिसका रकबा १०६२ एकड़ है और जिसने आज तक अपने रकबे के २/३ भाग को सिंचाई नहीं की है उसका दुबारा बोरिंग करायेगी या दूसरा कुआं बनायेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

कूप संख्या ३९, बदायूं ग्रूप का डिस्चार्ज १७,००० गैलन प्रति घंटा है, अतः इस कूप के पुनः बोरिंग के कार्य को इस वर्ष हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कुयें नंबर ३९ ने पहली अक्तूबर, १९५५ से जून, १९५६ तक कितने एकड़ सिंचाई की है ?

श्री राममूर्ति—इसकी मेरे पास इत्तिला नहीं है, महज आपने बोरिंग के बारे में पूछा था, वह अर्ज कर दिया।

विभिन्न नगरपालिकाओं से जवाबतलबी

*४०—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने बुलन्दशहर म्युनिसिपल बोर्ड से कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जवाब तलब करते हुये उससे यह दर्याफ्त किया है कि वह क्यों न मुअत्तिल कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*४१—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बोर्ड के अलावा उसने इस वर्ष (१९५६) में और किन-किन म्युनिसिपल बोर्डों से इसी प्रकार जवाब तलब किये हैं और उक्त बोर्डों के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—१९५६ में बुलन्दशहर के अलावा रामपुर, झांसी, कोंच, भदोही, गोला गोकरननाथ तथा बस्ती म्युनिसिपल बोर्डों से से जवाब तलब किये गये हैं। उक्त बोर्डों में से रामपुर तथा कोंच के विरुद्ध जो आरोप थे, वे क्रमशः शासकीय असाधारण गजट, दिनांक १ मई, तथा २५ जुलाई में प्रकाशित हो चुके हैं। शेष बोर्डों के विरुद्ध आरोपों को बताना सरकार जनहित की दृष्टि से उचित नहीं समझती।

गाजीपुर का मामला विचाराधीन है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये देवरिया, गाजीपुर और झांसी म्युनसिपल बोर्डों को खास तौर से चेतावनी दी गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—१९५२-५३ में किन-किन बोर्डों को चेतावनी दी गई थी, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बोर्डों ने सरकारी चेतावनी पर कहां तक अमल किया। यदि नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने अपने जवाब में बतला दिया कि अभी जिनसे जवाब तलब किया गया है उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है और जिनके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है उनके नाम भी बतला दिये। इससे ज्यादा क्या कार्यवाही हुई है, इससे मालूम होता है, सवाल उठता नहीं है।

पंचायतराज इंस्पेक्टरों का स्थायीकरण

*४२—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत राज विभाग के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या मार्च, १९५६ में कितनी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—पंचायत राज विभाग में मार्च, १९५६ में ५६५ स्थायी तथा ९,३७१ अस्थाई कर्मचारी थे।

*४३—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज इंस्पेक्टरों की कुल संख्या क्या है और उनमें से कितने इंस्पेक्टर मार्च, १९५६ तक स्थायी हो चुके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—पंचायत राज इन्सपेक्टरों की कुल संख्या ४४४ है। इनमें से १८० पंचायत इन्सपेक्टर मार्च, १९५६ तक स्थायी घोषित किये जा चुके हैं।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बाक़ी २६४ पंचायत राज इंस्पेक्टर्स हैं, उनके स्थायी करने के आदेश जारी हो चुके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—नहीं अभी तो जारी नहीं हो चुके हैं। यह तो हर साल थोड़े थोड़े कर के परमानेंट किये जायेंगे।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि वर्तमान बजट में जितने पंचायत राज इंस्पेक्टर हैं उन सभी को स्थायी करने का प्राविजन रखा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे ख्याल नहीं है। बहरहाल माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो हम फिर से देख लेंगे।

नई सड़कों के निर्माण से पूर्व परामर्श लेना

*४४—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार मोटर मार्गों का निर्माण करने में नई सड़कों को लेने का निश्चय करते समय सम्बन्धित सड़क में जनता द्वारा किये गये श्रमदान, जिला नियोजन समिति की तथा विधान सभा के सदस्यों की राय और जिलों के आर्थिक विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ध्यान भी रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, नई सड़कों को लेने का निश्चय करते समय, जहां तक सम्भव होता है, सरकार इन बातों का ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त टैक्निकल (technical) दृष्टिकोण से भी प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करनी पड़ती है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो सड़कों के लिये प्राथमिकता डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी निर्धारित करती है उसी के अनुसार सरकार सड़कों को लेती है या अन्य बातों का ध्यान रख कर सड़कों को लेती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, केवल यही दृष्टिकोण नहीं होता है। हांलांकि यह प्रयास किया जाता है कि यदि सम्भव हो सके तो जो प्राथमिकता नियोजन समितियां दें यदि वे टेक्निकल दृष्टिकोण से ठीक हों तो उनको स्वीकार किया जाय।

श्री गोवर्धन तिवारी—जिन सड़कों पर जिला नियोजन समिति के निश्चय के अनुसार काफी श्रमदान हुआ हो क्या उन सड़कों को पहला स्थान देने का सरकार अपने निश्चय में ध्यान रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैंने अभी इसका उत्तर माननीय नन्दकुमार-देव जी वाशिष्ठ को दिया था कि केवल वही मापदंड नहीं है। उसके अतिरिक्त और बातें भी हैं जिनको ध्यान में रख कर काम हाथ में लिया जाता है।

*४५-४७—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—[२८ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हरदोई जिले में ग्राम सभा के प्रधानों के चुनाव

*४८—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में ग्राम सभा के प्रधानों के चुनाव सभी समाप्त हो गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—हरदोई जिले में प्रधानों के चुनाव सभी गांव सभाओं में समाप्त हो चुके हैं। केवल गांव सभा करावां का चुनाव अभी नहीं हुआ है। इस गांव सभा के रजिस्टर भाग १ व २ का पुनः संशोधन किया जा रहा है और इस कार्यवाही के समाप्त होने पर इस गांव सभा का चुनाव शीघ्र सम्पन्न हो जायगा।

*४९—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि अक्तूबर, १९५५ में ग्राम सभा के प्रधानों के जो चुनाव हुये थे उनमें से लगभग १०० ग्राम सभा के चुनावफल सुनाने से रोक दिये गये और लगभग ६ महीने अन्डर कन्सीडरेशन रहे ? यह किस नियम के अन्तर्गत किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला हरदोई में पंचायत के सामान्य चुनाव दिसम्बर, १९५५ के अतिन्म सप्ताह में हुए थे और जनवरी, १९५६ के प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह में उनके निर्वाचन फल सुनाये गये थे । फल घोषित करने के अवसर पर ६५ गांव सभाओं की मतदान विवरणियों में संदिग्धता प्रतीत हुई और तदनुसार उनका चुनाव फल सम्बद्ध रिटर्निग अफसरों द्वारा रोक दिया गया । जांच के पश्चात् ४७ गांव सभाओं के निर्वाचनफल वैसे ही घोषित कर दिये गये और १८ गांव सभाओं के सम्बन्ध में मतदान विवरणी संदिग्ध पायी जाने के कारण दोबारा मतदान कराया गया । ये सब चुनावफल मास मई में घोषित हो चुके हैं । यह कार्यवाही नियम १९ च (१) के अधीन की गई थी ।

हरदोई जिले में नियुक्त किये जाने वाले आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*५०—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में वह शीघ्र, कुछ आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने जा रही है ? अगर हां, तो क्या उन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की दोबारा नियुक्ति पर भी विचार कर रही है, जिन्होंने पिछले वर्ष कार्य संतोषजनक न होने पर त्याग-पत्र दे दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । हरदोई जिले में कुछ आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के प्रश्न पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्शन कमेटी ने हाल ही में विचार किया था । जिन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों ने पिछले वर्ष त्याग-पत्र दिया था उनका काम खराब नहीं था और उनकी दोबारा नियुक्ति पर कमेटी विचार कर सकती है लेकिन इनमें से किसी की नियुक्ति के लिए कमेटी की कोई सिफारिश सरकार के पास अभी तक नहीं आयी है ।

गोंडा जिले की तुलसीपुर टाउन एरिया का चुनाव

*५१—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या स्वशासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले की नवनिर्मित टाउन एरिया तुलसीपुर का चुनाव कब होन जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—तुलसीपुर टाउन एरिया के निर्वाचन हेतु तैयारी आरम्भ कर दी गयी है । टाउन एरिया के कक्षों की निर्वाचन सूचियां विधान सभा की निर्वाचन सूचियों के आधार पर तैयार होनी है और विधान सभा की सूचियों का आज कल पुनर्वीक्षण हो रहा है । इस कारण निर्वाचन कराने में अभी थोड़ा समय और लग जायगा । आशा की जाती है कि नवम्बर दिसम्बर में निर्वाचन हो जायेंगे ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया के निर्माण के लिये गजट में प्रकाशन कब किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या यह सही है कि पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि मई महीने तक चुनाव करा दिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—हमारी कोशिश तो यही थी और जैसा मैंने बताया यह ख्याल था कि उस वक्त तक वहां के एलेक्शन की लिस्ट तैयार हो जायगी । लेकिन चूंकि विधान सभा की कुल लिस्ट फिर से बन रही है इस वजह से देर हो गयी और वह पूरी नहीं हो पायी ।

*५२-५३--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--[२८ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५४-५६--श्री रामसुभग वर्मा--[१४ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५७-५८--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[१४ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।)

*५९--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[१४ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।)

अल्मोड़ा नगरपालिका में सहायक ऐडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता

*६०--श्री हरगोविंद पन्त (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासनमन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा नगरपालिका का प्रबन्ध (Administration) किस सरकारी अधिकारी के हाथों में है ? क्या उक्त अधिकारी केवल नगरपालिका का ही प्रबन्ध करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जिलाधीश, अल्मोड़ा, नगरपालिका, अल्मोड़ा के प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। उनको नगर पालिका की देख-रेख के लिये एक और अधिकारी देने का विचार सरकार के विचाराधीन है ।

*६१--श्री हरगोविंद पन्त (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी शासक (Administrator) के नियुक्त हो जाने के अनन्तर अल्मोड़ा नगर-पालिका में क्या सुधार हो सके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--नगरपालिका अल्मोड़ा को अवक्रान्त हुए भी थोड़ा ही समय हुआ है, अतः सुधारों के विषय में इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार अल्मोड़ा नगरपालिका में कोई होल टाइम वर्क करने वाला अफसर इस काम के लिये नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे ख्याल में सरकार का ऐसा ख्याल नहीं है कि कोई अफसर वहां पर नियुक्त किया जाय ।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि म्युनिसिपल बोर्ड के काम को देखते हुये एक अलग से आदमी उनको दिया जाय ?

श्री सैयदअली जहीर--जी हां, इस किस्म का पत्र मिला है लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि क्या किया जाय ।

*६२-६३--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[७ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा नगर पर मदनपुर के पुल की लागत

*६४--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आगरा कैनाल पर, ग्राम मदनपुर पर पुल कब से बन रहा है और कब तक बन कर तैयार होगा और उस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

नोट--१--तारांकित प्रश्न ६०-६१ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे ।

२--तारांकित प्रश्न ६४ श्री तेजा सिंह ने पूछा ।

श्री राममूर्ति---आगरा नहर पर स्थित ग्राम मदनपुर के पुल के पुनर्निर्माण का कार्य सितम्बर, १९५५ में आरम्भ किया गया था और पुल १० मई १९५६ से यातायात के लिये खोल दिया गया है। इस कार्य पर ४६,००० रुपये व्यय हुये हैं।

हिंडन कट गाजियाबाद और खला पर पुलों के पुनर्निर्माण पर व्यय

*६५--**श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्डन कट गाजियाबाद और खला पर जो पुल फिर से बनाये जा रहे हैं वे कब तक बन जावेंगे और इन पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति---हिन्डन कट के दो पुलों का, जो कि एक मील ४ फर्लांग और ६ मील १ फर्लांग पर स्थित हैं, पुनर्निर्माण का कार्य सितम्बर, १९५५ में आरम्भ किया गया था। और वे यातायात के लिये अप्रैल, १९५६ के प्रथम सप्ताह में, खोल दिये गये हैं। इन दोनों पुलों के पुनर्निर्माण पर ५६,००० रुपये व ५७,००० रुपये क्रमशः व्यय हुये हैं।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पुलों को नये सिरे से क्यों बनाया गया, क्या और जो इस नहर के पुल हैं उनको भी नये सिरे से बनाया जायगा ?

श्री राममूर्ति---चूंकि नहर की चौड़ाई अधिक की गई और पुल पुराने हो गये थे इस लिये उसको नये सिरे से बनाया गया। जहां-जहां आगे कहीं जरूरत होगी तो उनका भी निर्माण किया जायगा और जिनको ठीक समझा जायगा उनको नहीं बनाया जायगा।

आजमगढ़ जिले के पंचायत चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड के अध्यापकों को भत्ता न मिलना

*६६---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि पिछले पंचायत चुनाव में आजमगढ़ जिला बोर्ड के कितने अध्यापकों से काम लिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर---जिला बोर्ड आजमगढ़ की सूचना के अनुसार पिछले पंचायत चुनाव में २,२५५ अध्यापकों से काम लिया गया।

*६७---**श्री उमाशंकर**---क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त अध्यापकों को प्रति-दिन किस हिसाब से डेली एलाउन्स दिया गया ?

श्री सैयदअली जहीर---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनुअल के सफा १८८ पर उल्लिखित सम्बद्ध नियमानुसार डेली एलाउन्स दिये जाने के लिए आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

*६८---**श्री उमाशंकर**---क्या सरकार यह बतायेगी कि पंचायत के चुनाव में कार्य करने वाले अध्यापकों को टी० ए०, डी० ए० चुका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---पंचायत चुनाव आरम्भ होने के पूर्व, गत सितम्बर में सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया गया था कि वे पंचायतकार्य पर लगाये गये अपने कर्मचारियों को दैनिक भत्ता आदि लागू दर पर अपने बजट से दे दें तथा तदुपरान्त जिलाधीश से परामर्श करके उक्त धन की प्राप्ति की व्यवस्था करें। किन्तु जिला बोर्ड आजमगढ़ ने कतिपय अन्य जिला बोर्डों की भांति ऐसा नहीं किया। १० जुलाई, १९५६ को सरकार ने प्रान्त के जिलाधीशों को पुनः आदेश दिया है कि वे जिला बोर्ड को आदेश दें कि वे पंचायत निर्वाचन में काम करने वाले अपने अध्यापकों का दैनिक भत्ता चुका दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आदेश जिला बोर्ड आजमगढ़ को दिया गया था उसका पालन उसने क्यों नहीं किया ?

नोट :---तारांकित प्रश्न ६५ श्री तेजा सिंह ने पूछा।

श्री सैयद अली जहीर---इसकी कोई खास वजह तो नहीं मालूम है। यही समझ में आता है कि उन्होंने अपने पास से रुपया खर्च करना उस वक्त नहीं चाहा होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० जुलाई, १९५६ को जो आदेश जिलाधीशों को भेजे गये हैं क्या उसकी पाबन्दी जिला बोर्ड आजमगढ़ ने की है?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी इत्तिला अभी हमारे पास नहीं आयी है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी जिला बोर्ड ने इस आज्ञा का पालन भी किया है?

श्री सैयद अली जहीर---मालूम होता है कि बहुत से जिला बोर्डों ने किया है।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे यह बतलाने की कि यह रुपया अध्यापकों को जिला बोर्ड देगा या सरकार देगी?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा जवाब में कहा गया है कि पहले यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देंगे उसके बाद सरकार उनको रिइम्बर्स कर देगी।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो आदेश भत्ता देने के लिये दिया गया था यह चुनाव के पहले दिया गया था या बाद में?

श्री सैयद अली जहीर---शायद चुनाव के बाद दिया गया है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जबकि उनके द्वारा ऐसे आदेश दिये जा चुके थे कि डिट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक चुनाव की सहूलियत के लिये उसका प्रबन्ध करें तो किन कारणों से यह भत्ता देने के लिये आदेश पहले नहीं दिया गया था?

श्री सैयद अली जहीर---इस वजह से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनुअल के सफा १८८ में पहल से लिखा हुआ था कि उनको डेलीएलाउन्स मिलना चाहिये। यह खयाल था कि वह इसके मातहत दे देंगे।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के तमाम जिला बोर्डों ने अपने अध्यापकों के सम्बन्ध में उनके टी० ए० और डी० ए० का बिल बना कर प्रांतीय सरकार के पास भेज दिया है?

श्री सैयद अली जहीर---खयाल है कि उन्होंने दे दिया होगा लेकिन उसकी डेफिनिट इत्तला नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह डी० ए० बिल का पेमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंड से होगा या किसी दूसरे फंड से?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड की भांति कौन-कौन जिला बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया है?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

*६९---श्री इस्तफा हुसैन---[७ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में गांव सभाओं के चुनाव पिटीशन्स सम्बन्धी मुकदमे

*७०---श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की तहसील खुर्जा, बुलन्दशहर, अनूपशहर सिकन्दराबाद में कितनी-कितनी गांव सभाओं के चुनाव पिटीशन के मुकदमें अभी तक चालू हैं?

नोट---तारांकित प्रश्न ७० श्री मोहनसिंह ने पूंछा।

श्री सैयदअली जहीर—जिला बुलन्दशहर की जिन-जिन गांव सभाओं की चुनाव पिटीशन्स अब तक चालू हैं उनकी तहसीलवार संख्या इस तरह है—

खुर्जा	..	..	..	७
बुलन्दशहर	..	..	..	१८
अनूपशहर	..	..	..	२८
सिकन्दराबाद	..	..	..	३

श्री मोहनसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतनी बड़ी तादाद में मुकदमों के फैसल न होने का क्या कारण हैं ?

श्री सैयदअली जहीर—वहां पर पिटीशन बहुत ज्यादा थीं बहुतों का फैसला हो गया है लेकिन इनका अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री मोहनसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पिटीशन जल्दी तय न होने के कारण गांव सभाओं के कामों में हानि होती है ?

श्री सैयद अली जहीर—कोशिश यह हो रही है कि जल्द से जल्द इनका फैसला हो जाय ।

सीतापुर जिले में बासुड़ा ग्राम सभा का भवन न बन सकना

*७१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बासुड़ा ग्राम सभा, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के पंचायत भवन का निर्माण हो गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं ।

*७२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि नहीं, तो क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण हेतु ईंटें, सीमेंट, लोहा, इत्यादि कब खरीदा गया था और भवन बन जाने की उम्मीद कब तक है ?

श्री सैयद अली जहीर—पंचायत भवन के निर्माण के लिये कोई सामग्री नहीं खरीदी गई ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई सामग्री, सन् १९५५ में पंचायतों के किसी कार्य को सम्पन्न करने के हेतु खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो वह क्या सामग्री थी और कहां है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि यह सामग्री आठ हजार ईंटें थीं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं । इसकी इत्तिला नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

सासनी स्टेशन से विजयगढ़ तक पक्की सड़क की आवश्यकता

१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार सासनी स्टेशन से विजयगढ़ तक पक्की सड़क बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगी ?

निर्माण मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले में जंगल अधिकारियों द्वारा टोंगिया काश्तकारों को उनके घरों से निकाले जाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसेवक यादव ने भेजा है। वह इस प्रकार है--

"जिला गोरखपुर के रामगढ़ (कुसुम्भी) रेन्ज के जंगल में काम करने वाले ३५ टोंगिया काश्तकारों को वहां के सम्बन्धित अधिकारियों ने अवैधानिक एवं निर्दयता-पूर्ण ढंग से उनको उनके घरों से निकाल दिया है। काश्तकारों ने एवं गोरखपुर जिला सोशलिस्ट पार्टी ने सम्बन्धित अधिकारियों एवं सरकार से उनकी न्यायोचित मांगों को मनवाने का भरसक प्रयत्न किया, परन्तु अधिकारियों ने उस पर तानाशाही रवैया अख्तियार कर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप उन काश्तकारों तथा जनता में रोष तथा क्षोभ की भावना फैल गई है और काश्तकारों ने सरकार के इस अनुचित कदम के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने का फैसला किया है। अतः इससे उत्पन्न परिस्थिति पर वादविवाद करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह प्रश्न कि सरकार से इसका क्या संबंध है, इसमें स्पष्ट नहीं होता है। मेरे पास कोई भी इस प्रस्ताव के साथ यह सूचना नहीं दी गई कि सरकार से इसका क्या संबंध है, क्या लिखा गया है, क्या हुआ। स्थानीय प्रश्न होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह उपस्थित किया जाय।

भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से सदन के कार्यक्रम के बारे में दो बातें जानना चाहता हूं। कल उन्होंने घोषणा की थी कि ७ तारीख तक अमुक अमुक कार्यक्रम लिया जायगा। उसमें एक तो नगर निगम विधेयक नहीं था। यदि जो कार्य उन्होंने बताया वह पहले खत्म हो जाय तो वह ७ तारीख को इस विधेयक को लेंगे या नहीं? दूसरी बात यह है कि अगर ६ तक बाकी कार्य समाप्त हो जाय तो क्या वह ७ तारीख को असरकारी दिवस देने की कृपा करेंगे जिससे विधान सचिवालय विधेयक जो पड़ा हुआ है उस पर विचार हो जाय?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैंने ७ तारीख तक के लिये जो काम बतलाया था उसमें कार्पोरेशन बिल का नाम नहीं था। कल जो एजेन्डा सदन के सामने आया था उसमें यह छपा था। यदि ७ तारीख तक और सब काम खत्म हो जांय और हम देखें कि इसके लिये समय है तो हम कार्पोरेशन बिल को भी ले लेंगे। दूसरी बात का मैं कल जवाब दूंगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७९ पर)

*उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया था और उसके ऊपर मुझे निर्णय देना था। इस विधेयक में एक केन्द्रीय अधिनियम को स्वीकार किया गया है और संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है, तो क्या इसका इस तरह से स्वीकार करना वैधानिक दृष्टि से उचित है या नहीं, यह प्रश्न था। मैंने कल इस बारे में निश्चय दे दिया था कि जहां तक केन्द्रीय अधिनियम स्वीकार करने का सम्बन्ध है, वह स्वीकार किया जा सकता है और वह इस प्रदेश का अधिनियम बन सकता है और संशोधन के साथ भी वह स्वीकार किया जा सकता है यानी थोड़े बहुत संशोधन भी उसमें लाये जा सकते हैं। यह तो बात ठीक है।

लेकिन इस विषय के ऊपर कल मैंने अपना निर्णय नहीं दिया था कि क्या हिन्दी में यह विधेयक आना चाहिये था जैसा कि हमारे यहां के एक अधिनियम में दिया हुआ है कि हर एक यहां का अधिनियम हिन्दी में ही होना चाहिये। तो चूंकि उसमें जो अनुसूची दी हुयी है उस अनुसूची के द्वारा केन्द्रीय अधिनियम को अंग्रेजी में ही स्वीकार करने का इसमें प्रस्ताव है तो क्या उस अनुसूचीको हिन्दी में लाना आवश्यक था या अंग्रेजी में ही उसको स्वीकार किया जा सकता है, इस विषय में मेरा निर्णय वे चाहते थे। मैंने अपनी शंका इस विषय में जाहिर की थी। हमारे यहां अधिनियम में यह दिया हुआ है कि हर एक विधेयक और अधिनियम दोनों हिंदी भाषा में ही उपस्थित होंगे और पारित होंगे। लेकिन उनके अतिरिक्त हमारे यहां बहुत से अधिनियम पुराने मौजूद हैं। उन अधिनियमों के बारे में यह प्रथा यहां पर चालू है जो हमनें स्वीकार की थी कि यदि वे अंग्रेजी में हों और उनके संशोधन अगर इस सदन में उपस्थित किये जायेंगे तो संशोधनों में वही भाषा कायम रहेगी जो पुराने अधिनियम की रही है। इस तरह से यद्यपि हिन्दी भाषा में विधेयक आते रहे लेकिन किसी खंड के संशोधन का जो भाग था वह हम अंग्रेजी में ही स्वीकार करते थे जिससे पुराने अधिनियमों में कोई खंड न पड़े, जिससे एक ही अधिनियम में हिन्दी और अंग्रेजी दो भाषायें न चलें, एक ही भाषा रहे। यह प्रथा हमने कायम की लेकिन नये जो विधेयक इस सदन में उपस्थित होते रहे हैं उनके लिये सदैव यह निश्चय रहा कि वह हिन्दी में ही उपस्थित होने चाहिये और उन्हें हिन्दी में ही हम स्वीकार करेंगे।

अब इस सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि यह विधेयक नया है अथवा पुराना। जहां तक प्रश्न नये होने के बारे में है, इस प्रदेश में इस प्रकार का कोई अधिनियम पहले मौजूद नहीं था, केन्द्रीय अधिनियम मौजूद था, जो कि यहां पर चालू था। पहले जो ऐतिहासिक तथा पुरातत्वीय स्थानों के बार में कई अधिनियम थे वे केन्द्रीय ही थे तथा उनके संरक्षण करने का जो कार्य था, वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा हुआ करता था। १९०४ का एक अधिनियम मौजूद था। उसके बाद जब संविधान पारित हुआ तो कुछ स्मारकों और पुरातत्वीय स्थानों का कार्य केन्द्रीय सरकार ने उस संविधान के अनुसार अपने हाथ में लिया और कुछ ऐसे रहे जो कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार में भी थे और प्रदेशीय सरकार के अधिकार में भी और कुछ ऐसे थे जो प्रदेशीय सरकार के ही अधिकार में आ सकते थे। इस सम्बन्ध में पहले जो अडेप्टेशन आर्डर्स हुये उनमें कुछ नुक्स रह गया। १९५१ में एक अधिनियम केन्द्रीय सरकार का बना, उसके बाद जो ऐसे स्थान थे राष्ट्रीय महत्व के—उनकी जिम्मेदारी केन्द्र ने अपने ऊपर ले ली। बाकी जो स्थान थे, अधिनियम में राष्ट्रीय कर के सुरक्षित नहीं रक्खे गये थे उन्हें भी और जो प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी के थे, उन दोनों प्रकार के स्थानों को केन्द्र ने अपने अधिनियम की परिधि से निकाल दिया। इस कारण सन् ५१ से लेकर अब तक पुराने अधिनियम के कार्य में खंड सा पड़ गया

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक ३१ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अध्यक्ष]

है। यह विधेयक जो सामने आया है यद्यपि नया है और इसमें यदि यह बात होती कि यह भविष्यकाल के लिये ही लागू होता और उसके अमल करने का कार्य केवल भविष्य में ही इस सरकार को करना होता तो मेरा स्पष्ट यह मत होता कि चूंकि यह नया विधेयक आया है इसलिये यह हिन्दी में ही होना चाहिये और जो अनुसूची है इसका भी अनुवाद हिन्दी में ही होना चाहिये लेकिन इसका जो खंड ४ दिया हुआ है इसमें यह दिया हुआ है—

"४—ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, १९०४ के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई कार्य, जिसके अन्तर्गत की गयी या की हुयी समझी गयी या जारी की गयी या जारी हुयी समझी गयी कोई घोषणा नियुक्ति, विज्ञप्ति, आज्ञा, अनुदेश, आदेश, योजना, नियम, विनियम आकार–पत्र या प्रमाणपत्र,जहां तक वह इस अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उक्त अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस प्रकार पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उक्त अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किये गये या प्रचारित किये गये समझे जायेंगे, जबतक कि अन्यथा आदेश न हों अथवा वे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी बात अथवा किये गये किसी कार्य से अधिक्रांत न हों।"

खंड तीन इसमें इस प्रकार दिया हुआ है—

"३—ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, १९०४ के उपबन्ध, जैसे कि वे अनुसूची १ में उन परिष्कारों सहित निर्दिष्ट हैं जो अनुसूची २ में उल्लिखित हैं, एतद्द्वारा पुनः अधिनियमित (Re-enacted) किये जाते हैं वे उत्तर प्रदेश के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर लागू होंगे और हमेशा से लागू हुये समझे जायेंगे।"

यानी सन् ५१ से लेकर आज तक पुराने १९०४ के अधिनियम के कार्य में जो खंड पड़ गया है यानी इस बीच कोई भी अधिनियम कुछ स्थानों के बारे में लागू इस प्रदेश में नहीं रहा है उस त्रुटि को दूर करने का भी इस विधेयक का मंशा है कि वह खंड कानून में न पड़ने पावे। यह विधेयक पारित होने पर लागू उस समय से आज तक भी समझा जायेगा। तो इसमें एक दिक्कत यह है कि अगर हिन्दी में हम इसको पारित करते हैं, इसलिये कि नया है और केन्द्रीय अधिनियम अंग्रेजी में बराबर मौजूद रहा है। आजतक तो उसका परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय अधिनियम अंग्रेजी में होने के कारण हिन्दी का हमारा अधिनियम इस बीच के कालों के लिये सम्भव है लागू न समझा जाय। इस कारण सरकार यह चाहती है कि सदन इसे अंग्रेजी में ही स्वीकार करे क्योंकि वही बराबर आज तक मौजूद रहा है तभी उसमें खंड न पड़ेगा क्योंकि उसके अनुसार बहुत सी आज्ञायें वगैरह भी इस बीच में जारी हो चुकी हैं। इसलिये अगर हिन्दी में हम पारित कर दें तो बीच के अवसर में सन् १९५१ से लेकर आज सन् ५६ तक खंड पड़ जायगा इस कानून में और यह एक कानून का सिद्धांत है "दि ला एमोर्स वैकुअम"। इसीलिये इस विधेयक में दिया हुआ है कि यह हमेशा लागू हुआ समझा जायगा। तो यदि हिन्दी में इसको पारित करते हैं तो मेरी समझ में खंड पड़ना अनिवार्य है, उसकी कन्टिन्युटी में खंड पड़ जायगा। इसलिये जो प्रथा हमने पुराने अधिनियमों के सम्बन्ध में जारी रखी है कि अंग्रेजी के पुराने अधिनियमों के खंड का सुधार अंग्रेजी में हो ऐसी परिस्थिति में जहां कि रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट किसी केन्द्रीय अधिनियम को देने की मन्शा हो तो इस सम्बन्ध में विधेयक के खंडों का अंग्रेजी में ही पास होना उचित होगा और उसी से उसकी कंटिन्युटी कायम रह सकती है। मैं समझता हूं कि वैधानिक दृष्टि से तो यह उस प्रथा के अनुसार ही है जो प्रथा हमने अभी तक जारी रखी है इसलिये मैं इसको अवैध करार नहीं देता बल्कि इस पर विचार जारी रखने के लिये इजाजत देता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। इसको मैं यहीं तक रखता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातत्वीय स्थानों या अवशेषों के किसी भी निर्देश (reference) तात्पर्य है ऐंशेन्ट ऐंड हिस्टारिकल मानूमेन्ट्स ऐंड आर्क्योलाजिकल साइट्स ऐन्ड रिमेन्स (डिक्लेरेशन आफ नेशनल इंम्पार्टेन्ट्स) ऐक्ट, १९५१ द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्वीय स्थान या अवशेषों से भिन्न ऐसे स्मारक, स्थान या अवशेष। परिभाषाएं

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (ज़िला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द "निर्देश (reference) और शब्द "तात्पर्य" के बीच में शब्द 'से' रख दिया जाय।

मैं समझता हूं कि मिसप्रिन्ट के कारण यह शब्द छूट गया है, इसको बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मुझे ऐसे संशोधन करने का स्वयं अधिकार है, इसको मैं ठीक कर दूंगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३ तथा ४

३—ऐंशेंट मानूमेन्ट्स प्रिज़र्वेशन ऐक्ट, १९०४, के उपबन्ध, जैसे कि वे अनुसूची १ में परिष्कारों सहित निर्दिष्ट हैं जो अनुसूची २ में उल्लिखित हैं, एतद्द्वारा पुनः अधिनियमित (re-enacted) किये जाते हैं और वे उत्तर प्रदेश के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर लागू होंगे और हमेशा से लागू हुये समझे जायेंगे। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों के सम्बन्ध में ऐक्ट संख्या ७, १९०४ ई० का पुनः अधिनियमन और उसका लागू होना।

४—ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रिज़र्वेशन ऐक्ट, १९०४ के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई कार्य, जिसके अन्तर्गत की गयी या की हुयी समझी गयी या जारी की गयी या जारी हुयी समझी गयी कोई घोषणा, नियुक्ति, विज्ञप्ति आज्ञा, अनुदेश, आदेश, योजना, नियम, विनियम, आकार-पत्र या प्रमाण-पत्र जहां तक वह इस अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उक्त अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किये गये या प्रचारित किये गये समझे जायेंगे, जब तक कि अन्यथा आदेश न हों अथवा वे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी बात अथवा किये गये किसी कार्य से अधिक्रांत न हों। ऐक्ट ७, १९०४ की अधीन जारी की गयी विज्ञप्तियों तथा आज्ञाओं का बना रहना।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १ व २

अनुसूची १

(धारा ३ देखिये)

THE ANCIENT MONUMENTS PRESERVATION ACT, 1904

Act No. VII Of 1904

(18*th March*, 1904)

(AS MODIFIED UP TO THE 25TH OCTOBER, 1951)

An Act to provide for the preservation of Ancient Monuments and Objects of Archaeological, Historical or Artistic Interest

WHEREAS it is expedient to provide for the preservation of ancient monuments, for the exercise of control over traffic in antiquities and over excavation in certain places, and for the protection and acquisition in certain cases of ancient monuments and of objects of archaeological, historical or artistic interest; It is hereby enacted as follows :

1. *Short title and extent*—(1) This Act may be called the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

(2) It extends to the whole of India (except the States of Jammu and Kashmir).

2. *Definitions*—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "ancient monument" means any structure, erection or monument or any tumulus or place of interment, or any cave, rock-sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest, or any remains thereof, and includes—

(*a*) the site of an ancient monument;

(*b*) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument; and

(*c*) the means of access to and convenient inspection of an ancient monument.

(2) "antiquities" include any movable objects which the Central Government, by reason of their historical or archaeological associations, may think it necessary to protect against injury, removal or dispersion;

(3) "Commissioner" includes any officer authorized by the Central Government to perform the duties of a Commissioner under this Act;

(4) "maintain" and "maintenance" include the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of maintaining a protected monument or of securing convenient access thereto;

(5) "land includes a revenue-free estate, a revenue-paying estate, and a permanent transferable tenure, whether such an estate or tenure be subject to incumbrances or not; and

(6) "owner includes a joint owner invested with powers of management on behalf mihself and other joint owners, and any manager or trustee exercising powers of management over an ancient monument, and the successor in title of any such owner and the successor in office or any such manager or trustee:

Provided that nothing in this Act shall be deemed to extend the powers which may lawfully be exercised by such manager or trustee.

3. *Protected monuments*—(1) The Central Government may, by notification in the official *Gazette*, declare an ancient monument to be a protected mounment within the meaning of this Act.

(2) A copy of every notification published under sub-section (1) shall be fixed up in a conspicuous place on or near the monument, together with an intimation that any objections to the issue of the notification received by the Central Government within one month from the date when it is so fixed up will be taken into consideration.

(3) On the expiry of the said period of one month, the Central Government, after considering the objections, if any, shall confirm or withdraw the notification.

(4) A notification published under this section shall, unless and until it is withdrawn, be conclusive evidence of the fact that the monument to which it relates is an ancient monument within the meaning of this Act.

4. *Acquisition of rights in or guardianship of an ancient monument*—(1) The Collector, with the sanction of the Central Government, may purchase or take a lease of any protected monument.

(2) The Collector, with the like sanction, may accept a gift or bequest of any protected monument.

(3) The owner of any protected monument may, by written instrument, constitute the Commissioner the guardian of the monument, and the Commissioner may, with sanction of the Central Government, accept such guardianship.

(4) When the Commissioner has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the owner shall, except as expressly provided in this Act, have the same estate, right, title and interest in and to the monument as if the Commissioner had not been constituted guardian thereof.

(5) When the Commissioner has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the provisions of this Act relating to agreements executed under section 5 shall apply to the written instrument executed under the said sub-section.

(6) Where a protected monument is without an owner, the Commissioner may assume the guardianship of the monument.

5. *Preservation of ancient monument by Agreement*—(1) The Collector may with the previous sanction of the Central Government, propose to the owner to enter into an agreement with the Central Government for the preservation of any protected monument in his district.

(2) An agreement under this section may provide for the following matters, or for such of them as it may be found expedient to include in the agreement—

(*a*) the maintenance of the monument;

(*b*) the custody of the monument, and the duties of any person who may be employed to watch it;

(*c*) the restriction of the owner's right to destroy, remove, alter or deface the monument or to build on or near the site of the monument;

(*d*) the facilities of access to be permitted to the public or to any portion of the public and to persons deputed by the owner or the Collector to inspect or maintain the monument;

(*e*) the notice to be given to the Central Government in case the land on which the monument is situated is offered for sale by the owner, and the right to be reserved to the Central Government to purchase such land, or any specified portion of such land, at its marketvalue;

(*f*) the payment of any expenses incurred by the owner or by the Central Government in connexion with the preservation of the monument;

(*g*) the proprietary or other rights which are to vest in his Majesty in respect of the monument when any expenses are incurred by the Central Government in connexion with the preservation of the monument;

(*h*) the appointment of an authority to decide any dispute arising out of the agreement; and

(*i*) any matter connected with the preservation of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the Central Government.

(3) * * * *

(4) The terms of an agreement under this section may be al ered from time to time with the sanction of the Central Government and with the consent of the owner.

(5) With the previous sanction of the Central Government, the Collector may terminate an agreement under this section on giving six months notice in writing to the owner.

(6) The owner may terminate an agreement under this section on giving six month's notice to the Collector.

(7) An agreement under this section shall be binding on any person claiming to be owner of the monument to which it relates, through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.

(8) Any rights acquired by the Central Government in respect of expenses incurred in protecting or preserving a monument shall not be affected by the termination of an agreement under this section.

6. *Owners under disability or not in possession*—(1) If the owner is unable, by reason of infancy or other disability, to act for himself, the person legally competent to act on his behalf may exercise the powers conferred upon an owner by section 5.

(2) In the case of village-property, the headman or other village-officer exercising powers of management over such property may exercise the powers conferred upon an owner by section 5.

(3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person not being of the same religion as the persons on whose behalf he is acting to make or execute an agreement relating to a protected monument which or any part of which is periodically used for the religious worship or observances of that religion.

7. *Enforcement of agreement*—(1) If the Collector apprehends that the owner or occupier of a monument intends to destroy, remove, alter, deface, or imperil the monument or to build on or near the site thereof in contravention of the terms of an agreement for its preservation under section 5, the Collector may make an order prohibiting any such contravention of the agreement.

(2) If an owner or other person who is bound by an agreement for the preservation or maintenance of a monument under section 5 refuses to do any act which is in the opinion of the Collector necessary to such preservation or maintenance, or neglects to do any such act within such reasonable time as may be fixed by the Collector, the Collector may authorize any person to do any such act, and the expense of doing any such act or such portion of the expense as the owner may be liable to pay under the agreement may be recovered from the owner as if it were an arrear of land-revenue.

(3) A person aggrieved by an order made under this section may appeal to the Commissioner, who may cancel or modify it and whose decision shall be final.

8. *Purchasers at certain sales and persons claiming through owner bound by instrument executed by owner*—Every person who purchases, at a sale for arrears of land-revenue or any other public demand, or at a sale made under the Bengal Patni Taluks Regulation, 1819, (Ben. Reg. VIII of 1819) an estate or tenure in which is situated a monument in respect of which any instrument has been executed by the owner for the time being, under section 4 or section 5 and every person claiming any title to a monument from, through or under an owner who executed any such instrument, shall be bound by such instrument.

9. *Application of endowment to repair of an ancient monument*—(1) if any owner or other person competent to enter into an agreement under section 5 for the preservation of a protected monument, refuses or fails to enter into such an agreement when proposed to him by the Collector and if any endowment has been created for the purpose of keeping such monument in repair, or for that purpose among other, the Collector may institute a suit in the Court of the District Judge, or, if the estimated cost of repairing the monument does not exceed one thousand rupees, may make an application to the District Judge for the proper application of such endowment or part thereof.

(2) On the hearing of an application under sub-section (1), the District Judge may summon and examine the owner and any person whose evidence appears to him necessary, and may pass an order for the proper application of the endowment or any part thereof, and any such order may be executed as if it were the decree of a Civil Court.

10. *Compulsory purchase of ancient monument*—(1) If the Central Government apprehends that a protected monument is in danger of being destroyed, injured or allowed to fall into decay, the Central Government may direct the State Government to acquire it under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894), as if the preservation of a protected monument were a "public purpose" within the meaning of that Act.

(2) The powers of compulsory purchase conferred by sub-section (1) shall not be exercised in the case of—

(*a*) any monument which or any part of which is periodically used for religious observances; or

(*b*) any monument which is the subject of a subsisting agreement executed under section 5.

(3) In any case other than the cases referred to in sub-section (2) the said powers of compulsory purchase shall not be exercised unless the owner or other person competent to enter into an agreement under section 5 has failed, within such reasonable period as the Collector may fix in this behalf, to enter into an agreement proposed to him under the said section or has terminated or given notice of his intention to terminate such an agreement.

10-A. *Power of Central Government to control mining, etc. near ancient monument*—(1) If the Central Government is of opinion that mining, quarrying, excavating, blasting and other operations of a like nature should be restricted or regulated for the purpose of protecting or preserving any ancient monument, the Central Government may, by notification in the official *Gazette*, make rules—

(*a*) fixing the boundaries of the area to which the rules are to apply,

(*b*) forbidding the carrying on of mining, quarrying, excavating, blasting or any operation of a like nature execept in accordance with the rules and with the terms of a licence, and

(*c*) prescribing the authority by which, and the terms on which, licences may be granted to carry on any of the said operations.

(2) The power to make rules given by this section is subject to the condition of the rules being made after previous publication.

(3) A rule made under this section may provide that any person committing a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

(4) If any owner or occupier of land included in a notification under subsection (1) proves to the satisfaction of the Central Government that he has sustained loss by reason of such land being so included, the Central Government shall pay compensation in respect of such loss.

11. *Maintenance of certain protected monuments*—(1) The Commissioner shall maintain every monument in respect of which the Government has acquired any of the rights mentioned in section 4 or which the Government has acquired under section 10.

(2) When the Commissioner has accepted the guardianship of a monument under section 4, he shall, for the purpose of maintaining such monument, have access to the monument at all reasonable times, by himself and by his agent, subordinates and workmen, for the purpose of inspecting the monument, and for the purpose of bringing such materials and doing such acts as he may consider necessary or desirable for the maintenance thereof.

12. *Voluntary contributions*—The Commissioner may receive voluntary contributions towards the cost of maintaining a protected monument and may give orders as to the management and application of any funds so received by him:

Provided that no contribution received under this section shall be applied to any purpose other than the purpose for which it was contributed.

13. *Protection of place of worship from misuse, pollution or desecration*—(1) A place of worship or shrine maintained by the Government under this Act shall not be used for any purpose inconsistent with its character.

(2) Where the Collector has, under section 4, purchased or taken a lease of any protected monument, or has accepted a gift or bequest, or the Commissioner has, under the same section, accepted the guardianship thereof, and such

monument, or any part thereof, is periodically used for religious worship or observances by any community, the Collector shall make due provision for the protection of such monument, or such part thereof, from pollution or desecration—

(*a*) by prohibiting the entry therein, except in accordance with conditions prescribed with the concurrence of the persons in religious charge of the said monument or part thereof, of any person not entitled so to enter by the religious usages of the community by which the monument or part thereof is used, or

(*b*) by taking such other action as he may think necessary in this behalf.

14. *Relinquishment of Government rights in a monument*—With the sanction of the Central Government, the Commissioner may—

(*a*) where rights have been acquired by the Central Government in respect of any monument under this Act by virtue of any sale, lease, gift or will, relinquish the rights so acquired to the person who would for the time being be the owner of the monument if such rights had not been acquired , or

(*b*) relinquish any guardianship of a monument which he has accepted under this Act.

15. *Right of access to certain protected monuments*—(1) Subject to such rules as may after previous publication be made by the Central Government, the public shall have a right of access to any monument maintained by the Central Government under this Act.

(2) In making any rule under sub-section (1) the Central Government may provide that a breach of it shall be punishable with fine which may extend to twenty rupees.

16. *Penalties*—Any person other than the owner who destroys, removes, injures, alters, defaces or imperils a protected monument, and any owner who destroys, removes, injures, alters, defaces or imperils a monument maintained by the Central Government under this Act or in respect of which an agreement has been executed under section 5, and any owner or occupier who contravenes an order made under section 7, sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, or with imprisonment which may extend to three months, or with both.

17. *Power to Central Government to control traffic in Antiquities*—(1) If the Central Government apprehends that antiquities are being sold or removed to the detriment of India or of any neighbouring country, it may, by notification in the official *Gazette*, prohibit or restrict the bringing or taking by sea or by land of any antiquities or class of antiquities described in the notification into or out of the territories to which this Act extends or any specified part of the said territories.

(2) Any person who brings or takes or attempts to bring or take any such antiquities into or out of the said territories (or any part of) the said territories) in contravention of a notification issued under sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(3) Antiquities in respect of which an offence referred to in sub-section (2) has been committed shall be liable to confiscation.

(4) An officer of Customs, or an officer of Police of a grade not lower than Sub-Inspector, duly empowered by the Central Government in his behalf, may search any vessel cart or other means of conveyance, and may open any

baggage or package of goods , if he has reason to believe that goods in respect of which an offence has been committed under sub-section (2) are contained therein.

(5) A person who complains that the power of search mentioned in sub-section (4) has been vexatiously or improperly exercised may address his complaint to the Central Government and the Central Government shall pass such order and may award such compensation, if any, as appears to it to be just.

18. *Power to Central Government to control moving of sculptures, carvings or like objects*—(1) If the Central Government considers that any sculptures, carvings, images, bas-reliefs, inscriptions or other like objects ought not to be moved from the place where they are without the sanction of the Central Government, the Central Government may by notification in the official *gazette*, direct that any such objects or any class of such objects shall not be moved unless with the written permission of the Collector.

(2) A person applying for the permission mentioned in sub-section (1) shall specify the object or objects which he proposes to move, and shall furnish, in regard to such object or objects any information which the Collector may require.

(3) If the Collector refuses to grant such permission, the applicant may appeal to the Commissioner, whose decision shall be final.

(4) Any person who moves any object in contravention of a notification issued under sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(5) If the owner of any property proves to the satisfactions of the Central Government that he has suffered any loss or damage by reason of the inclusion of such property in a notification published under sub-section (1), the Central Government shall either——

(*a*) exempt such property from the said notification ;

(*b*) purchase such property, if it be movable, at its market value; or

(*c*) pay compensation for any loss or damage sustained by the owner of such property, if it be immovable.

19. *Purchase of sculptures, carvings or like objects by the Government*—(1) if the Central Government apprehends that any object mentioned in a notification issued under section 18, sub-section (1) is in danger of being destroyed, removed, injured or allowed to fall into decay, the Central Government may pass orders for the compulsory purchase of such object at its market value, and the Collector shall thereupon give notice to the owner of the object to be purchased.

(2) The power of compulsory purchase given by this section shall not extend to—

(*a*) any image or symbol actually used for the purpose of any religious observance; or

(*b*) anything which the owner desires to retain on any reasonable ground personal to himself or to any of his ancestors or to any member of his family.

20. *Power of Central Government to notify areas as protected*—(1) If the Central Government is of opinion that excavation archaeological purposes in any area should be restricted and regulated in the interests of

archaeological research the Central Government may, by notification in the official *Gazette*, specifying the boundaries of the area, declare it to be a protected area.

(2) From the date of such notification all antiquities buried in the protected area shall be the property of the Government and shall be deemed to be in the possession of the Government and shall remain the property and in the possession of the Government until ownership thereof is transferred but in all other respects the rights of any owner or occupier of land in such area shall not be affected.

20-A. *Power to enter upon and make excavations in a protected area*—(1) any officer of the Archaeological Department or any person holding a licence under section 20-B may, with the written permission of the Collector, enter upon and make excavations in any protected area.

(2) Where, in the exercise of the power conferred by sub-section (1), the rights of any person are infringed by the occupation or disturbance of the surface of any land, the Central Government shall pay to that person compensation for the infringment.

20-B. *Power of Central Government to make rules regulating to archaeological excavation in protected areas*—(1) The Central Government may make rules—

(*a*) prescribing the authorities by whom licences to excavate for archaeological purposes in a protected area may be granted;

(*b*) regulating the conditions on which such licences may be granted, the form of such licences, and the taking of security from licensees;

(*c*) prescribing the manner in which antiquities found by a licensee shall be divided between the Central Government and the licensee; and

(*d*) generally to carry out the purposes of section 20.

(2) The power to make rules given by this section is subject to the condition of the rules being made after previous publication.

(3) Such rules may be general for all protected areas for the time being or may be special for any particular protected area or areas.

(4) Such rules may provide that any person committing a breach of any rules or of any condition of a licence shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and may further provide that where the breach has been by the agent or servant of a licensee, the licensee himself shall be punishable.

20-C. *Power to acquire a protected area*—If the Central Government is of opinion that a protected area contains an ancient monument or antiquities of national interest and value, (it) may direct the State Government to acquire such area, or any part thereof, and the State Government may there upon acquire such area or part under the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894) as for a public purpose.

21. *Assessment of market-value or compensation*—(1) The market-value of any property which Government is empowered to purchase at such value under this Act, or the compensation to be paid by Government in respect of anything done under this Act, shall, where any dispute arises (in

respect) of such market-value or compensation, be ascertained in the manner provided by the Land Acquisition Act, 1894, sections 4,8 to 34, 45 to 47, 51 and 52 so far as they can be made applicable:

Provided that when making an inquiry under the said Land Acquisition Act, 1894, the Collector shall be assisted by two assessors, one of whom shall be a competent person nominated by the Collector, and one a person nominated by the owner or, in case the owner fails to nominate an assessor within such reasonable time as may be fixed by the Collector in this behalf, by the Collector.

22. *Jurisdiction*—A magistrate of the third class shall not have jurisdiction to try any person charged with an offence against this Act.

23. *Power to make rules*—(1) The Central Government may make rules for carrying out any of the purposes of this Act.

(2) The power to make rules given by this section is subject to the condition of the rules being made after previous publication.

24. *Protection to public servants acting under Act*—No suit for compensation and no criminal proceeding shall lie against any public servant in respect of any act done, or in good faith intended to be done, in the exercise of any power conferred by this Act.

अनुसूची २

(धारा ३ देखिये)

ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट १९०४ में परिष्कार ।

ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, १९०४ में--

(१) धारा १ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh".

(२) शब्द "Central Government", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जायं,

(३) धारा २ के खंड (६) के पश्चात् नये खंड (७) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"(7) State Government means the Government of Uttar Pradesh."

(४) धारा ८ में शब्द "or at a sale made under the Bengal Patni Taluks Regulation, 1819" निकाल दिये जायं,

(५) धारा १० की उपधारा (१) में शब्द "direct the State Government to" निकाल दिये जायं ।

(६) धारा १०-ए की उपधारा (१) में शब्द "may" और शब्द "by" के बीच में शब्द "after consulting the Central Government" जोड़ किये जायं,

(७) धारा १७ निकाल दी जाय, तथा

(८) धारा २०-सी में शब्द "It may direct the State Government to acquire such area or any part thereof, and the State Government may thereupon " के स्थान पर शब्द "the State Government may" रख दिये जायं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूची १ में जो खंड २३ में पावर टु मेक रूल्स है उसके उपखंड (१) और (२) के बाद यह तीसरी बात मैं रखना चाहता हूं कि वे नियम सदन के समक्ष रखे जायं।

श्री अध्यक्ष—आप अनुसूची २ में इसको रखेंगे उसकी जगह अनुसूची २ में होगी सब क्योंकि पहले खंड में यह आ चुका है कि यह पूरा ऐक्ट हम स्वीकार करते हैं उस भाग के अलावा जो अनुसूची २ में संशोधन के रूप में दिये हैं। तो अनुसूची २ में ही इस प्रकार के संशोधन आ सकते हैं। तो अनुसूची १ में तो मैं पहले राय लेता हूं।

***श्री जगन्नाथमल्ल** (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, अनुसूची १ के खंड (५) की उपधारा (g) में आप देखेंगे तो वहां "His Majesty" शब्द रखे हुए हैं। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। यहां स्टेट गवर्नमेंट या कोई इस किस्म का शब्द रख दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—हां तो यह भी आप अनुसूची २ में ले लीजियेगा। खंड २ में संशोधन ला कर यदि सदन स्वीकार करे तो इसको बदल दिया जायगा, पहला खंड वैसे का वैसा पारित होगा।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, अनुसूची १ पारित हो जाती है तो फिर संशोधन उसमें कैसे हो सकेगा? एक दफा जब किसी चीज को एडाप्ट कर लिया गया तो दुबारा उसको विकृत कर सकेंगे?

श्री अध्यक्ष—ठीक है मैं अनुसूची २ पहले लूंगा।

श्री तेजप्रतापसिंह—अनुसूची २ में संशोधन दिया हुआ था।

श्री अध्यक्ष—हां, इसी में खंड ३ में आपने दिया है।

श्री तेजप्रतापसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि अनुसूची २ के खंड (३) के बाद एक नया खंड (३–क) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(३–क) धारा (५) के उपखंड (२) की उपधारा (g) की प्रथम पंक्ति के शब्द His Majesty की जगह शब्द The State Government रख दिये जायं।"

आप देखेंगे कि अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पृष्ठ ४ पर दिया हुआ है धारा ५ का जो उपखंड (२) है उसकी उपधारा (g) में दिया हुआ है:

"(g) the proprietary or other rights which are to vest in his Majesty in respect of the monument when any expenses are incurred by the Central Government in connection with the preservation of the monument."

इसमें शब्द "His Majesty" आया हुआ है। मैंने जहां तक खयाल किया कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है....

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है वह हम लोगों के पास नहीं पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं पहुंचाये देता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह—तो इस प्रकार से इस उपधारा (g) में "His Majesty" के शब्द आते हैं। "His Majesty" से हम समझते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी उससे सम्बन्धित यह शब्द था। लेकिन आज जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारी खुद की केन्द्रीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रतापसिंह]

सरकार हो चुकी है तो "His Majesty" शब्द कोई माने नहीं रखता है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसको बदलें। और अगर यह इसी प्रकार से छूट जाता है और "His Majesty" का शब्द रखा जाता है तो इस का अनर्थ होगा, यह धारा जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकल सकेगा और न इससे कोई कार्य ही हो सकेगा। तो मैं समझता हूं "His Majesty" की जगह "The State Government" वा शब्द लाना जरूरी है जिससे हम अपने अधिकार स्वयं रक्षित कर सकें। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि इसको मंत्री जो स्वीकार करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंदसिंह)--चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो ऐक्ट पास हुआ है उसमें भी हिज मैजेस्टी ज्यों का त्यों है इसीलिए इसमें यह रखा गया है। इस लिए मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सेंट्रल ऐक्ट तो है ही, यह हम सबको विदित है, लेकिन हिज मैजेस्टी का बतलब क्या होगा यह तो बहुत स्पष्ट है। केन्द्रीय सरकार ने इसको संशोधित न किया हो और मैं समझता हूं कि संशोधित करने की उन्हें आवश्यकता शायद न रही हो क्योंकि उन्होंने सन् ५१ में दूसरा ऐक्ट बना लिया है और यदि उन्होंने इसको तब्दील नहीं किया है, इस शब्द को तो मैं समझता हूं कि यह भूल ही सी हुई प्रतीत होती है और हम उसको जब यहां समझ सकते हैं कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट यहां है नहीं, तो उसका कोई राइट हो नहीं सकता है किसी मानूमेंट पर या किसी और वस्तु पर, तो यह तो बहुत स्पष्ट चीज है कि हमारा अधिकार होगा। अगर हिज मैजेस्टी का अधिकार बना रहा तो फिर हम उसमें अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे और न हम उसकी रक्षा ही कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इस आर्ग्युमेंट को छोड़ने की कृपा करें कि केन्द्रीय सरकार का यह ऐक्ट है और उन्होंने इसको तब्दील नहीं किया है इस लिए हमें कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। हम तो यहां तब्दीली कर सकते हैं, आपने रूलिंग दे रखी है, तो जब हम चेंजेज कर सकते हैं तो यह उचित मालूम पड़ता है कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट जब है नहीं और न उसकी कोई प्रापर्टी ही हो सकती है तो मैं समझता हूं कि इसमें परिवर्तन कर लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट जब वहां आ जायगा तो उसमें सहूलियत ही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह हो सकता था कि किसी डिपार्टमेंट या किसी व्यक्ति को रखते तो उसमें अनरुचि हो सकती थी माननीय मन्त्री जी को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रखा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट की प्रापर्टी है ही वह, तो इसमें तो उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री हरगोविंदसिंह--आपने पढ़ा कि यह ऐक्ट आगे के लिए ही लागू नहीं होगा, फ्यूचर के लिए ही लागू नहीं होगा बल्कि पास्ट के लिए भी है और इसलिए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह रखा है और इसीलिए वह रखना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के खंड (३) के बाद एक नया खंड (३-क) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(३-क) धारा ५ के उपखंड (२) की उपधारा (g) की प्रथम पंक्ति के शब्द His Majesty की जगह शब्द The State Government रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रतापसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि अनुसूची २ के खंड (३) के बाद नया खंड (३-ख) निम्न रुप में बढ़ा दिया जाय—

"(३-ख)—धारा ३ के बाद नयी धारा ३-A निम्न रुप में बढ़ा दी जाय—

3A. The State Government, in order to take necessary and desirable steps for the preservation of Ancient Monuments and objects of Archaeological, Historical and Artistic interest, and to provide for the conduct of excavations in certain places,

(*a*) shall consult the department of Ancient History, Culture and Archaeology of the Allahabad University;

(*b*) shall fully equip the department referred to above in clause (*a*) in order to make it capable of helping the State Government in this regard."

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जैसा कि अनुसूची १ में ऐन्श्येंट मानूमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट दिया हुआ है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है कि हम पुरातत्त्वीय दृष्टि कोण से महत्व के स्थान या स्मारक जो हैं किस प्रकार उनकी जानकारी करें, और किस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के एक्सकेवेशंस आदि करवाने की व्यवस्था करें, ऐसा कोई प्रबन्ध इसमें नहीं दिखाई पड़ता। तो मैंने इस दृष्टि से इस संशोधन को रखा है ताकि हम ऐसी व्यवस्था कर सकें, ऐसे योग और कुशल स्कालर्स की सहायता हम प्राप्त कर सकें, हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्राप्त कर सके जिस की वजह से जो महत्वपूर्ण स्थान या स्मारक हैं उनको हम जान सकें और जानने के बाद उनके रक्षण का प्रबन्ध कर सकें। आज आप जानते हैं कि बहुत से स्थान ऐसे पड़े हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बहुत से स्मारक ऐसे हैं जो छुपे पड़े हुए हैं, दूर जिलों में, और अन्धकार में पड़े हुए हैं, उनकी कोई खोज नहीं हो रही है और हम व्यक्तिगत रूप से बहुत से सदस्य ऐसे स्मारकों को जानते हैं, लेकिन उनकी कोई रक्षा नहीं हो रही है और न उनका कोई महत्व ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ पाता है। तो हम समझते हैं कि उनकी भी रक्षा होनी चाहिये।

अब सवाल यह पैदा होता है कि यह काम करे कौन ? जब हम किसी अवशेष के महत्व को जानने की बुद्धि नहीं रखते हैं, उसको जानने की योग्यता और क्षमता हमारे में नहीं है तो हम उसकी रक्षा क्या करेंगे ? यह सब से बड़ा बुनियादी सवाल है कि हम या हमारी सरकार जो इस काम को करने जा रही है वह अपने को ऐसे सलाहकारों से सलाह लेने की व्यवस्था करे जो इस सम्बन्ध में समुचित सहायता दे सकें और सलाह दे सकें कि कौन-कौन से स्थान हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम मैंने स्वयं इसलिए जोड़ा है, कि वहां तो पुरातत्व विभाग है, जिस डिपार्टमेंट का नाम मैंने ले रखा है, वहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से पुराने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थानों के एक्सकेवेशंस किये गये हैं और उसने अच्छा काम किया है और मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री उससे अवगत होंगे। उस डिपार्टमेंट और उसके कार्यों की प्रशंसा इंगलैन्ड के एक बहुत बड़े विद्वान् जो आर्केलाजिस्ट हैं उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में की है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को उस डिपार्टमेंट से सहायता लेनी चहिये और सहायता आप तभी ले सकते हैं जबकि उस डिपार्टमेंट की पूरे तौर से साज-सज्जा से इमदाद करें, रुपये पैसे की इमदाद करें और सामान आदि जो लगता है उसका प्रबन्ध करें, तभी वह सहायता दे सकता है, अन्यथा वह डिपार्टमेंट चल रहा है और शिक्षार्थियों की शिक्षा वहां चल रही है। उस डिपार्टमेंट ने भारतीय सरकार के कहने पर कौशाम्बी की खुदाई कुछ वर्ष हुए शुरू कर दी और बड़े अच्छे ढंग से और कामयाबी के साथ

[श्री तेजप्रतापसिंह]

उसमें कार्य हुआ। तो हम समझते हैं कि जितने हमारे यहां महत्वपूर्ण स्थान हैं उनकी भी खोज-बीन होनी चाहिए तभी कोई कार्य हम इस सम्बन्ध में कर सकते हैं। अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसके द्वारा समुचित रूप से यह काम किया जा सके। बहुत से स्थान पड़े हुए हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है और इसलिए उनका रक्षण भी नहीं हो सकता। इस लिए मैंने संशोधन दिया है कि उस विश्वविद्यालय की सहायता क्यों न हासिल करें? और वह तभी ली जा सकती है जब उसको साज और सामान से युक्त कर सकें।

तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविंदसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे बड़ा मनोरंजक सा मालूम हुआ है। वह तो इसी प्रकार से हुआ है कि इस ऐक्ट में एक धारा बना दी जाय कि श्री तेजप्रताप सिंह जी को हिस्ट्री में एम० ए० पास कराया जाय और इसके बाद पुरातत्व विभाग का ज्ञान उनको कहीं बाहर भेज कर कराया जाय और वहां से वह सीख कर आयें तब वह हमें सहायता देंगे कि हमें क्या क्या काम करना है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जहां तक मैं समझता हूं, कोई पुरातत्व विभाग नहीं है। यह भी आप की इत्तिला गलत है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने द्वारा वहां कोई खुदाई करा रही है। खुदाई के लिये तो प्रादेशिक सरकार ने कहा कि आप अपने संरक्षण में कराइये।

श्री तेजप्रतापसिंह---यही तो मैंने कहा था।

श्री हरगोविंदसिंह---आप ने कहा था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के कहने पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर रही है। खुदाई का काम शुरू करने से पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया से परमीशन लेनी पड़ती है। जब प्रादेशिक सरकार ने निश्चय किया कि कौशाम्बी में खुदाई का कार्य किया जाय तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से परमीशन ली गई, उसका खर्चा हम बरदाश्त करते हैं, केवल उसकी खुदाई का काम यूनिवर्सिटी से होता है। वहां कोई पुरातत्व विभाग नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनको हिस्ट्री में एम० ए० कराकर पुरातत्व का ज्ञान बाहर भेज कर कराया जाय तब वह सहायता करें। इसका मतलब यही हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक विभाग खोलें और उसको साज सामान वगैरा दें। गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो आर्कलाजीकल विभाग है उसमें विशेषज्ञ लोग रहते हैं और कहां सामग्री मिलेगी, इसको वह अच्छी तरह से जानते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा या तेज प्रताप सिंह जी की राय से काम किया जाय। इसको यदि ऐक्ट में रखा जाय तो यह एक हंसी की बात होगी और दुनिया हंसेगी। इस तरह का आप का संशोधन है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असंगत है।

श्री तेजप्रतापसिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी एक बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं और विशेष कर मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा रहती है। यद्यपि मैं इस काबिल नहीं था कि पुरातत्व विभाग में कार्य कर सकूं लेकिन मैंने धृष्टता जरूर की कि एक विभाग जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी में कार्य कर रहा है और कर चुका है, उसकी सहायता से हम वंचित न हों और उस की सहायता ले लें। शिक्षा मंत्री जी ने कहा और मेरी भूलों का सुधार भी किया। हो सकता है मैंने कोई भूल की हो। मेरा करेक्शन किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मेरा करेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हिस्ट्री विभाग के जरिये प्रादेशिक सरकार ने कौशाम्बी का ऐक्सकेवेशन कराया। हालांकि वह यह कहना भूल गये कि वह कार्य कैसा हुआ, अच्छा हुआ या नहीं। क्योंकि यदि अच्छा कार्य हुआ मानते हैं तो फिर हमने जो सलाह लेने की बात रखी है, उसको मानना उन्हें शायद

उचित समझ में आता। अब रह जाती है बात यह कि आर्केलाजी डिपार्टमेंट आपका है, भारत सरकार का है, तो वे तो कार्य कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ योग्य अध्यापक इलाहाबाद युनिवर्सिटी के इस सम्बन्ध में कार्य कर चुके हैं, उनसे मदद क्यों न ली जाय ?

श्री हरगोविंदसिंह—खुदाई का काम किया है ?

श्री तेजप्रतापसिंह—खुदाई का काम उन्हीं की देखरेख में हुआ है। वहां बहुत से मानूमेंट्स निलकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी प्राप्त होती हैं जिनमें पाली और प्राकृत में लिखा होता है जिसको पढ़ना पड़ता है। तो यह काम कोई लेमेन से नहीं कराया जा सकता है। खुदाई तो करायी जा सकती है। लेकिन उसके फल को कोई विद्वान ही प्राप्त कर सकता है और हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि उनके कन्सल्टेशन से इस कार्य को करायें। यह मैंने नहीं कहा कि आप अपने पुरातत्व विभाग को बन्द कर दें। आप केवल उनसे सहायता मात्र प्राप्त करते जाइये, मेरी मन्शा और अधिक नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसे चलाते जायं और उस अच्छे काम को और भी प्रगति मिले इसलिये मैंने यह संशोधन रखा था। माननीय मंत्री जी समझते हैं कि इस ऐक्ट में मैं कुछ ऐसी धृष्टता कर सकता हूं कि अपने लिये किसी काम का चार्ज रखने की बात कहूं। ऐसी धृष्टता मैं कैसे कर सकता हूं ? मैं माननीय मंत्री जी की उदारता को समझता हूं। उनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर रहती है। लेकिन मेरे ऊपर कृपा रखते हुये वे इस विभाग के ऊपर भी तो कृपा रखें। वहां पाली और प्राकृत जानने वाले विद्वान हैं। उनसे सरलता पूर्वक यह कार्य लिया जा सकता है और पिछले वर्षों में आपने उनसे यह काम लिया भी है।

श्री हरगोविंदसिंह—वे अध्यापक अगर वहां न रहें तो फिर किसको कन्सल्ट करें ?

श्री तेजप्रतापसिंह—अगर वे अच्छे अध्यापक नहीं रहेंगे तो किसकी कृपा से ? फिर उनके अलावा दूसरे अध्यापक भी पैदा होंगे। बहुत से रिसर्च स्कालर्स वहां हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और जो एक्सकेवेशन्स किये जाते हैं उनमें वे जाते हैं। तो वे लोग भी तो इस काम को आगे उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति यदि कहीं न रहे तो इसके हट जाने से वह जगह खाली नहीं होती है। जैसे मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं हैं, यदि कभी हमारे परम दुर्भाग्य से वे यहां नहीं रहते हैं तो कोई दूसरा शिक्षा मंत्री तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि काम न चले और शिक्षा मंत्रालय ही बन्द हो जाय। तो मैं इन शब्दों के साथ फिर से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरा कोई इससे व्यक्तिगत मतलब या स्वार्थ नहीं था बल्कि सरकार के काम को आसान करने के लिये, उनको योग्यता के साथ चलाने के लिये ही मैंने यह संशोधन दिया था। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे जैसा कि वे मेरे ऊपर कृपा करते रहते हैं।

श्री हरगोविंदसिंह—शायद तेज प्रताप सिंह जी न मुझे गलत समझा कि मैंने उनका नाम लिया। तो मेरा कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं था। मैंने यह कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक स्टैटुअरी बाडी है। आप ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इसमें नाम रख दिया। वह ऐक्ट का एक अंग हो जायगी। जब तक ऐक्ट रहेगा तब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रहेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोगों ने खुदाई का काम किया इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। अच्छा काम किया या बुरा काम किया, वह तो जो उसके जानने वाले हैं वे सर्टिफिकेट देते हैं। लोगों ने जो दूर से आये थे देखा और कहा कि खुदाई का काम अच्छा किया है और जो सर्टिफिकेट की बात वह करते हैं वह सत्य है लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर्स हैं वे कोई आर्कियोलोजिकल साइंस के पंडित हैं, यह बात ग़लत है, और वह आर्कियोलोजी का काम संतोषजनक रूप से कर सकते हैं इसमें मतभेद हो सकता है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रखने से एक बात और भी पैदा हो सकती है कि आज जो हिस्ट्री

[श्री हरगोविंदसिंह]

के वहां के जो प्रोफेसर हैं कल अगर वह पटना में अप्वाइंट हो गये तो जो उनके बाद हिस्ट्री के प्रोफेसर आवें वह आर्कियोलोजी में इंटेरेस्टेड हों या न हों और वह न चाहें राय देना। इसमें और यूनिवर्सिटियों की बात भी होती तो भी कहा जा सकता था लेकिन केवल एक यूनिवर्सिटी का नाम रखकर यह कहना उचित नहीं है। और यह एक तरह से इस बिल का डिस्फिगरमेंट होगा और इस ऐक्ट के स्वरूप को तोड़ना मरोड़ना और बिगाड़ना होगा। इसलिये यह संशोधन असंगत है और इतना ही मेरे कहने का मतलब है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के खंड (३) के बाद नया खंड (३–ख) निम्नरूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(३–ख)—धारा ३ के बाद नई धारा ३–A निम्नरूप में बढ़ा दी जाय—

3A. The State Government, in order to take necessary and desirable steps for the preservation of Ancient Monuments and objects of Archaeological, Historical and Artistic interest, and to provide for the conduct of excavations in certain places,

(*a*) shall consult the department of Ancient History, Culture and Archaeology of the Allahabad University,

(*b*) shall full equip the department referred to above in clause (*a*) in order to make it capable of helping the State Government in this regard."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि अनुसूची २ के अन्त में नया खंड (९) बढ़ा दिया जाय:—

"(९) खंड २३ के उपखंड (२) के बाद एक नया उपखंड (३) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय :—

(3) A ll the Rules made under this Act shall be placed on the table of the House at least for fourteen days soon after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make in the session in which they are laid on the table."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर कुछ कहने से पहले मैं थोड़ी सी कठिनाई जो मुझे आज इस संशोधन की भाषा के सम्बन्ध में प्रतीत हो रही है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके विचारार्थ थोड़ा सा नम्र निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि आज जो आप ने यह निर्णय दिया कि प्राचीन प्रथा के अनुसार जैसा कि यहां चली आयी है कि राज भाषा हिन्दी होते हुये भी जो कि कानून अंग्रेजी में बने हुये हैं उनके संशोधन भी अंग्रेजी में ही होने चाहिये और वह यहां आ सकते हैं। केवल मुझे यह निवेदन करना था कि क्या हम इस प्रथा को बदल नहीं सकते? इस प्रथा को बदलने में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं जिससे कि हम इसे बदल नहीं सकते? मैं समझता हूं कि आप इस बात पर पुनः विचार करें और यदि हम इस प्रथा को बदल सकते हों तो बदल दें। यदि नहीं बदला जा सकता है तब तो जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से करते जायेंगे ही।

यह संशोधन जो मैंने उपस्थित किया है वह कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सदन में यह सिद्धान्त मान लिया गया है। आज से कुछ दिन पहले जब बाल संस्था

और महिला संस्था विधेयक था उसमें भी मैंने इसी प्रकार का एक संशोधन पेश किया था और वह स्वीकार कर लिया गया था। कल भी सदन में जब हम यह नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक.....

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज यह फिर गणपूर्ति का सवाल पैदा हुआ है। माननीय सदस्य अपने स्थानों को छोड़ें नहीं, क्योंकि सदन का कार्य भी होना है और अगर बार-बार घंटी बजाना पड़ी तो मैं एक दफा और घंटी बजवा दूंगा लेकिन तीसरी बार वह नहीं बजेगी और बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह याद दिला रहा था, सदन को, आप के द्वारा, कि जब कल उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक में इसी प्रकार की व्यवस्था थी, धारा ६२ और ८२ में, तो मैंने माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दिया था कि उन्होंने स्वयं इसका विधान कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि यह एक ऐसी बात है कि इस पर अधिक कहने की और समझाने की, कंविंस करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे। इसलिये मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अगर इसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया और कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिनसे यह मालूम हो कि यह स्वीकार नहीं होना चाहिये तब जवाब में मुझे जो कुछ कहना होगा, कहूंगा। किन्तु आशा है कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे इस लिये मैं सदन का समय नष्ट क्यों करूं।

श्री हरगोविंदसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं कि पालीवाल जी का धन्यवाद प्राप्त कर सकूं। उसका कारण यह है कि जिन जिलों के संबंध में पालीवाल जी ने अभी कहा कि ऐसा बना दिया गया है कि वह रुल्स लेजिस्लेचर के सामने आयें, वह ऐसी चीजों के संबंध में हैं कि जिनमें इस बात का डर हरगिज नहीं है कि कोई चीज हटाई जा सकती है। कोई क्षति पहुंचाई जा सकती है, यह बात सही है अगर मान लें कि कहीं हमें ऐसी चीज मालूम हो और हम उसे करना चाहते हैं तो हम उसके लिये रूल्स बनावें और उसको आपके पास कराने के लिये यहां रखें, तो यह बड़ा लम्बा प्रोसीजर है और उस समय तक उसकी आवश्यकता खत्म हो जायगी। इसकी आवश्यकता इसमें इस कारण से नहीं होती कि हम यह रूल्स जब-जब जरुरत हो सकती है तब-तब बना सकते हैं। यह प्रतिबन्ध अगर इस में लग गया तो यह रूल्स जब तक लेजिस्लेचर से पास न करा लिये जायंगे तब तक कार्यान्वित नहीं होंगे। तो कभी कभी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है कि जिन चीजों के लिये हम रूल्स बनावें वह हम स्वंय न कर सकें। यह हो सकता है कि हम जब भी रूल्स बनावें आपके सामने आपकी इंफार्मेशन के लिये उनको रखें, लेकिन उस पर लेजिस्लेचर की जब तक अनुमति न ले लें तब तक उनको हम कार्यान्वित नहीं कर सकते, यह ठीक नहीं है। यह तो मुझे स्वीकार होगा कि जब हम रूल्स इसमें बनावेंगे, तो उनको आप की इंफार्मेशन के लिये हाउस की टेबुल पर रख देंगे लेकिन इसके अलावा और कोई बात इस बारे में मैं नहीं मान सकता, इसका मुझे दुःख है।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा उनको थोड़ी सी गलत फहमी हुई। एक शिक्षा मन्त्री जो कानून बनाता हो वह इस हाउस में बैठ कर इन अंग्रेजी के शब्दों को न समझ सके यह बड़े दुःख की बात है। और वह भी एक शिक्षा मन्त्री है। इसमें पालीवाल जी ने यह नहीं लिखा है कि जब तक

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

लेजिस्लेचर अनुमति न दे दे तब तक लागू नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने कहा है वह बिल्कुल साफ है। वे रूल्स बनाये जायेंगे और लागू भी रहेंगे लेकिन वह लेजिस्लेचर के सामने आयेंगे। लेजिस्लेचर चाहे तो उसमें कोई संशोधन कर सकता है। यह सीधा सा अमेंडमेंट है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है किन्तु सरकार की यह आदत है कि जो सीधी सी चीज भी हो तो वह कहेगी कि इससे गड़बड़ी पैदा हो जायगी। मैं समझता हूं यह बहुत उचित संशोधन है और माननीय शिक्षा मन्त्री जी को इसको मान लेना चाहिये।

शिक्षा मन्त्री जी को यह नहीं समझना चाहिये कि उनके लोग जो नियम बनायेंगे लेजिस्लेचर के लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि वे उसमें कोई संशोधन कर सकें। संविधान के मुताबिक जो लेजिस्लेचर यहां पर बैठा हुआ है वह उन बने हुये कानूनों में हेर-फेर कर सकता है। इसको यह सारी पावर है। संविधान की जो मन्शा है वह यही है कि यह लेजिस्लेचर एक होशियार बाडी है और यह कानूनों को ठीक कर सकता है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ऐसा कहीं कर दिया तो कहीं हमारी मन्शा के विरुद्ध न हो जाय और मन्शा ही पूरी न हो। उनके डिपार्टमेंट के आदमी जो रूल बनायेंगे वह सही होंगे और यह लेजिस्लेचर अगर कोई संशोधन कर दें तो वह कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकते। मैं समझता हूं यह दलील देना इस हाउस की तौहीन है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को यह भी स्वीकार करना चाहिये जैसा कि उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में स्वीकार कर लिया है। स्टेट्यूट्स बनाये जायेंगे और वे लागू रहेंगे लेकिन लागू हो जाने के बाद भी वह हाउस के सामने आयेंगे। यह हाउस चाहेगा तो कोई उसमें संशोधन कर सकता है। वह १५ दिन तक सदन की मेज पर रहेंगे और जो संशोधन करना चाहें तो उसमें किया जा सकता है। यह इसलिये रखा गया है कि यूनिवर्सिटी का काम भी चलता रहे और किसी संशोधन की जरूरत हो तो वह भी उसमें कर दिया जाय। अभी तो वह यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी नहीं हुई है। पता नहीं कि वे आयेंगे या नहीं क्योंकि कुछ दिनों के बाद यह सदन भी बन्द होने जा रहा है। तो सरकार को चाहिये कि जिस तरह से रूल बनें वह सदन के सामने आयें क्योंकि रूल भी कानून के मातहत ही बनते हैं उनको लेजिस्लेचर को देखना चाहिये ताकि मालूम हो सके कि कोई त्रुटि तो नहीं है और वह हमारे लेजिस्लेचर की भावना के खिलाफ तो नहीं पड़ते हैं। जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसकी धारा का एक जज कुछ मायने लगाता है और दूसरा जज दूसरी तरह से इन्टरप्रेट करता है तो इस तरह से उसका इन्टरप्रिटेशन कई तरह से हो सकता है। जब वे लेजिस्लेचर के सामने आयेंगे तो लेजिस्लेचर यह देखेगा कि यह जिस भावना को लेकर कानून बनाया गया है उसके अनुसार भी है या नहीं। अगर कोई गलती है तो उनको यहां पर ठीक किया जा सकता है। इस लिये यह जरूरी है कि जो भी कानून बने, और इसमें यह प्राविजन है कि उसके अनुसार नियम बनेंगे तो उनको सिद्धान्ततः इस लेजिस्लेचर के सामने आना चाहिये। मैं समझता हूं यह संशोधन बहुत साफ है और पालीवाल जी के संशोधन को स्वीकार करके हम इस सदन की मर्यादा की रक्षा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा उस को उन्होंने ध्यान से नहीं सुना या उन्होंने समझा नहीं। जो बात उन्होंने कही करीब-करीब वही बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कही। मैं इस बात को मानता हूं कि पालीवाल जी के संशोधन में यह नहीं है कि ऐक्ट का अमलदरामद शुरू न हो। हमें तो यह देखना है कि इसे कोर्ट्स किस प्रकार इन्टरप्रेट करेगी। संशोधन स्पष्ट होना चाहिये। इससे पहले भी, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक बिल बाल संस्था और महिला संस्था के बारे में पेश हुआ था और वहां भी इसी भाषा में इस प्रकार का संशोधन पेश किया गया था ताकि किसी तरह का सन्देह बाक़ी न रहे। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे बिल के अन्तर्गत

जो नियम बनें हैं वे हाउस के सामने रखे जायं, उनका रखा जाना उचित ही है। उनमें संशोधन भी आ सकते हैं। यदि माननीय साथी यह मान लें कि भाषा में उचित संशोधन कर दिया जाय और आपको उसका अधिकार दे दें ताकि इसमें किसी प्रकार का सन्देह न रहे और उनका खास मंशा भी उससे पूरा हो जाय तब मैं सहमत हो जाऊंगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय नवलकिशोर जी ने और माननीय मल्ल जी ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर अधिक कहने की जरूरत नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सचमुच पहले कुछ ऐसा सन्देह प्रकट किया कि जिससे यह मालूम होता है कि उन्होंने न तो इस संशोधन को पढ़ा और न समझा ही। कोई काल्पनिक बात उनके दिमाग में थी और इसलिये उन्होंने कह दिया कि यह संशोधन उचित नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि अगर लेजिस्लेचर १४ दिन में मीट करे और कोई सशोधन न करे तो वह अपने आप लागू हो जायगा। इसमें सरकार पर कोई बंधन लगाने वाला शब्द नहीं है। इसकी भाषा साफ है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे संशोधन को स्वीकार करने में जो कठिनाई बतायी है, मैं समझता हूं कि वह है नहीं। मैं माननीय नवलकिशोर की इस बात को मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदयों की बात का अर्थ क्या है, इसे वह हम लोगों से ज्यादा समझते होंगे और उनके दिमाग को अच्छा इन्टरप्रेट कर लेते होंगे। इस बात का श्रेय मैं उन्हें देने के लिये तैयार हूं। अगर माननीय मंत्री जी का कोई सन्देह है तो मैं अपने संशोधन में यह संशोधन करने के लिये तैयार हूं कि—

> "All the rules made under this Act shall be published in the Gazette and shall come into force from the date they are so published unless a later date has been fixed."

और उसके बाद यह संशोधन आ जाय। मैं आशा करता हूं कि अब माननीय मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होगी और वह इसे मान लेंगे।

श्री हरगोविंदसिंह—मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि पालीवाल जी ने बाद को अपने संशोधन में उस कठिनाई को जिसका मैंने पहले जिक्र किया था समझा। दूसरे सज्जन मल्ल जी ने, चूंकि यह संशोधन अंग्रेजी में था शायद उन्हें समझने में दिक्कत हुई थी, इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो यह संशोधन फिर जरा मैं उनको समझाना चाहता हूं—

> "All the Rules made under this Act shall be placed on the table of the House at least for fourteen days soon after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make in the session in which they are laid on the table."

यह संशोधन यह कहता है कि जो रूल बनें वह सून आफ्टर दे आर मेड १४ दिन तक ऐट-लीस्ट हाउस की मेज पर रहने चाहिये। हाउस मीट करता हो या न करता हो, वह १४ दिन रहना ही चाहिये। इसमें यह नहीं रक्खा गया कि जो भी रूल्स बनेंगे वह फौरन् ही लागू हो जायेंगे, बावजूद इसके कि नवलकिशोर जी के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी वे बात को ज्यादा समझते हैं लेकिन वे पुरानी बात को भूल गये इसी लिये उनके दिमाग से भी यह बात निकल गयी और तभी वे ऐसा कहने भी लगे। लेकिन अब उन्होंने इसको महसूस किया और अब कहने लगे कि दे विल कम इन टू फोर्स एटवंस। यानी जैसे ही बनें वे फोर्स में आ जायेंगे। और जब भी लेजिस्लेचर होगी, उसी समय नहीं लेकिन जब भी लेजिस्लेचर हो, २–४ महीने में, जो भी मोडीफिकेशन वह करे, उसके अनुसार फिर वह लागू हों। लेकिन इसमें मैं इतना

[श्री हरगोविंदसिंह]

तो दावा कर सकता हूं कि प्रस्तावक महोदय और मल्ल जी दोनों से ज्यादा समझ सकता हूं क्योंकि मेरा यही कानून वाला ही सबजेक्ट रहा था। अब आप पब्लीकेशन की बात कहते हैं तो २३ (२) में साफ लिखा हुआ है—

"The power to make rules given by this section is subject to the condition of the rules being made after previous publication."

इसमें दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। २३ (२) में यह साफ़ तौर से लिखा हुआ है कि जब भी रूल्स बनेंगे तभी प्रीवियस पब्लीकेशन करेंगे। अब पालीवाल जी ने यह कहा कि जब तक वह लेजिस्लेचर में न आ जायं तब तक वैसे ही चलते रहेंगे और बाद को संशोधित लागू कर दिये जायेंगे। यह तो अभी भी है कि फौरन् लागू हो जायेंगे। आप भी दो बातें कहते हैं कि फौरन् लागू हो जायं और पब्लिकेशन हो जाय। फौरन् लागू होने का प्रबन्ध तो है ही और लागू होने के पहले ही उनका पब्लीकेशन हो भी जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि अब इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी व्यवस्था इसमें पहले से ही कर दी गई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन की बात कहना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि पब्लीसिटी होनी चाहिये और साथ ही यह अमल में आता रहे लेकिन उसके बाद सदन के सामने रक्खा जाय, इसका विधान मैं चाहता था। मैं समझता हूं फिर भी माननीय मंत्री जी ने इसको ठीक तरह से समझा नहीं है। उसके बारे में विधान के रूप में स्पष्ट शब्दों में मैं इसको चाहता हूं कि लागू होने के बाद यथाशीघ्र रक्खें जायेंगे .....

श्री अध्यक्ष—आपका जो ओरिजिनल है उसी को मैं रख देता हूं। क्या आप अमेंडेड चाहते हैं? आप सदन की राय के लिये किसको रखना चाहते हैं?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अगर किसी वजह से वह न हो तो अमेंडेड फार्म में ही रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं अमेंडेड फार्म ही रख देता हूं लेकिन अमेंडेड फार्म मेरे पास नहीं है। उसे आप मेरे पास भेज दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं लिख कर भेज देता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं खुद उसको सुना देता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के अन्त में नया खंड (९) बढ़ा दिया जाय—

"(९) खंड २३ के उपखंड (२) के बाद एक नया उपखंड (३) निम्नरूप में बढ़ा दिया जाय—

"(3)(*i*) All the rules made under this Act shall be published in the Gazette and shall come into force from the date they are so published unless a later date has been fixed.

(*ii*) All the rules made under this Act shall be placed on the table of the House at least for 14 days soon after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make in the session in which they are laid on the table."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—८,

विपक्ष में—६५,

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ और २ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश में, संसद द्वारा विधितः राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों से भिन्न ऐसे स्मारकों, स्थानों और अवशेषों के परिरक्षण तथा संरक्षण (preservation and protection) की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में एशेंट ऐंड हिस्टारिकल मानमेंट्स ऐंड आर्क्योलाजिकल साइट्स ऐंड रिमेन्स (डिक्लेरेशन आफ नेशनल इम्पार्टेन्स) ऐक्ट, १९५१ द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों से भिन्न ऐसे स्मारकों, स्थानों और अवशेषों के परिरक्षण तथा संरक्षण की तथा अन्य सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था की जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६

**वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय-संशोधन) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय।

जिस बिल के लिये कि मैंने यह विचार करने का मोशन किया उसकी बाबत अर्ज करने से पहले मैं आपके जरिये से सदन को यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ६ तारीख को जिस वक्त आपकी इजाजत होगी सेल्स टैक्स के मुताल्लिक बयान दिया जायगा और बाकी

*२९ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है मैं मेम्बरान को एक बात याद दिलाऊं कि पहले से जो कानून या विधान बिक्री-कर का हमारे यहां है,उसके अन्दर जो जज मुकर्रर किये जाते हैं उनमें एक जज रिवीजन होता है। उसके जो अख्तियारात उस कानून में दिये हुये थे जो कि पहले बना हुआ था, उनमें उसको यह अख्तियार भी दिया हुआ था कि जो आदमी टैक्स तश्खीस करता है उस तश्खीस करने वाले की मिसल को या जो जज अपील फैसला अपील में देता है, उस अपील के फैसले को और मिसल को अपना यह इतमिनान करने के लिये कि उसमें कोई कार्यवाही कानून के खिलाफ नहीं हुयी है मंगा सकता था। जहां तक फैक्ट्स या वाकयात का ताल्लुक है उनके मुताल्लिक भी कोई गलत बात नहीं हुयी है, यह अख्तियार भी था उसमें, लेकिन जो बिल यहां पेश हुआ और ऐक्ट बना था आर्डिनेन्स के बाद तो उस में तरमीम के जरिये यह बात आ गयी कि उस जज रिवीजन को यह अख्तियार रहे कि वह [illegible] सी मिसल को मंगा कर देखे कि उसमें कानून की कोई गलती नहीं हुयी है और यह बात निकल [illegible] कि वह वाकयात या फैक्ट्स की बाबत भी देख सके। उस पर यहां के जो बिक्री कर या टैक्स दे [illegible] वाले हैं उनकी ओर से भी एतराज हुआ और इस सदन के चन्द मेम्बरान को भी इस पर एतरा[illegible] था तो उसी वक्त मैंने अर्ज कर दिया था कि गवर्नमेंट इस मामले पर विचार करेगी और विचार [illegible] करके किसी नतीजे पर पहुंचेगी। चुनांचे विचार करके गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि जो-जो अख्तियार उसको शुरू से उस कानून की रू से था जज रिवीजन को वह अख्तियार लौटा दिया जाय और जो बीच में तरमीमें हो करके कमी कर दी गयी थी उसको न रखा जाय। तो अब जो संशोधन है वह इतना है, उस ऐक्ट में जो हम पहले पास कर चुके हैं कि उस जज को अख्तियार हो जायगा इस बात का भी वह कानून के अलावा किसी वाकयात के मामले के ऊपर देख कर अगर समझे कोई गलती हो गई है, कोई उसमें वह मदाखलत कर सकता हो वह करे। तो मतलब यह हुआ कि यह बिल वह है जिसकी सब तरफ से मांग की गयी थी, उस मांग को पूरा करने वाला है और इसके सिवा इस बिल के अन्दर कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं हाउस इसको मंजूर करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ इस अधिकार के साथ एक प्रवर समिति को भेजा जाय कि वह मूल अधिनियम के दूसरे खंडों में भी जो प्रस्तावित नहीं हैं, संशोधन कर सकती है।"

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। जनाब वाला, जो हमारे नियम हैं, अमेंडमेंट के मुताल्लिक, उसकी रू से यह संशोधन जो है यह खिलाफ कायदा है। उसमें लिखा है, शायद १७७ है वह रूल, उसमें लिखा है कि कोई संशोधन ऐसा नहीं हो सकता है जो संशोधन के मूल से, जिसमें वह संशोधन किया जाता है, उससे इनकांसिस्टेंट का लफ्ज तो मैं अंग्रेजी का कहता हूं, अब हिन्दी का क्या होगा मैं समझा नहीं क्या होगा, लेकिन उसमें इन्कांसिस्टेंट का लफ्ज है। तो मेरे नजदीक यह जो संशोधन अब पेश हुआ है यह उससे इर्रेलीवेंट है। जो सबजेक्ट मैटर है मोशन क. उससे इर्रेलीवेंट है। इर्रेलीवेंट चीज पेश नहीं हो सकती और अमेंडमेंट के जरिये से नहीं आ सकती है। इसलिये मैं एतराज करता हूं यह मंजूरी के काबिल नहीं है, इर्रेलीवेंट है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक प्रश्न वित्त मंत्री जी ने उठाया है उसमें मुझे कोई वजन नहीं मालूम होता। चुंकि स्वयं उन्होंने शब्द के अभाव में अंग्रेजी शब्द इन्कांसिस्टेंट और दूसरा अंग्रेजी शब्द इरलीवेंट इस्तेमाल किया है। इस मेरे संशोधन में कोई चीज मूल प्रस्ताव से न तो इन्कांसिस्टेंट है और न इर्रेलीवेंट है। संशोधन में केवल यह कहा गया है कि वह एक प्रवर समिति को भेजा जाय। जो विधेयक है उसको, तो वह विधेयक प्रवर समिति को भेजे जाने वाली बात इन्कांस्टेंट और इर्रेलीवेंट होती नहीं। यह वह मूल अधिनियम के दूसरे खंडों में भी जो प्रस्तावित नहीं हैं संशोधन कर सकती है। केवल इस बात के बारे में एतराज मंत्री जी को हो सकता है। लेकिन वह इन्कांसिस्टेंट और इर्रेलीवेंट

तो है नहीं, वह अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि वह इसके स्कोप को वाइडिन करता है। जितना विधेयक पेश किया गया है उस विधेयक तक ही सीमित अधिकार नहीं दिया गया है, इसमें मूल विधेयक के खंडों को भी देखने का अधिकार प्रवर समिति को दिया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इससे पहले जहां तक मुझे याद है इसका एक सवाल आया था और स्वयं मैंने यह कहा था कि पहले पुराना नियम यह था, जब तक कि यह नियम नहीं बने थे कि किसी बिल के स्कोप को किसी अमेंडमेंट से वाइडिन नहीं किया जा सकता। मैंने एतराज किया था वाइडिन क्यों किया जा रहा है, इसके विरुद्ध है, तो यह कहा गया था उन नियमों में इस प्रकार की अब मनाही नहीं रह गयी जो नियम अब चालू हैं। इसलिये मैं यह संशोधन लाया हूं और मैं समझता हूं ठीक है।

इसके अलावा दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि इस बात का निर्णय तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी अनुज्ञा से करेंगे कि यह इर्रेलिवेंट और इन्कांस्टेंट है या नहीं और यह वाइडिन भी हो सकता है या नहीं लेकिन अगर आपकी अनुज्ञा यह होगी कि वाइडिन नहीं हो सकता है तो यह प्रवर समिति को भेजा जाय, केवल इतना संशोधन मैं उपस्थित करूंगा।

श्री अध्यक्ष—जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है उसमें प्रक्रिया नियमावली का नियम १७७ मेरे सामने उपस्थित किया गया है जो अमेंडमेंट्स के बारे में है कि कौन-कौन से संशोधन स्वीकार किये जा सकते हैं और उसमें यह आपत्ति की गयी है कि यह इन्कांसिस्टेंट है या इर्रेलिवेंट है यानी असंगत है। और इसमें असंगति क्या है वह केवल जो बताया गया वह यह है कि यह संशोधन विधेयक की परिधि बढ़ाता है यही वित्त मंत्री जी की आपत्ति का तात्पर्य था कि परिधि बढ़ाने से यह इन्कांसिस्टेंट है। लेकिन परिधि बढ़ाना यह दूसरी चीज है और असंगत होना यह दूसरी चीज है। असंगतता तो मैं उसमें कोई देखता नहीं हूं, क्योंकि संशोधनों के बारे में नियम १७७ में जो असंगतता बतायी गयी है उसमें दूसरे किस्म की असंगतता का जिक्र है, यानी खंडों के संशोधन में कोई संशोधन ऐसा हो जो कि मूल खंड को सामने रखते हुए उससे असंगत पड़ता हो उसके सम्बन्ध में वह नियम लागू होता है। प्रवर समिति में भेजने के संशोधन के बारे में जो नियम लागू है वह यह है किसी विधेयक पर विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव आये तो ९७ नियम लागू होता है उस वक्त उसके सिद्धान्तों पर विचार हो सकता है और ऐसा अगर प्रस्ताव सदन के सामने मौजूद है तो जो संशोधन उस पर उपस्थित हो सकते हैं वह दो प्रकार के हो सकते हैं या तो प्रवर समिति में भेजने के लिये या जनमतसंग्रह करने के लिये। इसके पहले जो बहुत से निर्णय इस बात के हो चुके हैं कि स्कोप बढ़ाने वाला संशोधन उपस्थित नहीं होना चाहिये। वे निर्णय उन संशोधनों के बारे में थे जो खंडों पर लाये गये थे। खंड पर विचार शुरू होने के बाद विधेयक का स्कोप बढ़ाने वाला कोई संशोधन बीच में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि विधेयक के सिद्धांत स्वीकृत हो चुके होते हैं। अगर पहले विचार करते वक्त ही प्रवर समिति के पास भेजने के लिये जब संशोधन दिया जाता है उस वक्त यह प्रश्न रखा जाय कि इसका स्कोप बढ़ाया जाय तो यह निश्चय सदन ही करेगा कि स्कोप बढ़ाया जाय या नहीं बढ़ाया जाय। इसके लिये इस सदन में वही प्रथा रही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की है। वह सफा ४७८ पर मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में दी हुई है "इंस्ट्रक्शंस" की हेडिंग में—

"On the order of the day being read for the House to be put into committee on a bill the opportunity occurs of moving an instruction to the Committee".

यानी जैसे प्रवर समिति को देते समय उसे इंस्ट्रक्शंस भी सदन दे सकता है। उस इंस्ट्रक्शंस के सिलसिले में कहता है कि यह भी उसमें इंस्ट्रक्शंन हो सकता है कि—

"to divide a bill into two bills (*b*) to consolidate two bills into one (*c*) or to extend the scope of a bill".

तो स्कोप एक्सटेंड करने के लिये भी इंस्ट्रक्शंन सदन दे सकता है कि प्रवर समिति को विधेयक का स्कोप बढ़ाने का अधिकार सदन देता है। इसलिये जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं उसको समझता हूं कि वह अवैधानिक नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

अब माननीय पालीवाल जी बाद में अपना भाषण जारी रखेंगे। क्योंकि अब समय हो गया, अब हम उठते हैं और २–२० मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री व्रजविहारी मिश्र की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसकी आवश्यकता को और उपादेयता को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जरूरी है कि मूल बिक्री-कर और हाल में किया हुआ उसका संशोधन जो अब ऐक्ट हो गया है वह जनता के बहुत तीव्र विरोध के बावजूद स्वीकार किया गया और जल्दी में पास किया गया, इसलिए उससे उत्पन्न तमाम परिस्थितियों की पृष्ठ-भूमि में मेरे इस संशोधन को देखना होगा। इस संशोधन में यह कहा गया है, संशोधन के शब्द ये हैं कि एक प्रवर समिति को भेजा जाय कि वह मूल अधिनियम के दूसरे खंडों में भी, जो प्रस्तावित नहीं है, संशोधन कर सकती है। इसलिए अपने संशोधन की आवश्यकता सदन को समझाने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं यह बताऊं कि अधिनियम के दूसरे खंडों में संशोधन की आवश्यकता क्यों है।

यह माननीय अधिष्ठाता जी आपको और सदन को अच्छी तरह से मालूम है कि इस बात का सबसे पहला सबूत कि वह अधिनियम जल्दी में पास किया गया, यह संशोधन जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया है, वह स्वयं है। इस संशोधन के उद्देश्य और कारणों को पढ़ने से यह मालूम होता है कि सरकार ने उस अधिनियम को यहां से स्वीकार कराते समय ऐसी-ऐसी गलतियां कीं कि मूल अधिनियम में जो अच्छाइयां थीं उनमें भी गलत संशोधन किये गये और उन गलतियों का अनुभव कि हमने गलती की है, इस सदन में सरकार को नहीं हुआ, सदन के वाद-विवाद से नहीं हुआ, कई महीने के बाद, जनता की पुकार के बाद अब सरकार को यह अनुभव हो रहा है कि उन्होंने जो संशोधन मूल अधिनियम में किया था वह गलत था। सबूत उसका यह कि माननीय अधिष्ठाता जी, कि "संशोधित उपधारा (३) के अधीन केवल विधिक प्रश्न के सम्बन्ध में ही पुनरीक्षण की प्रार्थना स्वीकार की जा सकती थी"। यानी पहले तो यह था कि तथ्य और विधिक दोनों प्रकार के मामलों में पुनरीक्षण की प्रार्थना की जा सकती थी, यह मूल अधिनियम में था। संशोधन यह कर दिया गया कि तथ्य सम्बन्धी प्रार्थना नहीं स्वीकार की जा सकती, केवल विधिक प्रार्थना हो सकती है। अब यह अनुभव किया गया है कि तथ्य सम्बन्धी प्रार्थना की जो मनाही की गयी थी संशोधन द्वारा, वह गलत थी और मूल अधिनियम जैसा था, वैसा ही कर देना चाहिये और विधि सम्बन्धी ही नहीं, तथ्य संबंधी भी प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिये। तो यह संशोधन स्वयं इस बात का सबूत है कि जो अधिनियम इस समय बना है पहले मूल अधिनियम को संशोधित करके, उसमें ऐसी-ऐसी गलतियां की गयी हैं जिससे जनता को भारी हानि पहुंच रही है और उसके संशोधन की आवश्यकता सरकार भी अपने ढंग से धीरे-धीरे जनता को काफी हैरान और परेशान करने के बाद अनुभव करती है, और जैसा कि संसार भर में सरकारों का कायदा है अपनी धीमी गति से उस काम को करती हैं और तब तक जनता को वह सब कष्ट और हानियां उठानी पड़ती हैं जो गलत अधिनियम बन जाने के कारण होती हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, आज भी सुबह सरकार की ओर से हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित किया। यह इस बात का सरकार की तरफ से दूसरा सबूत है कि सरकार इसमें संशोधनों की आवश्यकता को स्वयं अनुभव करती है। एक संशोधन सरकार कल लायी थी, दूसरा आज ले आयी है और

मुमकिन है कल तीसरा सरकार की तरफ से संशोधन आ जाय। यह बयान स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने दिया है कि वह ६ तारीख को इस पर एक बयान देने वाले हैं। यह तीनों काम जो सरकार की ओर से किये गये हैं, मेरे संशोधन की अनिवार्यता को, आवश्यकता को और उपादेयता को सिद्ध करते हैं कि अधिनियम के तमाम खंडों में इस बात के विचार करने की जरूरत है कि उनमें क्या-क्या संशोधन होने चाहिये और एक ऐसा विधेयक प्रवर समिति के संशोधनों के बाद लाना चाहिये जिससे हर रोज यह संशोधन विधेयक न लाना पड़े।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मई के महीने में, जो अधिनियम इस समय काम में आ रहा है, उस पर वाद-विवाद हो रहा था तो उस समय वित्त मंत्री महोदय ने सदन को और जनता को यह आश्वासन दिया था कि ६ महीने में वह एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाने वाले हैं, जिसमें एक सूत्रीय बिक्री-कर होगा और ३० हजार से कम पर बिक्री कर नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से यह चारों काम ऐसे हुये हैं जो साबित करते हैं कि मैंने जो संशोधन पेश किया है, वह स्वयं सरकार को स्वीकार करना चाहिये। सरकार इस काम को पीस-मील तरीके से करना चाहती है", आज एक संशोधन ले आयी और कल दूसरा ले आयी। लेकिन मेरा संशोधन कहता है कि इस काम को एक व्यवस्थित ढंग से किया जाय। प्लानिंग योजना को सरकार बहुत मानती है और यह योजना सरकार का वेद मंत्र बन गयी है, इसमें कायदे के साथ संशोधन किये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा, यह बात मेरा संशोधन कहता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता से सरकार इन्कार नहीं कर सकेगी और इसे स्वीकार कर लेगी।

माननीय अधिष्ठाता जी, इस बात को बताने के लिये कि मूल अधिनियम में क्या-क्या खराबियां हैं जिनकी वजह से इसके दूसरे खंडों में जो प्रस्तावित नहीं है, मेरे संशोधन का कहना है कि उनमें संशोधनों की आवश्यकता है। मैं दो एक मोटी-मोटी बातों पर आपके द्वारा सदन और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह मोटी-मोटी बातें यह हैं। पहली बात तो यह है कि जो गल्ले पर और खाद्यान्नों पर टैक्स लगा हुआ है, उसके विरुद्ध जनता में घोर आन्दोलन हो रहा है। वह इस प्रकार का टैक्स है कि इसकी वजह से देश की गरीब से गरीब जनता पर प्रभाव पड़ता है। मैं यह मानता हूं अधिष्ठाता महोदय, कि आम तौर पर विवादों में यह देखा जाता है कि विरोधी पक्ष की बात स्वीकार नहीं की जाती है और तथ्यों से भी इन्कार कर दिया जाता है। इसलिये मैं अपने कथन के पक्ष में सरकारी पक्ष का प्रमाण दे रहा हूं। वह यह है कि १७ जुलाई को लोक सभा में केन्द्रीय सरकार के खाद्य मिनिस्टर श्री अजितप्रसाद जैन ने अपने भाषण में यह कहा था, वह अंग्रेजी में भाषण था, वह सुनाये देता हूं, इसके बाद हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

"The food comprises seventy per cent of the family budget in the case of labour, lower and average middle class people"

यह १७ जुलाई को पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि जो परिवारिक बजट जनता का होता है उसमें से मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग हैं, इन तीनों वर्गों के लोगों का अपने पारिवारिक बजट का ७० फीसदी हिस्सा खाद्य पदार्थों में रहता है यानी वह अगर १०० रुपये खर्च करते हैं महीने भर में, तो उसमें से ७० रुपये खाद्य पदार्थों में खर्च करते हैं। और यह जाहिर है कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और मजदूर वर्ग मिल कर करीब-करीब देश की समूची जनता हो जाते हैं, थोड़े से विशेषाधिकार सम्पन्न लोगों को छोड़ करके बाकी ९० फी सदी इन तीन वर्गों में आ जाते हैं। तो ९० फीसदी जनता का ७० फीसदी फैमिली बजट केवल एक टैक्स से प्रभावित होता है जो खाद्य पदार्थों पर लगा हुआ टैक्स है उससे। मेरा निवेदन यह है कि यह इस तरह का टैक्स लगाना, खास तौर से गल्ले पर, कपड़े की बात भी उसमें आ जाती है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन गल्ले पर टैक्स लगाना एक ऐसा टैक्स है जो अगर भावना को छोड़ दिया जाय तो नमक टैक्स से भी अधिक हानिकर और अधिक अन्यायपूर्ण है, क्योंकि आदमी एक समय रूखी रोटी से तो काम चला सकता

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

हैं लेकिन कम से कम आधा सेर गल्ले के बिना कोई भी आदमी जीवित नहीं रह सकता है। उसक ऊपर भी टैक्स लगाना सर्वथा अन्यायपूर्ण है।

दलील यह दी जाती थी कि जो यज्ञ हम कर रहे हैं विकास का, निर्माण का, उस यज्ञ में हम सबसे आहुति लेना चाहते हैं और इसलिये गरीबों का भी हम आवाहन करते हैं कि वे भी अपनी आहुति दें। मेरा निवेदन यह है कि मैं एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार माननीय वित्त मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि—

"Equality between unequals is the greatest inequality"

इस संसार में सब से बड़ी असमानता यह है कि जो बराबर नहीं हैं उनसे समान टैक्स लिया जाय। जिसकी आमदनी २५ रुपये महीने की है उससे भी उतना टैक्स लिया जाय और जिसकी आमदनी २५ लाख रुपये माहवार की है उससे भी उतना टैक्स लिया जाय और यह कहा जाय कि हम राष्ट्रीय यज्ञ में सबसे समान आहुति लेना चाहते हैं, त्याग में हम जरूर समानता चाहते हैं, लेकिन भोग में समानता नहीं रहेगी, वहां समाजमें असमानता रहेगी तो यह सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं है। कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की, जन कल्याण की बातें कही जाती हैं, सरकार का नाम वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, समाजवाद का नाम लिया जाता है, लेकिन माननीय अधिष्ठाता जी, आज से करीब ३६ वर्ष पहले जब सन् १९२०-२१ में एम०ए० ओ० कालेज, अलीगढ़ में मैं एम० ए० में एकोनामिक्स पढ़ रहा था तब मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उस पुस्तक का नाम भी संयोग से है "Economics of welfare" by Prof. A.C. Pegu." यानी जन कल्याण का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जैसे शुष्क विषय के एक आचार्य ने राष्ट्र सम्पत्ति से जनकल्याण का क्या सम्बन्ध है इस बात पर विचार करते हुये हर चीज का विषद् विश्लेषण करके, कम्पलीट एनालिसिस के बाद और हर बात का प्रचुर प्रमाण देने के बाद उसमें उसने एक वाक्य कहा है जिसकी तरफ मैं वित्त मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह वाक्य है—

"That transference of wealth from relatively rich to relatively poor increases national happiness, national welfare."

उसका कहना यह है कि अगर राष्ट्र की सम्पत्ति का विभाजन इस तरह से हो कि जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सम्पत्तिवान हैं उनकी सम्पत्ति तुलनात्मक दृष्टि से कम सम्पत्ति वाले लोगों के पास पहुंचे तो इससे राष्ट्र का कल्याण अधिक होगा, राष्ट्रीय सुख बढ़ेगा, राष्ट्र को लाभ पहुंचेगा। और अर्थ शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार जिसको संसार के अर्थ शास्त्रियों ने माना है, आचार्य की दलील यह है कि—

"Marginal utility of money to the poor is greater than the marginal utility of money to the rich."

यानी रुपये की उपयोगिता, रुपये की जरूरत गरीब को जितनी है उतनी अमीर को नहीं है। इसलिये अगर रुपया गरीब के पास पहुंचता है तो उससे राष्ट्र का हित बढ़ता है, राष्ट्र का सुख बढ़ता है और अगर अमीर अधिक अमीर होते जाते हैं और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं तो राष्ट्र का अहित होता है, जनकल्याण नहीं होता, जनता का अमंगल होता है, मंगल नहीं होता और एक माने में तो कल्याण जरूर हो सकता है। माननीय अधिष्ठाता जी, आप यह जानते होंगे कि हिन्दी में कल्याण शब्द का अर्थ एक दूसरे विपरीत अर्थ में लगता है। यानी अगर कहें कि उसका कल्याण हो गया तो उसका अर्थ हुआ उसका काम समाप्त हो गया, वह बर्बाद हो गया या मर गया। इस अर्थ में तो उसका कल्याण भले ही हो जाय, लेकिन जनता का असली कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिये मैं माननीय अधिष्ठाता जी यह कह रहा हूं कि इस तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिये। मुझे खुशी है और मैं इस बात के लिये तो हृदय से सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि मेरा यह नियम

रहा है कि सरकार जो भी अच्छा काम करे उसका समर्थन करूं और मुक्त हृदय से उसके लिये धन्यवाद और बधाई दूं लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि सरकार अगर गलत काम करे तो भी उसका समर्थन करूं। अक्सर इस सदन में एक वाक्य कहते हुये मैंने सुना है कि विरोध के लिये विरोध नहीं होना चाहिये। प्रत्यक्ष रूप से यह सही है यह मैं मानता हूं लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों द्वारा हर चीज का समर्थन के लिये समर्थन भी सराहनीय है। अगर विरोधी दल के लिये विरोध बुरा है तो समर्थन के लिये समर्थन भी सराहनीय नहीं है बल्कि संसार में सदाचार और सब बातों पर हमने जो कुछ धर्मों के बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है और राष्ट्र के बापू ने भी तो हमें शिक्षा दी थी कि सत्ता का समर्थन ज्यादा अच्छा नहीं है। विरोध के लिये विरोध बुरी चीज हो सकती है। विरोध की आवश्यकता जनतंत्र में इस हद तक मानी जाती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंगलैंड में विरोधी दल के नेता को वेतन मिलता है विरोध करने के लिये और हमारे देश में हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी नेहरू यह कहते हुये कभी नहीं थकते कि देश में जनतंत्र की सफलता के लिये विरोधी दल और सबल विरोधी दल की आवश्यकता है। तो विरोध के बिना तो जनतंत्र की गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिये अगर उसकी अति भी हो जाय और विरोध के लिये विरोध भी हो तो वह क्षम्य हो सकती ह, लेकिन समर्थन के लिये समर्थन की अति वह उससे भी बुरी चीज है। केवल इतना कह कर मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूं।

गल्ले के सम्बन्ध में जनता को असंतोष है, और जो विरोधी है वह विभिन्न प्रदर्शनों द्वारा प्रत्यक्ष हो चुका है। मैं समझता हूं कि सरकार को यह मालूम होगा कि २ जुलाई को आगरा में उत्तर प्रदेशीय व्यापारी संघ का सम्मेलन हुआ था, उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारी-वर्ग के प्रतिनिधि वहाँ सम्मिलित हुये थे। तो उन व्यापारियों ने जो प्रस्ताव पास किये वह मैं आप के सामने इसलिये रखता हूं कि उससे मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसका स्पष्टीकरण हो जायगा। इसमें यह भी बता दूं कि सरकार ने आज जो संशोधन पेश किया है उसमें सरकार ने जो व्यापारी मंडल ने दूसरा प्रस्ताव पास किया है उसको मान लिया है यानी यह ऐसे भी नहीं है जिनकी उपेक्षा की जा सके। वे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको सरकार को स्वयं मानना पड़ता है और इस आज के प्रस्ताव द्वारा माना है। वह प्रस्ताव मैं पढ़ता हूं। उसमें कहा गया है:—

> "यह सभा सर्वसम्मति से राज्य सरकार से मांग करती है कि यह रेविजन (निगरानी) के नियमों में अनुचित परिवर्तन किया गया है उसमें पुनः सुधार करके बिक्री-कर अधिकारियों के फैसले के विरुद्ध तथ्य (फैक्ट्स) के सम्बन्ध में निगरानी की पूर्ण सुविधा दे।"

और इस अनुचित परिवर्तन को आज उद्देश्य और कारणों में सरकार ने स्वयं माना है। तो यह दूसरा प्रस्ताव व्यापार मंडल का है जिसको आज इस संशोधक विधेयक के द्वारा सरकार ने रखा है। तो जिस व्यापार मंडल ने ऐसे अच्छे प्रस्ताव दिये हैं उसके दूसरे प्रस्ताव ऐसे अवश्य होंगे, जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। उनका पहला प्रस्ताव यह है :—

> "यह सभा सर्वसम्मित से निश्चय करती है तथा राज्य सरकार से मांग करती है कि जीवन की नितान्त आवश्यक वस्तुओं जैसे गल्ला, कपड़ा, मिट्टी का तेल इत्यादि पर से नया लगा और बढ़ा हुआ कर अविलम्ब हटावे।"

इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो बात मेरे संशोधन में है वह भी इस प्रस्ताव में है।

इस व्यापारी मंडल का तीसरा प्रस्ताव यह है कि "यह सभा बिक्री-कर के संबंध में राज्य सरकार की ढुलमुल नीति का तीव्र विरोध करती है", ढुलमुल नीति यह है कि आज एक संशोधन आया, कल दूसरा आया, परसों तीसरा आया, इस तरह से किसी जगह हम कायम नहीं रहते, "और उससे मांग करती है कि सरकार जनभावना का आदर करते हुए विधेयक में समुचित संशोधन अविलम्ब करे"। तो यह जो व्यापारी मंडल के तीसरे प्रस्ताव में मांग की गई है वह मांग मेरे इस संशोधन की है जो मैंने इस सदन के सामने पेश किया है।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात मैंने अभी सिर्फ गल्ले, अन्न, के सम्बन्ध में कही। अब कपड़े के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बातों की तरफ सदन का और माननीय वित्त मंत्री जी का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जब प्रदेश के कपड़े के व्यापारियों को यह मालूम हुआ कि सरकार कपड़े पर सेल्स टैक्स के बजाय उत्पादन कर लगाना चाहती है, प्रोडेक्शन टैक्स लगाना चाहती है तो इस पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और उसका स्वागत किया। लेकिन जब उनको यह मालूम हुआ कि सरकार ने इस विचार को छोड़ दिया है, उसका ऐसा विचार नहीं है, उनको यह गलत ख़बर मिली थी तो उनको जितनी खुशी हुई थी उतनी ही तीव्र निराशा उनको हुई। क्योंकि यह तो विज्ञान का माना हुआ सिद्धान्त है कि "ऐक्शन ऐंड रिऐक्शन आर ईक्वल ऐण्ड अपोजिट", तो जितनी खुशी हुई थी उतना ही रंज हुआ और निराशा हुई और यह मानी हुई बात है कि आज के समय में हमारे प्रदेश में कपड़े पर, गल्ले पर जो टैक्स लगा हुआ है बिक्री-कर का, इन टैक्सों को अगर शीघ्र ही नहीं हटाया जाता है तो हमारे प्रदेश का कपड़ और गल्ले का व्यापार चौपट हो जायगा और यह चौपट हो रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आगरा वस्त्र व्यापार सम्मेलन तारीख़ १ जुलाई, १९५६ को हुआ था। उसमें कुछ व्यापारी यहां तक कहते हैं कि इस बिक्री-कर की वजह से जो व्यापारी ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है उसके लिये अपने व्यापार को चलाना कम्पेटीशन में असंभव हो गया है। उसका कारण यह है कि जो व्यापारी सेल्स टैक्स की चोरी सफलतापूर्वक कर लेते हैं वह मजे में रहते हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं खरीदारों से उनके यहां माल मंहगा बिकता है और इस कारण खरीदार उन के यहां आते नहीं और इस तरह से उनका व्यापार चौपट हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि जो सीमा मुकर्रर की जाती है, जिसको अभी १२,००० रु० कर दिया गया है एक संशोधन को पेश करके, उसमें भी दिक्क़त यह है कि जिसकी बिक्री १२,००० रु० तक होती है उससे तो सेल्स टैक्स बिलकुल नहीं लिया जाता, लेकिन जिसकी बिक्री १२,००१ रुपया हो जाती है उस से टैक्स लिया जाता है और जब उससे टैक्स लिया जायगा तो उसके यहां का माल मंहगा बिकेगा। परिणाम यह होगा कि उसका व्यापार चौपट हो जायगा सिर्फ एक रुपये के फर्क से यानी बारह हजार और बारह हजार एक में इतना अन्तर हो जायगा कि दूसरा आदमी ईमानदारी से अपना व्यापार नहीं चला सकेगा। यह तो गल्ले और कपड़े के टैक्स की सीमा की बात हुई।

तीसरी बात जो अर्न्तप्रान्तीय व्यापार की है उसकी वजह से कुछ और भी नुक्सान हमें हो रहा है। हमारे प्रदेश के व्यापारियों में, मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ आदि शहरों के व्यापारी आमतौर से देहली से माल लाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां के मुकाबले में दिल्ली में डेढ़ आना प्रति रुपया माल सस्ता पड़ेगा। इसलिये यहां का व्यापार चौपट हो रहा है और हो जायगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। इसी तरह से कपड़े पर जो एक आना बिक्री-कर लगेगा इसके अतिरिक्त चुंगी का खर्चा भी पड़ेगा और दूसरी तरह के खर्चे भी पड़ेंगे जो एक आना के बजाय २ आना हो जाता है, जो जनता के लिये असह्य हो जाता है। इसलिये इस समस्या पर सरकार को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और ध्यानपूर्वक विचार कर के संशोधन इस प्रकार से लाना चाहिये जिससे इन कठिनाइयों का कोई पूरा हल निकल सके। और अगर यह कठिनाई दूर नहीं होती है जैसा कि मैंने बताया खास तौर से व्यापार के सम्बन्ध में कपड़े और गल्ले के सम्बन्ध में तो हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी, जिससे जनता का कल्याण होने के बजाय अकल्याण होगा और सब तरह से जनता की हानि होगी। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि आज जो सरकार ने तीसरा संशोधन विधेयक सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में उपस्थित किया है उसको कुछ दिन और विचार करने के लिये समिति में भेज दें। ६ तारीख को सरकार एक बयान देने वाली है और अब तो

६ महीने के पौने ४ महीने हो गये हैं और ७ तारीख के बाद यह अधिवशन भी चलने वाला नहीं है। तो अक्तूबर में जब हम यहां पर बैठे तो उस समय सरकार को एक नया बिल लाना चाहिये। तब तक उस कम्प्रिहेन्सिव बिल की बात भी हो जानी चाहिये। इसलिये इन सब बातों पर विचार करने के लिये इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो उसकी रिपोर्ट आवे उस पर विचार किया जाय। मैंने उसकी तारीख कोई नहीं रखी है। उसका कारण यह है कि इसका निर्णय मैंने सरकार पर छोड़ दिया है। मेरी कोई मन्शा इस बात की नहीं है कि सरकार के काम में अड़ंगा लगाया जाय। इसलिये मैं इस बात के लिए छूट सरकार को दे देता हूं। कि अगर वह समझती है कि ज्यादा दिनों तक टालने से जनता या सरकार को हानि होगी तो सरकार थोड़ा समय रख ले। वह कम से कम समय रख सकती है। ६ तारीख को आपका बयान हो जाने के बाद उसके प्रकाश में बिक्री कर विधेयक में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है और फिर यदि सदन उन पर कोई संशोधन करना चाहता है तो वह कर सकता है। इन सब बातों पर समग्र दृष्टि से, एक व्यापक रूप से विचार हो सकेगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि इस संशोधन को सरकार स्वीकार कर ले। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मन्शा किसी तरह से इस विधान सभा के कार्य में बाधा डालने की नहीं है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ अपने इस संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। यह बिक्री-कर विधेयक जो है वह बहुत ही अहम और इतना इम्पार्टेन्ट विधेयक है कि इसका असर इस प्रान्त के हर व्यक्ति पर पड़ता है और अधिक असर तो इस प्रान्त के बसने वाले गरीबों पर ही पड़ा है, इसलिये मैं चाहता हूं जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने निवेदन किया है कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय और उस समिति को यह भी अधिकार दिया जाय कि वह इसका स्कोप बढ़ा दे और दूसरी धाराओं पर भी वह विचार कर ले। यों तो जहां तक सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है सरकार की तरफ से यह दलील पैदा होना कि जब कोई दिक्कत महसूस हो तो इस प्रकार की तरमीम लाना नामुनासिब बात नहीं होगी और उस सिद्धांत को मानते हुये कोई संशोधन करना नामुनासिब बात नहीं है लेकिन मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस तरह से जल्दबाजी में कोई कानून बनाकर इस दलील के मातहत तरमीम करना भी कोई मुनासिब बात नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि संशोधन हों और यह संशोधन अच्छा भी है, उनको यह भी सोचना चाहिये कि जब से बिक्री-कर अध्यादेश जारी हुआ तब से जितनी भी कठिनाइयां लोगों के सामने पेश आयीं, लोगों ने प्रस्तावों, हड़तालों और सत्याग्रहों द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट किया। उन सभी बातों पर विचार करने के लिये यदि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो अच्छा कानून बन सकता है। बिक्री-कर का अधिक बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। यह बेइंसाफी की बात है। अच्छी सरकारों को, जो अपने को जनता की जन-प्रिय और जनतांत्रिक कहती हैं उनको चाहिये कि टैक्स का बोझ जितनी गरीबी बढ़ती जाय उतना घटे, न कि और अधिक पड़े। अगर इस कसौटी पर हम बिक्री-कर विधेयक या कानूनों को देखें तो मैं कह सकता हूं कि इस टैक्स का बोझ गरीबों पर अधिक पड़ रहा है। अनाज, भोजन या रोटी, कपड़ा, आटा, दाल, चावल का खर्चा गरीबों के यहां अधिक है। उसके यहां पेट भरने के लिये केवल ये ही चीजें काम में लायी जाती हैं। इसके विपरीत धनिकों के यहां फल, गोश्त, अंडा, मक्खन, दूध, दही, इत्यादि हैं जिससे उनके ऊपर टैक्स कम पड़ता है। यह बात माने हुये अर्थ शास्त्रों के सिद्धांत के बिलकुल विपरीत है। इसमें सब से बड़ी विशेषता यह है कि यह इनडाइरेक्ट टैक्स है।

सरकार को अपनी आमदनी निश्चित नहीं होती है, वह कोई भी टार्गेट निश्चित कर दे कि वह इतना रुपया चाहती है। हो सकता है कि उसके अनुसार ही आमदनी हो जाय और यह भी हो सकता है कि न हो और ग़रीब लोग ज्यादा पिस जावें। इनडाइरेक्ट टैक्स में गरीबों पर अधिक बोझ पड़ता है। तमाम तरह-तरह की बेईमानियां होती हैं। बड़े-बड़े दुकानदारों

[श्री रामसेवक यादव]

ने अपने बहीखातों को छिपाना शुरू कर दिया है । नतीजा यह होता है कि जिनकी पहुंच होती है, जो कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, उनका टैक्स बच जाता है । उसके विपरीत छोटे-छोटे दूकानदारों को इस टैक्स का शिकार होना पड़ता है । आज यह देखा जा रहा है कि छोटे-छोटे धंधे करने वालों के नाम सरकार के अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिये, चाहे किसी की आमदनी बिलकुल कम हो । बमुश्किल तमाम जीविका चलती है लेकिन सरकार के नौकरों ने सबके नाम फरमान जारी कर दिये हैं और जब वे सेल्स टैक्स के आफिस में आते हैं तो सौदाबाजी होती है और उन बेचारों को तमाम रुपया देना पड़ता है और कठिनाई भी होती है, सरकार को आमदनी नहीं होती है परन्तु उन लोगों के घर से अच्छी खासी रकम निकल जाया करती है ।

हम इस कानून का इतनी जल्दी–जल्दी संशोधन करते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? सरकार को चाहिये कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये कोई ऐसा तरीका निकाले, जिससे इसमें करप्शन न बढ़े, सरकार की भी मंशा है कि करप्शन दूर हो और हम भी यही चाहते हैं सरकार सोचे कि कोई डाइरेक्ट तरीका निकाला जा सके और कोई नया विधेयक लाया जाय जैसा कि सरकार की भी मंशा है । ६ महीने के बाद दूसरा विधेयक लाने का सरकार ने भी वायदा किया था । अगर वह ऐसा करे तो अच्छा होगा । इस तरह से छोटे–छोटे संशोधनों को लाने से सरकार का भी मंशा पूरा नहीं होगा और जनता पर भी बोझ पड़ जायगा । सरकार ने यह वायदा किया था और यह ऐलान किया था कि सरकार कोई ऐसा उपाय सोचकर लागू करेगी जिससे अनाजों पर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगे, लेकिन आज तक कोई ऐसी चीज नहीं की गयी । यहां हम लोग तो विधायक निवास में रहते हैं लेकिन जो लोग होटलों में खाना खाते हैं उनके भोजन पर भी टैक्स पड़ जाता है । ये सब दिक्कतें इसमें हैं । इस तरह से जो यह तबाही लाने वाला कानून है, उसमें फिर से संशोधन किया जाय तथा उसको करने के लिये उसे प्रवर समिति को सुपुर्द करके यह आदेश दिये जायं कि उस पर पूर्णरूप से विचार करके उसके रूप को वह बढ़ा सकें तथा उसकी एक ऐसी रचना हो जिससे सरकार की भी मंशा हल हो सके और गरीबों पर भी बोझ न पड़े । इसलिये मैं माननीय पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द करे ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध इस कारण से करता हूं कि जो बिल हमारे सामने पेश है वह केवल ३ खंडों का है । पहला खंड तो केवल इस बिल के नाम को देता है । इस प्रकार असल में २ ही खंड हैं जिन पर हमें विचार करना है और यह दोनों खंड इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर थोड़ी सी देर और भी हो जायगी तो जिन व्यापारियों की दुहाई माननीय पालीवाल जी ने दी है, उनका अहित हो जायगा । मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस समय ५६ का संशोधन पेश किया गया था तो व्यापारीवर्ग की ओर से यह रिप्रेजेन्टेशन हुआ था कि इसमें सन् ४८ के ऐक्ट के मुताबिक ही पुनरीक्षण की धारा रख दी जाय जैसी कि माननीय मंत्री जी ने आज बिल के द्वारा रक्खी है । मुझे इसकी प्रसन्नता है और मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं कि इस शब्दावली से जो इन दो खंडों में रक्खी गयी है, उससे अधिक से अधिक जनता और व्यापारिवर्ग का हित होगा । खंड ३ को यदि आप देखेंगे तो उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि रिवाइजिंग अथारिटी के सामने जो मुकदमे पेश होते हैं उनसे व्यापारी वर्ग फायदा उठा सकता है । मैं निवेदन करता हूं कि इनकम टैक्स की धारा ४८ में भी इस प्रकार की शब्दावली रखी गयी है जिस प्रकार की शब्दावली इस विधेयक में दी गयी है । इसीलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि व्यापारिवर्ग का इस धारा से बहुत ही फायदा होगा । इसलिये उसमें देर लगाना अनुचित है । दो खंडों का यह विधेयक है और अगर हम आज और कल अच्छी तरह से इस पर विचार करें तो इसको पास कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त इस विधेयक पर कोई महत्वपूर्ण संशोधन भी नहीं आये हैं । ऐसी स्थिति में इस

विधेयक इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जाना निरर्थक होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय पालीवाल जी के संशोधन का विरोध करता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसका कारण यह है और जैसा कि हम देखते हैं कि यह विधेयक एक ही खंड का विधेयक है और इसमें एक ही धारा के अन्दर संशोधन किया गया है और उसके ऊपर जैसा कि अभी एक साथी ने कहा कि कोई संशोधन किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया। तो केवल उसी के लिये यदि प्रवर समिति में भेजना होता तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब सवाल यह उठ सकता है और जैसा कि जहां उन्होंने इसमें लिखा भी है कि यह अधिकार दे दिया जाय कि मूल अधिनियम के जो और खंड हैं उनमें भी संशोधन किया जाय, अगर ऐसा अधिकार दे भी दिया जाय तब तो मैं समझता हूं कि जिन-जिन खंडों के अन्दर संशोधन होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी और उसका स्कोप इतना ज्यादा बढ़ जायगा कि जिस ध्येय को लेकर इस विधेयक को पेश किया गया है शायद वह ध्येय ही खत्म हो जायगा अपनी जगह पर।

इसके अलावा कुछ साथियों ने जो भाषण दिये उनमें मुझको कुछ ऐसा लगा कि उनकी बहस कुछ बहक सी गयी। कुछ साथियों ने बतलाया कि हमें अन्य खंडों में इसलिये संशोधन करना चाहिये कि सेल्स टैक्स का बोझ गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है और बहुत ज्यादा सेल्स टैक्स है। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने कहीं। मुझे याद पड़ता है कि जिस समय १९५६ का संशोधन विधेयक इस भवन में चल रहा था तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ आइटम्स इस सदन में रखे थे जिसको उन्होंने सेल्स टैक्स से एक्जेम्पट किया था। यह भी सही है कि उन्होंने इस बात का वादा किया था कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा एक दूसरा विधेयक जो काफी बड़ा होगा, कम्प्रीहैंसिव होगा इस भवन में लायेंगे। मुझे यह भी याद पड़ता है कि उन्होंने उस संशोधन विधेयक को पेश करने के लिये कुछ शर्तें भी रखी थीं कि कुछ फारमिलिटीज हैं जो पूरी होनी चाहिये। मिसाल के लिये ग्रेन डीलर्स या और जो व्यापारी हैं जिनकी बिक्री ३० हजार रुपया से ऊपर की होगी या उसकी जो भी सीमा निर्धारित होगी उसके मुताबिक उनको अधिकारियों के सामने रजिस्टर्ड कराना होगा। मगर उसका काम मैं नहीं जानता कि कितना ज्यादा हुआ और वह अब तक पूरा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यह सही है कि हम सब को इस बात की आशा थी कि वह जो कम्प्रीहैंसिव विधेयक है, इस भवन के सामने पेश होगा, लेकिन आज जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि वे ६ तारीख को कोई स्टेटमेंट देने वाले हैं, मैं नहीं जानता कि वे क्या स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उसके अन्दर कोई उस तरह का आभास मिल सके या कोई इशारा हो सके जैसा कि गल्ले पर सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन होने की बात थी और उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था यदि उस तरफ कोई संकेत हो तब भी मैं समझता हूं कि अच्छा है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके अन्दर जो अमेंडमेंट आया है, यह बहुत ही उचित है। हमारे बहुत से साथियों ने इस बात की मांग की थी कि जैसा सन् ४८ के अधिनियम में धारा १० है उसी तरह की धारा संशोधन विधेयक में भी होनी चाहिये थी। एक कमेटी भी बनी थी, उसके जो सदस्य थे उन्होंने भी माननीय मंत्री जी से यह मांग की थी। उस समय उनकी मांग को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया मगर यह कहा था कि मैं सोचूंगा और जो मैं दूसरा संशोधन बिल पेश करूंगा उस समय इसके ऊपर सोच समझ कर जो सरकार का निर्णय होगा उसको रख दूंगा। मगर चूंकि उसके उपस्थित करने में अभी देर है तो यह उचित ही था और उचित ही है कि सरकार इस तरह का संशोधन विधेयक लाती, क्योंकि जिन व्यापारियों का असेसमेंट हो गया है या जिन्होंने अपील की है उनकी अपील पर कोई जजमेंट हो। या तो वह रिवीजन जज यदि कानून में कोई कमी है या कानून में कोई त्रुटि है तब तो उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फैसला कर सकते हैं।

[श्री नवलकिशोर]

मगर जहां तक वाकयात का सम्बन्ध है, उसमें नहीं जा सकते सो यदि यह संशोधन नहीं होगा तो सन् ५६ का जो संशोधन विधेयक है उसके अनुसार व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और वह करना पड़ेगा। इसका तो केवल यह अभिप्राय है कि जो कठिनाई इस समय है उसको दूर कर दिया जाय। तो मैं समझता हूं उसके लिये प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जनता की जो मांग है कि कोई दूसरा बिल लाया जाय मैं समझता हूं उचित ही है और यदि किसी कारणवश अभी बिल पेश नहीं हो सकता है तो यह जो टैक्सेज के बारे में फाइनल नीति है, और खास तौर से गल्ले के बारे में, क्योंकि अभी तक जो छोटे गल्ले के व्यापारी हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी इस बात की है कि सिंगल प्वाइन्ट टैक्स की अभी तक कोई बात उनके सामने नहीं आयी है, सेल्स टैक्स आफिसर को भी इस का ज्ञान नहीं है कि सरकार की इस बारे में क्या स्पष्ट नीति होने वाली है। इसलिये जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है जैसा यह है इसको तो वैसे ही पास कर दिया जाय और ६ तारीख का इंतजार किया जाय कि मंत्री जी अपने स्टेटमेंट में क्या बात कहते हैं। हम आशा करते हैं कि जो कठिनाइयां व्यापारियों को हैं उनको दूर करने की तरफ सरकार का जरूर संकेत होगा।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं माननीय पालीवाल जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सम्मानित सदन में हमने कई बार इस गम्भीर विषय पर अपने विचार प्रकट किये। यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर गम्भीरता से और ध्यानपूर्वक सरकार को सोचना होगा और ऐसा कदम उठाना होगा कि जिस से सूबे की जनता का हित हो सके। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती हैं, वह अधिकार जो सरकार ने अपहरण किये थे अब उन्हीं को वह वापस कर रही है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और उनको बधाई देता हूं लेकिन जहां तक सरकार की बिक्री कर के सम्बन्ध में नीति या पालिसी है उसका मैं घोर विरोधी हूं और माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं और मैं आपकी सरकार को चेतावनी दूंगा कि अगर आपने इस पर बारम्बार विचार नहीं किया और केवल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये, जो कि बन चुकी है कर वसूल किया, और जो आपकी एक लाइन है कि शेखचिल्ली की तरह आप एक चीज करना चाहते हैं उसके लिये आप के पास साधन नहीं हैं और उस योजना के लिये साधन उपलब्ध करने के हेतु जो कदम आप उठा रहे हैं वह अनुचित है और निन्दनीय है। मैंने यह माना कि जीवन का ऊंचा स्तर वांछनीय और कल्याणप्रद है, लेकिन साथ-साथ यह भी सत्य है कि इस तरह के भार को और बोझ को यहां की निर्धन जनता नहीं सह सकती। अगर इस तरह के कर लगाये जाते हैं तो आप उनको अधिक समय तक नहीं चला सकते हैं।

बार-बार संशोधन ला कर हमारे पवित्र और पुनीत संविधान का भी उपहास किया जाता है जब कि दूसरे देशों में शताब्दियों में उसमें संशोधन होते हैं, यह एक हास्यास्पद बात है और निन्दा की बात है, प्रायः हर वर्ष उसमें कोई न कोई संशोधन लाया जाता है। मैं जानता हूं कि इस विषय में वह तर्क देंगे कि डाइनेमिक ही होना चाहिये और स्टेटिक नहीं होना चाहिये और यही दलील मंत्री जी मैं समझता हूं संविधान के सम्बन्ध में कुछ देर में देंगे, लेकिन इन सब चीजों से कुछ लाभ नहीं है, हमें इस सूबे के लिये एक ऐसी नीव रखनी होगी जो वांछनीय और कल्याणकारी हो। जो संशोधन माननीय पालीवाल जी लाये हैं उस के द्वारा इस सरकार को और सदन को यह मौका होगा कि वह बिक्री कर के सम्बन्ध में वहां ऐसे संशोधन ला सकें जिनके बारे में आज तक जनता के विचार में यह बात रही है।

वास्तविकता में, जिनमें महाजन, जनता, कन्ज्यूमर और चाहे प्रोड्यूसर हों, चाहे मैन्यूफैक्चरर हों, उनकी जो भी हस्ती हो, हैसियत हो, एक ऐसी चीज है जिसके लिये हमें यह सोचना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

होगा कि हम उस नीति का अनुसरण करें जिससे कि भविष्य में चल कर ऐसे रास्ते को न अपनाना पड़े जो हमको बारबार छोड़ना पड़ता है। इसमें क्या इनको मिला? पहले उस अधिकार का अपहरण हुआ और थोड़े ही दिन बाद फिर वह अधिकार दिया जा रहा है। यह विधेयक जो आया है यह केवल एक भूल को सुलझाने के लिये है। तो मैं यह समझता हूं जब कि गुत्थियां बहुत उलझी हों जब कि बहुत से ऐसे कारण हों जिन पर हमें गम्भीरता से विचार करना है और बहुत सी ऐसी वस्तुयें हैं जिन पर कर है, उन पर कर नहीं होना चाहिये और जिसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं। सदन के दूसरी तरफ़ के बैठने वाले सदस्य भी जिससे सहमत हो सकते हैं तो उसकी गम्भीरता और महत्व में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि आज अवसर प्राप्त हुआ है इससे पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिये और यह मैं कहता हूं एक ऐसा सामान्जस्य होना चाहिये कि आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो साधन आपको उपलब्ध करने हैं, जो अर्थ आप को एकत्रित करना है, जिन चीजों की आवश्यकता है वह इकट्ठा किया जाय। मगर श्रीमन्, उसके मार्ग भी देखने होंगे। यह भी देखना होगा कि किस मार्ग से वह धन एकत्रित किया जाता है। श्रीमन्, जब तन ढकने को वस्त्र न हो, पेट में अन्न न हो और यदि आज इस प्रदेश के नागरिक भूखे मर रहे हों, तन ढकने के लिये वस्त्र न हो उस समय यह पंचवर्षीय योजना कोई माने नहीं रखती है। जब तक वास्तविकता और वस्तुस्थिति इस बात को मंजूर न करती हो कि हमारी जनता में यह शक्ति है वह कर जो लौटाया जा रहा है उसको वे सहन कर सकते हैं या नहीं। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है जिस पर दो राय कभी नहीं हुई। हो सकता है किसी समय अपने दल के कारण, मंत्री महोदय के बैठने के कारण इस सदन में पारित हो गया हो, परन्तु यह सोचना और उस पर यह देखना, मैंने यही नहीं आज जिस माननीय सदस्य ने यह संशोधन दिया है इनके चुने जाने के पहले भाषण दिया था उसमें सरकार को चुनौती दी थी कि अगर सरकार यह समझती है कि सेल्स टैक्स जो लगाया जा रहा है यह ठीक है तो आगरे के इलेक्शन में इसको इश्यू बना कर वह लड़ डालें और उसका परिणाम यह हुआ कि स्वयं माननीय सदस्य मेरे पीछे बैठे हुये हैं। हालांकि उनके आने से आप की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यह क्या सूचित करता है, स्पष्ट रूप से इस बात का परिज्ञान हो सकता है कि जनता की इस टैक्स के बारे में क्या भावना है। जनता इसको कहां तक पसन्द करती है। आज आप चाहे अपने विशाल बहुमत के कारण इससे कोई लाभ न उठायें। मान्यवर, यही नहीं बल्कि मुझे यह बताना है आप के द्वारा कि जो इस तरह की नीति आज है इससे उनका लाभ नहीं हो सकता है। वह अगर समझते हों कि हम शक्तिशाली हैं, आम चुनाव में भी जीत जायंगे, हो सकता है उनका विश्वास हो, उस के बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे उन्हें ठेस पहुंचे, यह मेरा काम नहीं। मगर यह जरूर कहूंगा जिस जनता के नुमाइन्दे हमारे मंत्री जी बैठे हुये हैं उस जनता के प्रति पूर्णरूप से इन्साफ नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है जिसके प्रतिनिधि होने का दावा वह भी करते हैं और मैं भी करता हूं और हो सकता है कि मेरे भाषण के उपरान्त वह कहें कि उस जनता से उनको अधिक प्रेम है, वह मुझसे कहीं अधिक बढ़कर उसके पुजारी और सेवक रह चुके हैं। यह भी मैं स्वीकार कर लेता हूं कि उन्होंने देश सेवा की है, वह निर्धनों के सहायक हैं और इस गरीब जनता के मालिक हैं, वह जो कुछ कहें, मैं उनको शाहंशाह मान सकता हूं, सम्राट मान सकता हूं, बादशाह मान सकता हूं, जिस नाम से उनको प्रसन्नता हो वह मैं मान सकता हूं। लेकिन जिस जनता ने यह विशाल बहुमत उनको दिया है उसका भी समय निकट आ रहा है जब कि बिजली की रोशनी और बिजली के पंखे के नीचे बैठ कर भाषण देने से लाभ न होगा बल्कि जिस जनता ने पिछले पांच साल पहले हमको चुना था उसके सामने फिर जाना है और उस समय मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि कोई जवाब उनके पास इसका हो सकता है जो कि यह कहते हैं कि जिस रूपरेखा में यह कर हमारे ऊपर लगाया जा रहा है ठीक है, यह लगाया जाय।

अब यह भी देखना है कि उपाय क्या है। सरकार के पास बहुत से रास्ते हैं जिनसे कि वह रुपया बचा सकती है। आज जो कि सरकार के अफ़सरों पर इतना रुपया खर्च हो रहा है, हर जगह जहां देखिये, हुक्कामों की जीपों और पेट्रोलों में जो धन उड़ रहा है, जो धन आज इन

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

ब्यूरोक्रेट्स की एक-एक मनोवृत्ति जो होती है या उनकी एक-एक इच्छा की पूर्ति में जो धन नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है यदि केवल उसी पर संयम और नियंत्रण रखा जाय तो इस प्रदेश में बहुत सा रुपया बच सकता है और बहुत कुछ सहूलियत उस गरीब जनता को मिल सकती है। मान्यवर, मैंने यह माना कि सरकार यह भी देख सकती है और वह यह समझ सकती है कि सदन के सदस्यों के ऊपर कितना खर्च हो रहा है या और कहीं कितना खर्च हो रहा है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनके कर्मचारी जो हैं उनके खर्चे पर भी कभी उनकी निगाह जाती है? हो सकता है कि अगर इस सदन के माननीय सदस्यों के बारे में कुछ होता तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी बड़ी उलझनें और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन यह जो कि कर्मचारी हैं जो कि श्रीमन्, जब कि यह कहा जाता था, एक वक्त था, हम लोग अगर कहीं मोटरों में निकलते थे तो यही चोट की जाती थी कि यह गरीबों का खून पेट्रोल के रूप में बह रहा है, तो क्या आज मैं यह नहीं कह सकता हूं कि आज उन गरीबों का खून जिनमें मैं भी हूं, उनका खून पेट्रोल के रूप म जलाया जा रहा है और कौन जला रहा है? ये सरकारी कर्मचारी।

श्रीमन्, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि इस पर सम्भवतः सदन के और सम्मानित सदस्य भी अपने विचार प्रकट करने को लालायित हों। मुझे तो आपकी कृपा से अपने विचार प्रकट करने का सदैव अवसर आया ही करता है लेकिन और भी सम्मानित सदस्य होंगे जो कि भवन को अपने विचारों से अवगत कराना चाहते होंगे। इसलिये मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। इन शब्दों से मैं माननीय पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)––अधिष्ठाता महोदय, कुछ मास हुये जब इस सदन में वाद-विवाद हुआ था तब मैंने इस पर बोलते हुए तीन बातें मुख्यतः पेश की थीं। एक तजवीज यह थी कि अनाज पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स कर दिया जाय। दूसरी बात यह थी कि उस पर जो मिनिमम तादाद है उसे बढ़ा दिया जाय। और तीसरी बात जो मैंने निवेदन की थी कि इस सम्बन्ध में रिवीजन करने के जो अधिकार वापस ले लिये गये हैं, जो कि पहले थे, रिवाईजिंग अथारिटी को वही अधिकार पुनः दे दिये जाने चाहिये। मुझे बड़ी खुशी है माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि उनमें से जो मैंने आखरी बात इस सदन के सम्मुख उपस्थित की थी इस विधेयक के रूप में, उसे सुधारा जा रहा है, या कहना चाहिये कि जो अधिकार उनसे ले लिये गये थे वह उनको पुनः दिये जा रहे हैं। मैं आज सदन को फिर बता देना चाहता हूं कि आखिर इस विधेयक का लक्ष्य क्या है। इसमें रिवाईजिंग अथारिटी को, अभी जो संशोधन हुआ था उससे विधि के सम्बन्ध में तो उसको अधिकार था कि यदि वह चाहे तो उस संबंध में अपना निर्णय दे सकता है, उसके प्रोसीजरल जितने डिफेक्ट्स हैं उसके सम्बन्ध में यदि हो तो वह अपना निश्चय और निर्णय कर सकता था, लेकिन फैक्ट्स के सम्बन्ध में नहीं जा सकता था। मुझे खुशी है, मैंने उस समय भी यह कहा था कि यह अधिकार होना चाहिये रिवाईजिंग अथारिटी को कि यदि उसको रिवाइज करते समय वह समझे कि फैक्ट्स पर भी गलती की गयी है तो वह उस सम्बन्ध में उन पर भी विचार कर सके और अपना निर्णय दे सके। तो जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी कहा था कि वह इस सम्बन्ध में विचार करेंगे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस पर विचार किया और उसको इस विधेयक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया।

मेरा खयाल है कि जिन शब्दों में यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है इसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हैं। माननीय पालीवाल जी ने भी जो संशोधन रखा है उसमें इस बात को स्वीकार किया कि यह बात जोकि इस विधेयक का लक्ष्य है वह सही है, होना चाहिये और वह उसका एक तरह से समर्थन करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक चीज जिसके सम्बन्ध में सदन में कोई दो रायें नहीं हैं उस सम्बन्ध में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे फिर प्रवर समिति के सुपुर्द क्यों किया जाय। मैं जानता हूं कि व्यापारी समाज ने, आगरे के नेशनल चेम्बर आफ कामर्स, यू० पी० चैम्बर आफ़ कामर्स ने इस विचार को उसी वक्त पास किया था कि यह जो अधिकार लिया गया है रिवाइजिंग अथारिटी से वह उसे पुनः दिया जाना चाहिये। तो जहां तक व्यापारियों की मांग का संबंध है मेरा खयाल यह है कि उनकी एक बड़ी मांग पूरी होती है और प्रवर समिति में डाल कर उस चीज को झंझट में डालना मैं समझता हूं कि हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। मेरा खयाल यह है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों का भी यही आशय है और मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो भी अपनी रुकावटें उन्होंने पेश की हैं उसको वापस ले लें और इस प्रस्ताव को जो व्यापारियों की बड़ी मांग है, पूरा होने दें और पास होने दें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात को और साफ कर देना चाहता हूं इस सदन में, क्योंकि मैं व्यापारियों और उनकी संस्था के विचारों और आवश्यकताओं से परिचित हूं और मैं एक बात जो इस सदन में कभी-कभी विरोधी-पक्ष की तरफ से कही जाती है उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि व्यापारी समाज में बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो राष्ट्र निर्माण के लिये अधिक से अधिक पैसा देने के लिये व्यग्र न हों और इसी आधार पर वह किसी राष्ट्रीय निर्माण कार्य का विरोध करने के लिये तैयार हों। मैं कहता हूं कि यह उनका लक्ष्य नहीं है, उनकी मांग नहीं है। यदि विरोधी पक्ष के महानुभाव उन प्रस्तावों को देखें, जो उन्होंने बार-बार अपने मेमोरेंडम दिये हैं और वह वित्त मंत्री जी के पास आये हैं, कुछ कापियां मेरे पास भी आयी हैं और मैं समझता हूं कि अन्य लोगों के पास भी आई होंगी, इसको देखें तो बार-बार व्यापारियों ने कहा है कि राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में हम अधिक से अधिक पैसा देने के लिये तैयार हैं और अधिक से अधिक सहयोग देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक व्यापारियों का संबंध है वह टैक्स के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उनका कहना यह है कि इस टैक्स का बोझ ग़रीबों के सिर पर पड़ता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी एक महोदय सदन में बोल रहे थे और वह ख़ून चूसने की बात कह रहे थे और बहुत सी बातें कह रहे थे। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय ताल्लुकेदारों की सरकार थी, उस समय इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट किसने पास किया था? क्या वह बेईमानी नहीं थी और क्या वह जनता के हितों के आधार पर पास किया गया था? आज मुझे खुशी है कि पहले जो लोग कहते थे कि भूखे पेट हैं वही आज यह लोग कहने लगे हैं कि हम भूखे पेट हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—कांग्रेस में भी हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—कांग्रेस से निकल गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—नवाब छतारी भी घुसे।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं कहना चाहता था कि आज देश में निर्माण कार्यों की आवश्यकता है। आज देश में गरीबों के नाम पर, व्यापारियों के नाम पर जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं, मैं उनको सावधान कर देना चाहता हूं कि देश के व्यापारी इस बात के खिलाफ़ नहीं हैं कि वह पैसा नहीं देंगे बल्कि वह तो केवल इस बात के खिलाफ हैं कि जो प्रोसीजर के सम्बन्ध में, विधि के संबंध में कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं, उनको दूर किया जाय।

मैं तो वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज आपके उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि आपसे जनता स्पष्ट रास्ते की मांग करती है, सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति होनी चाहिये। आपको जो कुछ करना है वह एक बार कीजिये और इस सस्पेंस की हालत में मत रखिये। मैं चाहता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस चीज को दूर करे। आज व्यापारियों को सब से बड़ा दुख इस बात का है कि जो बेईमान व्यापारी है, वही आज पनप रहा है जो झूंठे बहीखाते रखता है, जो रोज फार्मों के नाम बदलता है और गवर्नमेंट को टैक्स में धोखा देता है।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज कपड़े के मामले में और दूसरे मामलों में काफी इस प्रदेश में ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जो सरकार को बिना टैक्स दिये माल लाते हैं, फर्म बनाते हैं और फिर उसको बदल देते हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है कि ईमानदार व्यापारी पिस रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि उस बेईमान व्यापारी को आप रोकें और इसके लिये काफी सतर्कता से काम लें। इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज जहां एक तरफ ऐसे लोग लाखों रुपये का सरकार को नुक्सान पहुंचा रहे हैं वहां दूसरी तरफ ईमानदार व्यापारियों को अपना काम करना असम्भव हो गया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कोई भी देश के निर्माण कार्य से पीछे नहीं हटना चाहता और हम १०–१५ वर्षों के भीतर, वर्तमान नेतृत्व में देश को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की इतनी ताक़त आ जाय कि फिर कोई भी आदमी उसे धक्का देकर गिरा न सके। उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि देश का हर आदमी, अमीर और ग़रीब, देश के निर्माण कार्य के लिये जो कुछ भी कुर्बानी कर सकता है वह करे। उसमें हमारे विरोधी और सरकारी पक्ष के लोगों को भी पूरा सहयोग देना चाहिये। मैं बार–बार कहता रहा हूं कि देश के निर्माण के कामों में दो दलों की बात नहीं होनी चाहिये। जहां देश के निर्माण का काम हो तो जैसे लड़ाई के समय में सारी पार्टियां एक हो जाती हैं उसी तरह से इन निर्माण के युग में सारी पार्टियों को मिल कर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने जो यह विधेयक रखा है यह एक उचित कदम है और हमें इसे शीघ्र से शीघ्र पारित करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस समय हमारे सामने उपस्थित किया गया है मैं समझता हूं कि उसका उद्देश्य केवल एक अदालत को कुछ अधिकार देने के बारे में है। इस विधेयक से और जो अब तक भाषण हुये हैं उनसे भी यह चीज साफ़ हो जाती है कि एक मांग थी जिसको पूरा करने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया गया है और सभी दलों को यह स्वीकार है कि इसकी आवश्यकता है। इसमें हम यह अधिकार दे रहे हैं कि जो मुकदमें दायर हैं और रिवाईजिंग अथारिटी से उनका फ़ैसला होना है तो जो अधिकार उनको हम यह दे रहे हैं कि वे वाकयात भी देख सकते हैं इसका प्रयोग वे उन मुकदमों में भी कर सकते हैं हालांकि वे इस विधेयक के पेश किये जाने से पहले के दायर हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में हजारों की तादाद में ऐसे मुकदमें होंगे और अगर यह सूरत है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिरकार उन बेचारों का गला इस बात को लेकर क्यों काटा जाय कि यह विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय। जो मुकदमे दायर हैं जब तक कि आप प्रवर समिति को भेजेंगे और वह समिति उस पर विचार करेगी और फिर विधान सभा के सामने आवेगा और बिल पास होगा उस वक्त तो हजारों मुक़दमों का फैसला हो जायगा और बहुत से व्यापारियों के साथ अन्याय हो जायगा। तो कोई दलील इस बात की नहीं दी जाती है कि अगर हम इसे प्रवर समिति में भेज देते हैं तो आखिरकार इन बेचारों का क्या होगा उनके साथ कैसे न्याय होगा ? यह जो सुविधा उनको दी जा रही है और जो इस क़िस्म की व्यवस्था कर रहे हैं वह यह है कि वह वाकयात उन मुकदमों में दे सकें और कोर्ट उनके साथ न्याय कर सकें यह चीज कैसे हासिल होगी ? कोई भी ऐसा विचार हमारे सामने नहीं रखा गया कि आखिर यह सुविधा कैसे मिले ? यह बड़े ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो बहुत सा आग उगला गया, बड़े शोला अंगेज भाषण किये गये कि बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा कष्ट दिया जा रहा है और इससे बढ़ के कोई अत्याचार तो नहीं हो सकता था जनता के साथ और व्यापारियों के साथ लेकिन मैं अगर यह शब्द कहूं कि यह क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं जो बहाये जा रहे हैं तो अनुचित नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि जब हम यह सुविधा दे रहे हैं तब यह नीति बरती जाती है कि प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय। इससे साफ़-साफ़ यह मालूम होता है कि विरोधी दल सिर्फ यह चाहता है कि अगर सरकार जनता के लिये या व्यापारियों के लिये कोई सुविधा देने जा रही है तो उसमें बाधा पड़े और रोड़ा अटकावें ताकि वह सहूलियत जनता को न मिल सके, जिससे उनके साथ अन्याय हो सके और अगर ऐसी चीज है तो मैं समझता हूं कि ऐसी नीति नहीं बरतनी चाहिये। सरकार को तो इस बात से इन्कार नहीं है कि हमारा जो बिक्री कर ऐक्ट है उसके लिये वह दूसरा बिल लावेंगे और उसमें जो भी कठिनाइयां हैं या अगर कहीं पर कोई अन्याय हुआ है तो उसको दूर करेंगे, उसका सुधार करेंगे। तो फिर क्या वजह है कि अगर कोई हम कठिनाई पाते हैं या कोई अन्याय की आशंका पाते हैं तो क्यों न हम उसे जल्द से जल्द दूर कर दें? मैं समझता हूं कि हर विधायक पर यह लाजिमी है कि अगर ऐसी कोई चीज होती है जिससे अन्याय होने की आशंका है तो उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये और वही चीज इस विधेयक में है।

जो बिल इस वक्त हमारे सामने है उसे हम चाहें तो प्रवर समिति को भेज सकते हैं लेकिन अगर सरकार का यह मंशा है कि ऐसा विधेयक ले आवेंगे जिसके लिये उनको फैक्ट्स और फिगर्स की जरूरत है, कुछ परिस्थितियों का ज्ञान करना है, अब अगर इन सब वाकयात को हम प्रवर समिति में भेजें तो यह कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी। अभी तो चार तारीख को विधान सभा की बैठक खत्म हो जायगी और अक्तूबर में हम मिलने जा रहे हैं इस बीच जो फैक्ट्स ऐंड फिगर्स की जरूरत है वह सब हमारे सामने आ जायेंगे तो वह बिल जब आवेगा और अगर हमको आवश्यकता होगी तो प्रवर समिति के सामने भी भेज सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो यह प्रश्न नहीं है। जब मूल अधिनियम आया था, बिक्री कर का, उस वक्त जितनी बातें इस वक्त कही गई हैं सभी बातें उस ववत भी कही गयी थीं। मैं नहीं समझता कि उसको बार-बार दोहराने से क्या नतीजा है सिवाय इसके कि अगर यह निगाह है कि एलेक्शन नजदीक आ रहा है। हम यहां पर ऐसे भाषण करें कि जिससे हम व्यापारी वर्ग की सहानुभूति अपने साथ में ले सकें और उसके साथ में सहानुभूति दिखला सकें। हालांकि इस वक्त जो सहानुभूति हमें दिखलानी चाहिये थी उसके साथ में असलियत में और जिसकी जबरदस्त मांग थी उसको हम टालना चाहते हैं, और दूसरी बातों की ओर, जिनको हम उनको नहीं दिला सकते हैं, उन पर हम लम्बा भाषण दे रहे हैं, लम्बी चौड़ी तकरीरें कर रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि उनके लिये हमारे दिल में बड़ी खलबली मची हुई है कि किस तरह से हम उनका साथ दें। हालांकि यह सब केवल प्रचार की नीति के कारण हो है और असलियत यह है कि सरकार किसी तरह से भी व्यापारी वर्ग की मांगों को पूरा न कर सके और जिन बातों से ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि उनके साथ अन्याय न हो, उन बातों में रोड़ा अटकाया जाय।

*श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुनने को मिले और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ श्रीमन्, कि वह लोग बात कुछ कह रहे हैं और मतलब उनका कुछ और है। तर्क देते हैं उसके पक्ष में लेकिन कहते हैं कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। अभी-अभी माननीय विभव जी ने बहुत जोरों से ऐसी ही बात कही। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम विधान सभा में नहीं बल्कि किसी मिल के गेट पर बैठे हुए हैं जहां हड़ताल होने वाली है। मैंने ऐसा भाषण विभव जी के मुंह से नहीं सुना था। बड़ी खुशी हुई कि उनके मुंह से ऐसा भाषण सुनने को मिला और मैं चाहता हूं कि और ऐसा अवसर मिले ताकि मालूम हो कि लेबर फ्रंट पर मजदूर नेता कैसे बोला करते हैं। आपने कहा कि इसका विरोध व्यापारी नहीं कर रहे हैं। जमींदार आये तो उन्होंने इंकंबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट बना दिया। मैंने यह भी सुना कि जनता से इसका कुछ संबंध

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथमल्ल]

नहीं है, यह खाली व्यापारियों के बारे में ही कुछ करना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि सभी व्यापारी इस टैक्स का विरोध नहीं करते। व्यापारी वर्ग तो खाली इस कायदे का विरोध करता है। क्यों करे इस टैक्स का विरोध ? उसके पास से तो यह टैक्स आना नहीं है, उसको तो सिर्फ हिसाब-किताब रखना ह। टैक्स तो आम जनता के घर से आना है जो खाने तक को मोहताज है। तो आपको यह देखना होगा कि व्यापारी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं इसलिये इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

(इस समय ३ बज कर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी चीज विभव जी ने कही कि हमने तीन मांगे की थीं और उनमें से एक मंजूर हो गई है। मैं कहता हूं कि एक ही तो मंजूर हुई और अब आपको दो मांगें तभी पूरी हो सकती हैं जबकि पालीवाल जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय, क्योंकि पालीवाल जी का संशोधन जब मंजूर किया जायगा तो इसका स्कोप बढ़ेगा और आपकी जो-जो मांगें छटी हुई हैं वह आ जायंगी। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिये। उधर से माननीय बेचनराम जी गुप्त ने कहा कि इसको जल्दी से पास हो जाना चाहिये। इसके न होने की वजह से व्यापारियों में बड़ा झंझट हो रहा है। इसी तरह से कुंवरकृष्ण जी को इसमें एलेक्शन दिखाई देने लगा कि यह तो एलेक्शनबाजी है, यह तुरन्त हो जाना चाहिये। इसके न पास होने से व्यापारियों का बड़ा नुक्सान होगा, इतने मर जायंगे और न जाने क्या-क्या हो जायगा। हालांकि जो संशोधन गवर्नमेंट ने पेश किया है मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके पास हो जाने के बाद जनता के कौन लोग इससे फायदा उठा पाते हैं, हमको जरा इसकी जानकारी करा दीजिये। जनता के कितने लोग, २ या ४ करोड़, इसका फायदा उठा सकते हैं ? जो अदालत के सामने मामले हैं और जो मेरिट की वजह से देखे नहीं जा रहे हैं तो उनको ही इससे फायदा होगा। वे केसेज मुश्किल से सौ, सवा सौ होंगे जिनको इससे फायदा पहुंचने वाला है। इस पर केवल उनको सारी जनता की मुखभरी मालूम होने लगी और इलेक्शन स्टन्ट दिखाई देने लगा यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। कुंवरकृष्ण वर्मा जी तो वकील भी हैं और आपने यह कह दिया कि यह तो ५६ का अधिनियम है जिसको उन्होंने मूल अधिनियम मान लिया। उनको यह मालूम नहीं कि वह अधिनियम यह नहीं। मैं कहता हूं कि वह भी अमेंडिंग विधेयक है।

बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कह दीं जिनको सुन कर मुझे अचरज हुआ और बहुत अजीब-अजीब बातें कहीं। हमने कहा कि इसका स्कोप बढ़ा दिया जाय यह मांग की है। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि उसको माननीय पालीवाल जी ने स्वीकार कर लिया कि इसका स्कोप बढ़ा कर इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। तो वह जो पहला बिल आया था वह भी अमेंडिंग बिल था जिसका हमने घोर विरोध किया था। उसकी सारी चीज को खत्म कर दिया जायगा, क्योंकि उसका स्कोप बढ़ेगा तो प्रवर समिति उन सारी चीजों को खत्म कर देगी। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आया था वह अमेंडिंग विधेयक आया था। उसको प्रवर समिति खत्म कर दे तो हमको बड़ी खुशी होगी।

माननीय विभव जी ने अवधेश प्रताप सिंह जी के बारे में कहा कि आपने इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट पास किया था, जिससे जनता मर गयी। उससे जनता का क्या सम्बन्ध था ? उससे तो पूंजीपति मरे होंगे। जहां तक मैं समझता हूं पूंजीपति उससे मरे होंगे जो दूसरे की कमाई का पैसा खाते हैं। तो उसमें जनता का प्रश्न कहां से आ गया यह समझ में नहीं आया। सरकार ने एक बिल गलत-सलत पास कर दिया और फिर दूसरा बिल जो आया उसके लिये कहा जाता है कि इससे जनता का लाभ होगा। सरकार एक बिल लाकर सदन में जल्दी से पास कर देती है और फिर उसको ठीक करने के लिये जो बिल लाती है तो उसके लिये कहती है कि इससे जनता का

लाभ होगा। अवधेश प्रताप सिंह जी ने सरकार को शहन्शाह कहा तो हम भी शहन्शाह कहना चाहते हैं और उसको शहन्शाह तुगलक की पदवी देना चाहते हैं। सरकार ने इसको दिल्ली से दौलताबाद कर दिया है वरना सब उसी तरह से है.....

श्री अध्यक्ष----आप असंगत हो रहे हैं। पुराने बिल की बातें इसमें नहीं आती हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल--पालीवाल जी के संशोधन से बहुत ही भलाई हमारे प्रान्त की होगी, इस सदन का काफी समय बच सकता है क्योंकि आज ही बिक्री-कर संशोधन विधेयक एक और बंटा है। पालीवाल जी के संशोधन को मानने से उस बिल को भी सदन में लान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रवर समिति उन चीजों को भी सोच लेगी। इस प्रकार से खजाने का रुपया भी बचेगा। एक-सूत्री कर, दो-सूत्री कर, गल्ले पर कर, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। गल्ले पर किसी प्रकार से भी कर नहीं होना चाहिये और केवल एक-सूत्री कर होना चहिये। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और यह कार्य प्रवर समिति में अच्छा हो सकता है। सरकार कहती है कि उसे रुपये की जरूरत है और कर नहीं लगावेंगे तो पैसा कहां से आवेगा। लेकिन जब बतलाया जाता है कि खर्चा कम हो सकता है, प्राक्कलन समिति ने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरींग विभाग को पी० डब्ल्यू० डी० में मिला दिया जाय तो खर्चा काफी बचेग....

श्री अध्यक्ष--आपका संशोधन है प्रवर समिति को स्कोप बढ़ाने का अधिकार देने के लिये।

श्री जगन्नाथमल्ल--हर तरह से हमें यह देखना है कि किस तरह से हम इस सदन का बहुमूल्य समय और खर्चा बचा सकते हैं। इसका यही तरीका है कि माननीय पालीवाल जी के संशोधन को मान लिया जाय जिससे सदन का काफी समय बचेगा। तब प्रवर समिति को यह मौका होगा कि वह सारी बातों की छानबीन करेगी और फिर से सारे कानून को जांचेगी कि किस प्रकार से कहां खामियां और गड़बड़ियां हैं और वे कैसे दूर की जा सकती हैं जहां समिति देखे कि इसमें सरकार या जनता का नुकसान है या इससे करप्शन की गुंजाइश रह जाती ह उन बातों को समिति ध्यानपूर्वक देखेगी। अच्छी तरह से गौर करने के बाद प्रवर समिति एक अच्छा सा बिल सदन के सामन रख सकेगी और एक अच्छा सेल्स टैक्स कानून तैयार हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका स्कोप बढ़ाने के साथ इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी के संशोधन का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ सदस्यों को कुछ भ्रम सा प्रतीत होता है कि आखिर इसे प्रवर समिति में भेजने की बात क्यों कही जा रही है और इधर दो चार दिनों से बराबर ऐसे ही प्रस्ताव आते रहे हैं कि हर विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय या जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय। हमारे कुंवरकृष्ण वर्मा जी और विभव जी को कुछ भ्रम है। वे कहते हैं कि अगर इसको प्रवर समिति में भेजा जायगा तो अनावश्यक रूप से इसमें देरी हो जायगी क्योंकि आप इस विधेयक को तो सही मानते ही हैं, इसमें जो रद्दोबदल करने की बात कही गयी है वह सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो विधेयक आया है और रिवाईजिंग अथारिटी के बारे में जो संशोधन लाया गया है वह सही है। लेकिन हम आपके द्वारा इतना जरूर बतला देना चाहते हैं कि आप एक छोटी सी गलती को तो समझ कर दुरुस्त करने के लिये तैयार हैं लेकिन कुछ पहाड़ की तरह गलतियां हैं उनको आप पीछे ही छोड़ देते हैं तथा उनको आप बदलना नहीं चाहते हैं।

[श्री तेजप्रतापसिंह]

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो एक दो बातों की तरफ मैं उनको इशारा कर दूं। मसलन आपने गल्ले पर कर बढ़ा दिया और फिर आप यह दलील देते हैं कि हमें निर्माण कार्यों के लिये धन की आवश्यकता है। उधर आप यह भी अपील करते हैं कि सारी पार्टियों को एक मत होकर देश के निर्माण कार्य में लग जाना चाहिये, लेकिन जब दूसरे लोग आपको कुछ परामर्श देते हैं कि निर्माण की यह गाड़ी कैसे चलेगी, उसके लिये धन किस प्रकार से एकत्रित किया जायगा तो आप सुनते नहीं हैं। प्रवर समिति में इसी बात का प्रयास किया जायगा कि किस प्रकार से धन को एकत्रित किया जाय जिससे किसी को चोट न पहुंचे। मैं वित्त मंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूं। वे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अपने कार्य में दक्ष हैं, अर्थ शास्त्री हैं और मुझ से और मेरे जैसों से अधिक ज्ञान रखते हैं लेकिन टैक्सेज के मुताल्लिक कुछ सिद्धान्तों की चर्चा हमारे विद्वानों ने की है उसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिये, जब भी नये टैक्स लगायें या टैक्सों में तरमीम करें। मैं आपकी आज्ञा से अपने वयोवृद्ध और योग्य अर्थशास्त्री, अर्थमंत्री के सामने यह धृष्ठता करना चाहूंगा कि टैक्सेज के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। हमारे सामने नरदेव शास्त्री जी भी बैठे हुए हैं, यदि शास्त्र के बारे में कहने में मुझसे कोई भूल हो जाय तो उसको वे ठीक कर दें। मैं संस्कृत में तो उद्धरण नहीं दूंगा केवल उसका भावार्थ बतलाऊंगा। कौटिल्य कहते हैं कि टैक्सेज़ को किस प्रकार से लगाया जाय। माली किसी बाग के पक्के फलों को तोड़ता है और इस तरह से तोड़ता है कि टहनियों को कोई क्षति नहीं पहुंचती।

अब अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत दें कि मैं यह बतलाऊं कि फूडग्रेन्स पर और कपड़े पर जो टैक्स लगाया गया उसमें और इस सिद्धान्त में कितना सामंजस्य है।

श्री अध्यक्ष—आप उसकी डिटेल में न जाइये। केवल इशारा काफी है।

श्री तेजप्रतापसिंह—मैं इशारा ही करना चाहता हूं। केवल एक ही सेंटेंस कहना चाहता हूं कि आप निर्माण कार्यों के लिये जब रुपया मांगा करते हैं तो उसके लिये आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखें कि कर के बोझ से जनता पीड़ित न हो तो अच्छा होगा और जब आप उनको ध्यान में रक्खेंगे तभी जनता आपका सहयोग कर सकती है। जब हम इस भयंकर भूल को आपके सामने रखते हैं इस संशोधन के जरिये, कि आप इस विधेयक का स्कोप बढ़ा दें और प्रवर समिति में ले जायं और तभी आप आशा कर सकते हैं कि वे सारी गलतियां दूर हो सकती हैं और आप इस बड़े जनमत का सहयोग प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं।

दूसरी चीज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा उन्होंने उद्देश्य और कारण में बतलाया है कि हम इस संशोधन को इसलिये लाये हैं कि जो सेल्स टैक्स कमेटी एप्वायंट की गयी थी उसने यह सिफारिश की है रिवाईजिंग अथारिटी के बारे में कि आप यह संशोधन कर लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने नहीं कहा है।

श्री तेजप्रतापसिंह—मैं उसको पढ़ देता हूं। उद्देश्य और कारण में यह लिखा हुआ है—

"किन्तु संशोधित उपधारा (३) के अधीन केवल विधिक प्रश्न के सम्बन्ध में ही पुनरीक्षण की प्रार्थना स्वीकार की जा सकती थी। सरकार द्वारा नियुक्त बिक्री-कर समिति ने यह सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ से पूर्व जो स्थिति विद्यमान थी वही फिर कायम कर दी जानी चाहिये।"

तो यह जो बिक्री कर समिति बनी थी उसने सिफारिश की है कि जो ओरिजिनल एक्ट में पावर थी और जो व्यवस्था थी रिवाईजिंग अथारिटी के बारे में वह फिर लानी चाहिये और सन् ५६ के संशोधन विधेयक के जरिये जो तरमीम की गयी वह गलत कर दी गयी है।

तो मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स कमेटी जो एप्वायंट हुई थी उसकी रिपोर्ट आज तक माननीय वित्त मंत्री जी को प्राप्त हुई या नहीं हुई ? अगर वह प्राप्त हुई तो हमारे सामने, इस सदन के सामने उसको रखना चाहिये था। अगर नहीं रखा है तो यह एक बहुत इम्पार्टेंट मेजर है, एक इम्पार्टेंट चीज है, उसको हमारे सामने आज तक आ जाना चाहिये था।

दूसरे यह कि पीस मील लेजिस्लेशन लाकर और यह कह कर कि सेल्स टैक्स कमेटी ने यह सिफारिश की है इसलिये यह विधेयक आपके सामने लाये हैं तो आपको चाहिये था कि एक सर्वांगीण पूरा विधेयक लाते जिसकी घोषणा कुछ महीने पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में की थी कि हम एक सर्वांगीण विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे और इस बात की चेष्टा करेंगे कि सारी दिक्कतें जो सेल्स टैक्स के बारे में हैं उनको दूर करें। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ ? और उसकी सारी रिपोर्ट पर विचार करके आपने एक सर्वांगीण पूरा विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत करने की कृपा की ? मैं समझता हूं कि उत्तर देते समय हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि वह पूरा विधेयक जिसकी उन्होंने चर्चा की है कब लावेंगे।

तीसरी चीज अध्यक्ष महोदय, यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में स्कोप बढ़ाने के साथ साथ भेजा जाय। हमने अभी-अभी कुछ महीने पूर्व एक विधेयक यहां पारित किया था जिसके द्वारा ऐसी व्यवस्था की थी कि कुछ नई बड़ी फैक्टरीज के माल को बिक्री कर से अगर एक्जेम्पट करने की शक्ति को सरकार को दिया जाय तो उससे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा होगा, फायदा होगा, साथ ही साथ जो पुराने उद्योग हैं उनको क्षति भी पहुंच सकती है। तो ये सब ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर प्रवर समिति में ले जाकर ही विचार हो सकता है। हमारा मकसद डिले करना नहीं है कि हम एक अच्छे काम में अड़ंगा लगावें, बल्कि हम यह चाहते हैं कि जो कुछ पहले भूलें हो चुकी हैं उनको दुरुस्त करने का मौका हमको मिले। मैं समझता हूं कि हम लोगों का फर्ज भी यही है कि जो भूलें हम समझते हैं कि जिनके उपबन्धों पर चलने से लोगों को क्षति पहुंचती है उनको दुरुस्त किया जाय। इसी से यह सुझाव रखा है कि उसमें तरमीम होनी चाहिये, उनमें रद्दोबदल होना चाहिये। इसके अलावा हमारा और कोई भी मंशा नहीं है कि हम डिले करें और बार-बार आपके सामने प्रस्ताव रखें कि इस को प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, जो बातें हमने रखी हैं खास कर सेल्स टैक्स कमेटी के बारे में, उन पर प्रकाश डालेंगे और जो प्रवर समिति में भेजने के लिये माननीय पालीवाल जी का संशोधन है उसको मानने की कृपा करेंगे।

*श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन में पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। वास्तव में यह एक बहुत ही आवश्यक विधेयक है, एक तरह की भूल जो पिछले अधिनियम में रह गयी थी उसको इसके द्वारा सही किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विवाद यहां चल पड़ा है उसको सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जो अधिकार बिल के द्वारा दिए जा रहे हैं वह व्यापारी वर्ग के लिए या जो भी बिक्री कर से प्रभावित होंगे उन सब के लाभ के लिये हैं और यह भी सही है कि जितनी जल्दी यह बिल पास हो जाय उतना ही अच्छा है और देर करने से कोई लाभ नहीं है। बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जिन के मुकदमे इस समय अदालतों में होंगे उनको इस देरी से हानि हो सकती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधामोहनसिंह]

जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है यह मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में इससे बहुत असन्तोष फैला हुआ है लेकिन इस सदन में बैठ कर हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना है और केवल भावनाओं से ही हमारा कार्य नहीं चल सकता। पालीवाल जी को ज्ञात होगा कि देश में जो भी सरकार हो उसका कर्तव्य होता है कि वह जनता के हित में करे। अगर आप जरा इस दृष्टिकोण से देखें कि जो लोग यहां बैठे हैं, जिनके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है, जिनको जनता के लिए सैकड़ों और हजारों काम करने हैं वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जायंगे अगर वह देश और जनता दोनों के ही हित को अपने ध्यान में साथ-साथ नहीं रखते। वह महसूस करेंगे कि जो बिक्री कर लाया गया है वह कितना आवश्यक और जरूरी था। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आये दिन जब बजट पेश होता है तो क्या सरकारी पक्ष की ओर से और क्या विरोधी पक्ष की ओर से मांगें रखी जाती हैं और हम महसूस करते हैं कि हमें अपनी जनता के स्तर को ऊंचा करना है और उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, तो अब सवाल यह है कि वह धन आये कहां से? हम समझते हैं कि चाहे कोई भी कर लगाया जायगा उसका भार जनता पर पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते लेकिन फिर भी हमारे माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के, सब का दृष्टिकोण यही होता है कि जहां तक हो सके ऐसे संशोधन लाये जायं और ऐसे तरीके अख्तयार किए जायं कि ऐसे टैक्सेज का भार गरीबों पर कम पड़े और ऐसे तरीकों के जरिए से जितना भी हम गरीबों पर बिक्री-कर का भार कम कर सकें उसका हमें स्वागत करना चाहिए।

हमने यह भी देखा कि जो बिक्री-कर का रूप अप्रैल सन् ५६ में था उस में बहुत कुछ संशोधन हो चुका है और हम समझते हैं कि आगे भी हो सकता है। हमारे लिए यह वांछनीय है कि बजाय विरोध करने के और प्रदर्शन कराने के हम अपने दिमाग से ऐसे संशोधन और तरीके खोज निकालें कि जिस से बिक्री-कर की जो बुराई है जो उसका बोझ गरीबों पर पड़ता है वह उन पर न पड़े। हम समझते हैं कि अगर कभी हमारे विरोधी दल के भाइयों को इधर आने का मौका मिला तो वह यह महसूस करेंगे कि इस से भी अधिक कर उन को लेना होगा क्योंकि बिना कर लगाये किसी सरकार का काम चल नहीं सकता है और जो उस के उन्नति के कार्य हैं वह पूरे नहीं हो सकते हैं; यह हो सकता है कि उसको हम कमोबेश कर सकते हैं किसी खास चीज पर हम घटा बढ़ा कर कुछ नियंत्रण कर सकते हैं और ऐसे तरीके निकाल सकते हैं कि जिससे उसका बोझ गरीबों पर कम पड़े। हमारी हार्दिक इच्छा है और हम समझते हैं कि सरकार की भी यह इच्छा होगी कि इस कर का कम से कम बोझ गरीबों पर पड़े।

और यदि कोई सुझाव आयेगा तो मैं समझता हूं कि सरकार उसका स्वागत करेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस बिक्री कर के अन्दर दो, तीन बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया। अगर ध्यान गया होता तो इतना विरोध न होता। यह बिक्री-कर ऐसा नहीं है कि हर आदमी को देना पड़ेगा। जब हम यह देखते हैं कि चन्द ऐसे दूकानदार हैं या व्यवसायी हैं जिनकी आमदनी १५ हजार से कम है तो उन पर टैक्स नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं अधिक ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं।

श्री राधामोहनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार संस्था के सदस्य के नाते और रचनात्मक दिमाग रखते हुये हम चाहते हैं और माननीय सदस्यों का आवाहन करूंगा आपके द्वारा कि हम अपने दिमाग को उसमें लगावें, इसका अध्ययन करें और कुछ दिन इसका जो उपयोग हुआ है, काम में लाया गया है इसको देखने के बाद अगर हम लोग यह महसूस करें कि इस अधिनियम में ऐसे परिवर्तन आवश्यक हैं तो इसको हम कर सकते हैं, उसका स्वागत करेंगे और सरकार भी करेगी और इसको हम समझ रखें कि बिक्री कर जाने का नहीं है चाहे कोई सरकार हो। इसलिये मैं समझता हूं बिक्री-कर में अगर कोई ऐसा सुझाव दे सकें तो उसका हम स्वागत करेंगे और उसी के अन्तर्गत हमें काम करना है।

श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाल दिया है मंत्री जी ने जब अप्रैल में एक बिल बिक्री-कर के सम्बन्ध में पेश किया था तब अपने भाषण में कहा था कि ६ महीने के अन्दर एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिसके द्वारा समस्त बातों पर गौर किया जायगा । परन्तु हम यह देखते हैं कि वह रोज दो एक बिल सदन के सामने रखते हैं । कल एक बिल रखा था और एक बिल आज रख दिया । अप्रैल में एक बिल रखा था और सन् ५५ में जो बिल रखा गया था वह भी सदन के सामने अप्रैल में ही प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार तीन, चार महीने के बीच में ३,४ बिल पेश कर दिये । मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि भारत के लोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि लोगों की विचारधारा पर कुछ उम्र का भी असर पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं वैयक्तिक बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, जो माननीय पालीवाल जी ने संशोधन रखा है मैं चाहता हूं सरकार उसे स्वीकार कर ले । मंत्री जी ने यह भी बताया था कि ६ तारीख को वह एक स्टेटमेंट, एक अपना बयान देंगे । पता नहीं वह कौन सा बयान देंगे । अगर वह बयान आज दे दिया गया होता तो हम लोगों को बहुत सहायता मिल गयी होती । यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस पर सरकार ने जो बिक्री-कर समिति नियुक्त की थी उसकी सिफारिशों के आधार पर यह बिल पेश किया है । और उन्होंने कहा है कि उस समिति ने यह सिफारिश की है । मैं समझता हूं मंत्री जी अगर उस समिति की जो सिफारिश है उसको प्रकाशित करके सदन के सामने प्रस्तुत कर देते तो सदन के सदस्यों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलती कि वह समझ सकें कि सरकार की नीति क्या है और जो कमेटी बैठी थी जिसने विशेष रूप से इस विषय पर विवेचनात्मक गवेषणा की है उसकी क्या धारणा है; लेकिन मानना पड़ता है कि सरकार वास्तव में जो तथ्य है, जो लोगों ने धारणा बनायी है उस समिति में, उससे वह इस सदन को वंचित रखना चाहती है । जो माननीय पालीवाल जी का संशोधन है वह अगर मान लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि सरकार को जो बार-बार बिल लाने पड़ते हैं, बार-बार संशोधन विधेयक में लाने पड़ते हैं वह न लाने पड़ेंगे, क्योंकि यह समिति इस बात की पूर्ण रूप से देखभाल करेगी कि इसमें कौन-कौन से संशोधन होने चाहिये । चूंकि संशोधन होंगे इसलिये आवश्यक हो जाता है कि सरकार ने जो बिल रखे हैं या जो कानून वह बनाये हुये हैं उसमें, या जो कानून पास होते जा रहे हैं उनमें, जो खामियां रह गयी हों उनको दूर कर दिया जाय । सरकार जो गलत धारायें इस सदन के द्वारा पास करवा लेती है उसके कारण उसे फिर उन धाराओं को उलटना पुलटना पड़ता है । सरकार की इस ढुलमुल नीति से हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान है । अभी माननीय विभव जी ने कहा कि सरकार की जो यह नीति है वह हम लोगों को सस्पेंस में रखे हुये है, अधर में लटकाये हुये है, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर बिक्री-कर के सम्बन्ध में सरकर क्या करना चाहती है । इस प्रकार से उन्होंने खुलेआम तो इस संशोधन का विरोध किया लेकिन आत्मा से अगर देखा जाय तो इस संशोधन का वह समर्थन करते हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को सदस्यों की धारणाओं को देखना चाहिये कि वास्तव में इनकी जो बातें हैं वह मानने लायक हैं और इस बिल को क्यों न प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, इस समय भी प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं । सरकार की जो बिक्री-कर की नीति है कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्न के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया है उससे परेशान हैं । माननीय पालीवाल जी ने एक उद्धरण दिया था माननीय अजित प्रसाद जी जैन का

[श्री जोरावर वर्मा]

जिन्होंने ७ जुलाई को भाषण लोक सभा में दिया था। उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता के ७० प्रतिशत आदमियों का बजट इसी खाने के ऊपर बनता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश की जो जनता है उसका ९० प्रतिशत बजट जो है वह खाने के ऊपर ही निर्भर है और ऐसी भी जनता है जिसको भरपेट खाने को भी नहीं मिलता है और न पहनने को कपड़ा मिलता है। फिर जब इस प्रदेश की यह परिस्थिति है तो सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ताकि सेल्स टैक्स की इस प्रकार की धारायें जिनसे जनता परेशान है और हैरान है उनके बारे में अच्छी तरह से विचार किया जा सके। जनता यह भी नहीं समझ पाती है कि सरकार आखिर निर्माण के नाम पर क्या-क्या लेना चाहती है क्योंकि भारतीय जनता यह वही जनता है अध्यक्ष महोदय, जिसने बलिदान किये और अपने खून की आहुति दी। तो अब भी जहां तक निर्माण का प्रश्न है वह अपना सब कुछ बलिदान करने के लिये तैयार है। लेकिन जो हमारी पहले की धाराणायें थीं, एक निश्चित कदम था अब वह भी अगर सरकार जनता के सामने प्रस्तुत कर दे तो मैं समझता हूं कि जनता उसका पूर्ण रूप से स्वागत करेगी। लेकिन रोज-रोज या हर महीने में इस प्रकार के बिक्री-कर विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत करने से जनता हैरान है, परेशान है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। तो इस प्रकार से जनता जब परेशान है तो माननीय पालीवाल जी का जो संशोधन है वह बहुत ही उपयुक्त है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के विषय में रस्किन ने कहा था, एक ही वाक्य है—"देयर इज़ नो वेल्थ दैन एलाइफ।" (जो सबसे बड़ा धन है वह जीवन है।) जब मनुष्य का जीवन खतरे में है, उसका जीवन अपूर्ण है और वह जीवन को जीवन नहीं बना पाता है, जिसको दिन-दिन भर रोटी खाने को नहीं मिलती है, जो हैरान, परेशान है तो ऐसे आदमी से भी किसी न किसी प्रकार टैक्स लेना मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुचित है। मेरे साथी माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने चाणक्य की एक नीति बतलायी थी कि सेल्स टैक्स के बारे में उनकी क्या नीति है। इसी प्रकार से मैं आपकी आज्ञा से शुक्राचार्य जी की राय बतलाता हूं कि उनकी कुछ इस प्रकार की धारणा है कि सरकार को टैक्स किस प्रकार से लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उनका मत है कि सरकार कर तभी ले सकती है जब उस ने जनता की शक्ति को बढ़ाने में अपना योग दिया हो, जैसे कि एक बागवान फल-फूल को तभी तोड़ता है जब वह उनका पालन-पोषण करता है। यह सरकार क्या जनता के सामने इस प्रकार कोई उदाहरण पेश कर सकती है कि उसने आखिर जनता को तन्दुरुस्त और स्वस्थ बनाने में कोई सफलता प्राप्त की है? यह सही है कि सरकार का यह दावा है और यहां बजट भी पेश होते हैं और नाना-प्रकार के स्टेटमेंट भी दिये जाते हैं कि डेवलपमेंट हम कर रहे हैं हर एक लाइन पर कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाय तो यह सरकार जनता के लिये जो कार्य करना चाहती है वास्तव में उस तक वह चीज़ पहुंचती नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार जो बिक्री-कर का विषय है वह तभी उचित कहा जा सकता है और लोगों से बिक्री-कर लेना चाहिये जब कि जिस काम के लिये वह लिया जाय जनता से, उसको उसी रूप में लौटाया जाय। सरकार बिक्री-कर डेवलपमेंट के नाम से लेती है, लेकिन अगर जनता के जीवन को देखा जाय तो यह सिद्ध हो जायगा कि जिस निर्माण के नाम पर यह लिया जाता है उसकी उचित रूप में व्यवस्था नहीं की जाती है, बल्कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट होता है या .....

श्री अध्यक्ष—आप विषयान्तर कर रहे ह, यह बजट नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—तो अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हम लोगों के सामने है, माननीय पालीवाल जी ने जो उसमें संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय कि वह इसमें संशोधन करे और जो इसका स्कोप है उस पर यह समिति विचार करे, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामस्वरूप—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथमल्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। यह प्रश्न अभी एक स्पीच के पहले उठाया गया था।

श्री अध्यक्ष—मैं भी देख लूं कि कितने इसके पक्ष में हैं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में ५५,

विपक्ष में १०)।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हर्ष है कि मेरे संशोधन का इतना अधिक समर्थन इस सदन में किया गया है। दो एक बातें जो उस ओर से इसके विरोध में कही गयी हैं, उन्हीं के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा कहूंगा क्योंकि मेरा मत सदैव यह रहा है कि सदन का समय अधिक न लिया जाय। दो बातें कही गयी हैं और दोनों ही बातें भ्रमोत्पादक हैं। पहली बात यह कही गयी कि जो विधेयक पेश है उसके सिद्धांत से मैं सहमत हूं तब प्रवर समिति का किस्सा लेकर इसको कार्यान्वित होने में बाधा क्यों डाल रहा हूं और जिन लोगों पर इस बीच में मुकद्दमे चलेंगे, उनका नुक्सान होगा, इसकी जिम्मेदरी आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? यह दलील इस प्रस्ताव के विरुद्ध दी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन सदस्यों ने अगर ध्यान से इस विधेयक को पढ़ा होता तो मालूम होता कि इसमें साफ-साफ कहा गया है कि जितने इस तरह के मुकद्दमे हैं, एक अप्रैल के बाद जारी किये गये हैं, उनके लिये यह विधेयक लागू होगा, इसमें रिट्रौ पैक्टिव अफेक्ट की व्यवस्था है और सब मुकद्दमे इसकी परिधि में आ जाते हैं। अगर दस-पांच दिन के लिये या एक आध महीने के लिये यह विधेयक बढ़ जाय और सब मुकदमे इसकी परिधि में आ जायं तो किसी की क्या हानि होगी, यह बात समझ में नहीं आयी। निस्संदेह यदि ऐसा होता और एक भी व्यक्ति को इस विधेयक के देर में पास होने से हानि पहुंचती तो मैं सब से पहले उन व्यक्तियों में से होता जो इस बात की कोशिश करते कि किसी प्रकार की हानि किसी को न पहुंचने दी जाय। इसलिये किसी को हानि होने की बात इसमें नहीं है। यह दलील गलत है और बिना सोचे समझे दी गयी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग वकील हैं और जिनके परिवार में वकालत का पेशा रहा है उनकी ओर से इस बात की दलील दी गयी।

दूसरी दलील इसके बारे में यह कि प्रवर समिति में क्यों जाय? जैसा कि मैंने कहा एक भी व्यापारी के साथ अन्याय होता या उसको हानि उठानी पड़ती और इसके स्वीकार होने के कारण यदि नये मुकद्दमों में किसी को हानि उठानी पड़ती तो मैं इसको पेश न करता। इसके विपरीत इस संशोधन के लेने के कारण, इस मूल अधिनियम में खराबियां होने के कारण लाखों, करोड़ों जनता को जो हानि पहुंच रही है, उसका भी ध्यान इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को होना चाहिये और यदि इस सदन के सदस्य जनता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन जनता के कष्टों का ध्यान रखेगा। हम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम जनता के कष्टों का, मुसीबतों का, दुखों का, और हानि का ध्यान रखें और इस सदन में वही बातें लायें जिससे जनता के कष्ट दूर हो सकें।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

इसलिये मूल अधिनियम के दूसरे खंडों में संशोधन जिनकी आवश्यकता जनहित में तथा प्रदेश की प्रगति को दृष्टि से है, वह जल्दी न किये गये तो जनता को बराबर कष्ट होता रहेगा और जिस तरह की सम्भावना है और अगर मैं ठीक समझा होऊं कि जब श्री तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि वित्त मंत्री महोदय एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाने वाले थे उसको कब लायेंगे, तो उनका उस समय सिर हिल रहा था जिससे मालूम पड़ता है कि वह नहीं लायेंगे।

इससे मालूम पड़ता है कि जनता को जो कष्ट कम्प्रीहैंसिव बिल के अभाव में, ३० हजार से न्यूनतम आमदनी पर टैक्स न लगाने के अभाव में, हो रहे हैं वह जारी रहेंगे। इसलिये मेरे संशोधन का सम्बन्ध अकेले व्यापारियों से ही नहीं है बल्कि सारी जनता से है। टैक्स व्यापारियों पर नहीं लगेगा बल्कि उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसमें सदन के सदस्य भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, सरकारी अधिकारी भी हैं और जनता के सब वर्ग इसमें आ जाते हैं। उपभोक्ता ऐसी चीज है जैसे कि हाथी के पैर में सब के पैर समा जाते हैं वैसे ही उपभोक्ता में सब आ जाते हैं। प्रदेश की ६ करोड़ ३६ लाख या जितनी भी आबादी हो, जनता को हमारे कारण हानि पहुंच रही है, वह दूर की जाय। इसलिये मेरा संशोधन माना जाना चाहिये। इसके प्रवर समिति में जाने से किसी को हानि नहीं हो रही है बल्कि जनता को लाभ होगा। जब तक संशोधन मूल अधिनियम के खंडों में नहीं होंगे प्रदेश की समस्त जनता को हानि पहुंचती रहेगी। इसलिये यह प्रवर समिति में जाना चाहिये। यह बात भी यहां कही गयी कि व्यापारियों को टैक्स देने से इन्कार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने पढ़ कर के भी सुनाया था आपकी अनुपस्थिति में--उस समय अधिष्ठाता महोदय इस पद पर विराजमान थे--कि आगरा में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें उनका सबसे पहला प्रस्ताव यह था कि यह जो खाद्यान्नों पर और कपड़े पर, और उसके शब्द यह हैं कि मिट्टी के तेल पर जो टैक्स लगा है वह नहीं लगना चाहिये। उस प्रस्ताव के होते हुये सदन में यह कहना कि व्यापारियों को टैक्स देने में एतराज नहीं है इससे आप और जनता स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं कि ऐसी बातें, जो सत्य के बिलकुल विपरीत हैं, यहां कही जाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन से फिर आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन से सरकार के किसी काम में बाधा नहीं पड़ती और एक भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचती और मेरे संशोधन को स्वीकार करने से प्रदेश की समूची जनता को लाभ होता है और इसके स्वीकार न किये जाने से प्रदेश की समूची जनता का नुकसान होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। उसके दूर करने के लिये मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--एक जरा सी गलती हो गयी। मैं समझता हूं कि १८५ नियम जो है उसमें पालीवाल जी को उत्तर देने का अधिकार नहीं था। मेरी गलती हो गयी कि मैंने उन्हें उत्तर देने के लिये बुला लिया लेकिन किसी ने उसके ऊपर आक्षेप नहीं किया। इस लिये मैं जरूर पालीवाल ज: को बधाई देता हूं कि उनका भाषण ऐसा रहा और संक्षेप में भी जो होना चाहिये, कि किसी को आक्षेप नहीं हुआ। लेकिन आइन्दा यह तरीका नहीं होगा। इस बात की सूचना मैं देना चाहता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब स्पीकर साहब, मैंने इस संशोधन पर जो तकरीरें हुयीं उनको इस नजर से सुना कि वे क्या बातें हैं जिनको बिना पर इस बिल को जो इस वक्त सदन के सामने है प्रवर समिति के पास भेजने की जरूरत है। लेकिन मुझको अफसोस है कि कोई एक बात भी किसी साहब की जबान से उनकी तकरीर में मैंने ऐसी नहीं सुनी जिसकी बिना पर इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय। और उन तकरीरों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस संशोधन का असली मकसद यह नहीं है कि यह बिल खुद जो है उसमें कोई इस किस्म की बातें हैं जिनकी बिना पर इसको सेलेक्ट कमेटी में जाना है; बल्कि इसको सेलेक्ट कमेटी में एक और मकसद हासिल करने के लिये भेजा जाय और वह मकसद यह है कि जो मूल ऐक्ट है उसमें सेलेक्ट कमेटी कोई परिवर्तन तजवीज कर दे।

मैं तो यह मानता हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात, मैं दावे से कहता हूं कि दुनिया में कहीं भी किसी बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये यह वजह नहीं निकाली, जा सकती और किसी बिना पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई फारेन एम्स को हासिल करने के वास्ते सेलेक्ट कमेटी में बिल भेजा जाता है। बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है उसके अन्दर तब्दीलियों के लिये, उसके अन्दर बढ़ाव घटाव के लिये और इसके लिये इसमें एक भी बात नहीं है। इस बिल का जितने साहबान हाउस में बैठे हुये हैं हर एक ने उसको सराहा है किसी ने इतनी भी बात नहीं कही कि इसमें इधर से उधर एक भी लफ्ज की तब्दीली होने की गुंजाइश है। तो मैं क्या सोचता सिवाय इसके कि यह सब जो हुआ वह अब उसको क्या कहूं कि क्या हुआ ; और सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जिन बातों का तजकिरा किया गया है अब वह मानी नहीं जा सकतीं। और मुझे हैरत हुयी जनाब, जब मेरे बुजुर्ग जनाब पालीवाल साहब जो इस बिल के मुन्सिफ और इस संशोधन के पेश करने वाले हैं वह जो चीज इस वक्त कायम कराना चाहते थे आज उसमें तरमीम की गुंजाइश कहां है। कहां गल्ल के मामले में ऐक्ट में तरमीम करने की जरूरत है, उसकी शरह घटाने बढ़ाने के लिये किसी तरमीम की जरूरत नहीं। महज किसी नोटीफिकेशन के जरिये से यह सब हो सकता है। और ऐक्ट में अख्तियारात दिये हुये हैं उसके लिये यह तो वह कह नहीं सकते अब जबकि वह अख्तियारात जो मूल ऐक्ट में हुजूर दे चुके थे वह अब अख्तियारात गवर्नमेंट के पास नहीं होने चाहिये। उसकी तवक्को तो मैं नहीं करता लेकिन ताज्जुब भी नहीं है; क्योंकि मूल ऐक्ट के मुन्सिफ भी जनाब थे, सेल्स टैक्स बना भी दिया, उसको लगा दिया और फिर क्या हुआ, वहां जा बैठे।

"वह जो हममें तुममें करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो।
वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो।"

अब यककलम याद नहीं रहा। दिमागों और दिलों से दूर हो गया और किसी भी तरह से उसकी याद नहीं है। अब कहते हैं खामखा कि उसको भेज दीजिये सेलेक्ट कमेटी को, यह मेरे ख्याल से इस वक्त मुनासिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ इस अधिकार के साथ एक प्रवर समिति को भेजा जाय कि वह मूल अधिनियम के दूसरे खंडों में भी जो प्रस्तावित नहीं हैं, संशोधन कर सकता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ और ३

२—(१) संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर-ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १० की उपधारा (३) के खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जायगा और पहिली अप्रैल, १९५६ ई० को तथा उस दिनांक से रख दिया समझा जायगा :— यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा १० का संशोधन।

"(१) पुनरीक्षण अधिकारी (Revising Authority) अपना इस बात का समाधान करने के निमित्त कि अपील सुनने वाले अधिकारी अथवा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा वैध अथवा उचित है, अपनी इच्छा से या बिक्री-कर कमिश्नर या विक्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, अपने विवेक से, उक्त आज्ञा के कागजात

मंगा सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा दे सकता है, जिसे वह उचित समझे :—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी प्रार्थना–पत्र ऐसी किसी दशा में नहीं लिया जायगा जब कि आज्ञा के विरुद्ध अपील की जा सकती थी परन्तु की नहीं गई ।"

विचाराधीन कार्यवाहियां ।

३—उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ की धारा १० द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा १२ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) में किये गये किसी संशोधन के होते हुये भी उपर्युक्त उपधारा (३) के अधीन विक्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर या अन्य कारण से आरम्भ की गयी समस्त लिखित कार्य–वाहियों की, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, सुनवाई और निर्णय उसी प्रकार किया जायगा मानों इस अधिनियम की धारा २ द्वारा किया गया संशोधन सभी सारवान् दिनांकों (material dates) पर प्रवृत्त (in force) रहा हो ।

श्री अध्यक्ष—इस पर कोई संशोधन छपा नहीं है लेकिन अभी मेरे पास श्री तेजप्रताप सिंह ने और श्री जोरावर वर्मा ने खंड २ में संशोधन दिये हैं । उनको मैं सुनाये देता हूं और किसी को आक्षेप नहीं होगा तो मैं उनको लूंगा और अगर किसी को ऐतराज होगा तो मैं उनको नहीं लूंगा । वह संशोधन इस प्रकार हैं:

१—खंड २ की पंक्ति ४ और ५ के शब्द "अपनी इच्छा से या" निकाल दिये जायं ।

२—खंड २ के उपखंड (१) का "प्रतिबन्ध" निकाल दिया जाय ।

इनके लेने में किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह संशोधन अभी दिया गया है इसलिये इसमें मुझे एतराज है । यह एतराज मैं दोनों के लिये कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं उनको नहीं लूंगा । प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग मानें जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना और खण्ड १

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

आगे विदित होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का संशोधन करना आवश्यक है :—

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम विस्तार तथा धन) अधिनियम, १९५६" कहलायेगा ।

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशो-

प्रारम्भ । (२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रस्ताव अभी माननीय वित्त मन्त्री ने पश किया है उसका विरोध करता हूं और इसलिये उस विरोध को वह समझ सकेंगे कि यहां हालत तो यह है कि उनकी भलाई के लिये जो काम किया जाय उसमें भी उन्हें विरोध दिखलाई देता है। मेरा जो पहला संशोधन था वह सरकार की सहायता के लिये था कि वह जनता का हित करने में उन्हें सहायक हो, लेकिन उसमें भी उन्हें विरोध दिखलाई दिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय की ओर से जो बातें कही गईं वह मेरे दृष्टिकोण के स्तर के हिसाब से बहुत ऊंची नहीं थीं। जब से मैं इस सदन में आया हूं मैंने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि हम सिद्धान्तों और बातों का विचार करते समय व्यक्तिगत बात उसमें न लायें। व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत संकेत न करें। कई बार कई विवादों में मेरे ऊपर बहुत से व्यक्तिगत आक्षेप किये गये लेकिन इसीलिये मैंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मुझे इसका उत्तर देना चाहिये और मैं इसके लिये आप की अनुज्ञा चाहता हूं। मैं यह तो जानता हूं कि इस तरह से स्तर से गिरी हुई बात कहना अनपार्लियामेंट्री नहीं है लेकिन क्या वह स्तर जैसा ऊंचा होना चाहिये उसके अनुकूल है। लेकिन इसके बावजूद मैं केवल एक बात सफाई में कहूंगा और एक बात स्पष्टीकरण में कहूंगा।

अपनी सफ़ाई में केवल इतनी ही बात मुझे कहनी है कि बिक्री-कर विधेयक मैंने अवश्य पेश किया था। उस बिक्री-कर विधेयक का जो मैंने पेश किया था, मैं आज भी समर्थन करता हूं, जनता में समर्थन करता हूं और सारे संसार में समर्थन करता हूं। लेकिन जो बिक्री-कर विधेयक मैंने पेश किया था उसमें फूडग्रेन्स पर टैक्स नहीं था। आप जो संशोधन उसके बाद लाये उसमें फूडग्रेन्स जो उसमें एक्जेम्प्ट थे उन पर भी टैक्स लगाया गया और जनता की जो जीवन की आवश्यक वस्तुयें हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये जो लोग कहते हैं कि मैं बिक्री-कर विधेयक लाया था और इसलिये जो बाद में संशोधन विधेयक आये हैं उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है वह सही बात नहीं कहते। मैं जब बिक्री-कर विधेयक लाया था तो उस समय जनता ने ६ और ७ दिन की हड़ताल नहीं की थी। मैं बिक्री-कर विधेयक अध्यादेश के जरिये से नहीं लाया था और उसमें जनता के जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने की बात नहीं थी। प्रवर समिति में ले जाने की जो बात मैंने कही थी वह इसलिये कि जो बातें मूल अधिनियम में नहीं थीं वह इसमें ला दी गई हैं और इनके कारण जनता आज कराह रही है। इन तमाम बातों को दूर किया जाय और जो गलत संशोधन इसमें कर दिये गये हैं उनको वापस लिया जाय। इसलिये मेरा पहला वाला संशोधन सही था और उसमें मेरे मूल अधिनियम के विपरीत कोई बात नहीं थी।

एक बात माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह कही कि पहले मैं वहां था और फिर यहां आ बैठा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी पहले अपने संबंध में कुछ सफाई कर दूं कि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है और महात्मा गांधी ने हमें यह सिद्धान्त सिखाया था, और वह सिद्धांत यह है कि जब हम किसी के साथ हों और अगर उसकी ओर से कोई ग़लत काम हो तो हमें उससे असहयोग करना चाहिये। हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिये। राष्ट्र के बापू महात्मा गांधी ने हमको यह सिद्धान्त सिखाया था और स्वयं उसका पालन किया। चूंकि महात्मा गांधी सन् १९१८ के पहले स्वयं ब्रिटिश सरकार का साथ देते थे जब सन् १९१४ की दूसरी बड़ी लड़ाई हुई थी तो उस समय उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। रंगरूट भरती कराये थे लेकिन सन् १९१८ के बाद जब उन्होंने अंग्रेजी सरकार का वह कुत्सित रूप देखा जो बाद को देश के सामने आया तो उन्होंने उस सरकार से असहयोग किया और उस सरकार को उन्होंने शैतानों की सरकार कहा। अगर किसी सरकार की गलत बातों से, भ्रष्टाचार से और पक्षपात से असहयोग किया जाय तो क्या यह पाप है? अगर यह पाप है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैंने अकेले ही रूप नहीं बदला है बल्कि माननीय वित्त मंत्री ने भी स्वयं जगह बदली है। वह

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मुसलिम लीग को छोड़ कर कांग्रेस में आये। तो क्या उन्होंने जगह नहीं बदली थी? वह अपने को भूल जाते हैं कि उन्होंने जगह क्यों बदली थी। वह इसलिये बदली थी कि सत्ता उस समय कांग्रेस के हाथ में थी। इसलिये इसको वह भूल जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आप से कहा कि वह बातें मैं कहना चाहता नहीं था। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं यह कहूं कि वे कौन से समाजवादी थे और समाजवाद की किताबों में सरकार में आने से पहले क्या लिखा करते थे जिनको वह यहां आने के बाद भूल गये। यह बातें मैं कहना नहीं चाहता हूं किन्तु यह चीजें इसलिये कहता हूं कि इस तरह की बातें आगे को न कहीं जायं। बातें तो कहने के लिये बहुत हैं जिनको मैं जानता हूं लेकिन अगर मैं यहां उनको जाहिर करूंगा तो यहां सदन में उनको सुनकर तहलका मच जायगा। क्या मैं यह कहूं कि इस सदन के एक सदस्य जो पहले कुछ नहीं थे एक समाचार पत्र में ७५ रुपया महीना पाते थे लेकिन ज्योंही उनके भाई मिनिस्टर हुये १,५०० रु० महीना पाने लगे। मैं इस बात की आशा करता हूं कि इस स्तर की बातें यहां न कही जायंगी। केवल मैं यह चाहता था कि उन बातों का उत्तर मैं उन तथ्यों के साथ ही दूं जो मेरे विषय में कही गयी हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बार मेरे मन में यह बातें आयीं कि जिस स्तर की बातें यहां पर की जाती हैं अगर मैं भी उसी स्तर से उनका उत्तर देने लगूं तो क्या यह मेरे लिये उचित होगा? इसलिये मैं समझता हूं कि आप की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्त्तव्य है और आगे भी पालन करूंगा लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि दूसरी ओर से इस तरह की अनुचित और स्तर से गिरी हुई बातों को आप अवश्य रोकेंगे तो ज्यादा मुफीद होगा और हमारे लिये भी मौका नहीं रहेगा.....

श्री अध्यक्ष—क्योंकि इस विधेयक के खंडों में कोई संशोधन नहीं हुआ है तो आप इस तरह से डिबेट नहीं कर सकते और न इस प्रकार व्यौरे में जा सकते हैं। नियम ११९ में यह दिया हुआ है कि:—

"The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments with regard to the effect of amendments made in the bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his argument."

तीसरे वाचन में अगर कोई संशोधन खंडों में स्वीकार हो जाता है तो उस पर ही डिस्कशन होता है लेकिन इस विधेयक को अपोज करने के लिये मैंने आपको मौक़ा दिया। उन्होंने आप का नाम लिया था तो मैंने आप को मौक़ा दिया कि आप अपोज कर सकते हैं और साथ ही पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं लेकिन विवाद के लिये औरों को मैं अवसर नहीं दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी वैधानिक आज्ञा चाहता हूं और वह प्रश्न यह है कि जब कोई किसी विधेयक का प्रथम वाचन हो रहा हो और यह कहा जाय कि इस पर विचार किया जाय तो, तब उसके सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है। जब तृतीय वाचन होता है और उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं होता है तो उसके सिद्धान्तों पर हम विचार नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह इस विधेयक का तृतीय वाचन है। इस पर कोई संशोधन नहीं हुआ है। इस पर बहस नहीं हो सकती है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। अब कुछ ही मिनट बाक़ी हैं, तो तक़रीर कल कर दी जायगी।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
४ सितम्बर, १९५६।

मिठ्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

*३ सितम्बर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५ पर)

बाढ़ से बचाव की योजना जो राज्य के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के समक्ष निर्णय के लिये प्रस्तुत की गई

क्र० सं	योजना का नाम	अनुमानित धनराशियां, लाखों में	दिनांक जब बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई	विशेष विवरण
१	गाजीपुर जिले में गोशालपुर बांध पर का निर्माण	२.५७	२२-१०-५४	स्वीकृत
२	गाजीपुर जिले में असवार बांध का निर्माण ..	२.०४	तदैव	तदैव
३	आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी पर हाहा नाला बांध का निर्माण ..	५.०६	तदैव	तदैव
४	गंडक नदी पर चितौनी बांध का निर्माण	२७.००	तदैव	तदैव
५	गंगा नदी के किनारे बलिया बैरिया बांध का निर्माण	१६.२८	तदैव	तदैव
६	गोरखपुर जिले में चार नालियों तथा रेगुलेटरों का निर्माण करके बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को जलमुक्त करने के लिये अनुमान ..	०.१५	तदैव	तदैव
७	सा० नि० वि० सड़कों की पुलियों के जलमार्गों को बढ़ाने के लिये अनुमान ..	७.६८	तदैव	तदैव
८	गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, सीतापुर और खीरी जिलों में सा० नि० वि० की सड़कों पर पुलियों के जलमार्गों को बढ़ाने के लिये अनुमान	७.८६	११-१--५५	तदैव
९	देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण करके दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के लिये अनुमान	..	तदैव	अस्वीकृत
१०	गोरखपुर जिले में मधुपुर बांध का निर्माण	०.८६	११-१-५५	स्वीकृत
११	बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में बाढ़ से घिरे गांवों का धरातल ऊंचा करना	६६.००	तदैव	तदैव
१२	गाजीपुर जिले में गोविन्दपुर बांध का निर्माण	२.२४	तदैव	तदैव
१३	बलिया जिले में मुस्तफाबाद, खूंटी पृथ्वीपुर बांध का निर्माण	३.१७	तदैव	तदैव
१४	बहराइच जिले के तहसील नानपारा में विलहा बेहरा बांध का निर्माण ..	६.५२	तदैव	तदैव
१५	जल निकास के छोटे अनुमान ..	६.२२	तदैव	तदैव
१६	मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जिलों गंगा खादर तथा राम राज्य उपनिवेशों को बाढ़ से बचाने की योजना का सर्वेक्षण ..	०.०५	तदैव	तदैव

१	२	३	४	५
१७	रामगंगा जलाशय परियोजना ..	४४.६९	११–१–५५	अस्वीकृत
१८	वाराणसी के घाटों के बचाव के लिये योजना	४४.६९	तदैव	स्वीकृत
१९	बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे बोंदी-बहरौली बांध ..	१६.५०	३–३–५५	तदैव
२०	बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे बाढ़ से घिरे गांवों का बचाव ..	१६.१३	तदैव	तदैव
२१	घाघरा नदी के किनारे-किनारे तुर्तीपुर-श्रीनगर बांध के निर्माण के लिये अनुमान ..	३०.५९	३–३–५५	स्वीकृत
२२	बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ से घिरे गांवों का बचाव ..	१६.२०	तदैव	स्वीकृत
२३	मलौन बांध का निर्माण ..	२.१७	तदैव	स्वीकृत
२४	धान बाड़ा से बंकट तक क्वानों नदी पर बांध का निर्माण ..	२.३३	तदैव	तदैव
२५	क्वानों नदी के किनारे मुखलिसपुर से बलहेसी तक एक बांध का निर्माण ..	४.६२	तदैव	तदैव
२६	क्वानों नदी के किनारे लोहिया भार कलां से चितई तक बांध का निर्माण ..	४.८९	तदैव	तदैव
२७	घोंगी नदी के दाहिने किनारे और कुनरा नदी के बायें किनारे पर बांध का निर्माण	७.६३	तदैव	तदैव
२८	बलिया तथा आजमगढ़ जिलों में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ से घिरे गांवों का बचाव	९.९१	तदैव	तदैव
२९	आजमगढ़ जिले में महोला बांध के निर्माण के लिये अनुमान	३०.०८	तदैव	स्वीकृत
३०	गोरखपुर जिले में गौरा स्पिल को बन्द करने तथा राप्ती नदी एवं गौरा तथा बेतवा नाला के किनारे बांध निर्माण करने की योजना	८२.१३	तदैव	अस्वीकृत
३१	नैनीताल जिले में (बाजपुर के निकट) कोसी नदी पर बांध को बढ़ाने के लिये अनुमान	०.७२	३–३–५५	स्वीकृत
३२	घाघरा नदी के किनारे तुर्तीपुर श्रीनगर बांध के निर्माण के लिये अनुमान ..	३०.५९	२६–४–५५	स्वीकृत भारत सरकार की स्वीकृति के अधीन
३३	आजमगढ़ जिले में महोला गर्बल बांध के निर्माण के लिये अनुमान ..	३०.०८	तदैव	तदैव
३४	गोंडा जिले में घाघरा नदी के बायें किनारे पारसपुर घरौरा बांध का निर्माण ..	२७.००	तदैव	स्वीकृत

१	२	३	४	५
३५	बलिया जिले में घाघरा नदी के दायें किनारे बकुलहा संसर टोला बांध ..	४.०७	२६–४–५५	स्वीकृत
३६	घाघरा नदी के बायें किनारे उसके पानी का बहाव क्वानों नदी में जाने से रोकने के लिये बांध	२१.२३	तदैव	तदैव
३६ (क)	बहराइच जिले में घाघरा नदी के बायें किनारे बेहरा बांदी बांध ..	१६.६०	तदैव	तदैव
३७	गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे मझोलिया बांध	०.५६	२०–४–५५	स्वीकृत
३८	देहरादून जिले में सोंध नदी पर बाढ़ से बचाव के निर्माण कार्य	४.२१	तदैव	तदैव
३९	देहरादून जिले में सुसवा नदी पर बाढ़ से बचाव के निर्माण कार्य ..	२.५२	तदैव	तदैव
४०	सहारनपुर जिले में नागादोन राव पर बाढ़ से बचाव के निर्माण कार्य ..	३.०	तदैव	तदैव
४१	देवरिया जिले में चतौनी बांध (दक्षिण) का चितौनी घाट तक विस्तार ..	३.९०	तदैव	तदैव
४२	देवरिया जिले में गंडक नरायनी भैंसा नदी पर चतौनी बाँध (उत्तर) का विस्तार	४.४०	तदैव	तदैव
४२ (अ)	नैपाल के राज्य क्षेत्र में नरायनी नदी के दायें किनारे एक बांध का निर्माण ..	१९.००	तदैव	तदैव
४३	बरेली जिले में बैगुल नदी के किनारे एक पार्श्व बांध का निर्माण ..	९.८१	तदैव	तदैव
४४	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से घिरे हुए २,५०० गांवों को ऊंचा करना ..	३०१.०	३०–८–५५	स्वीकृत
४५	बाढ़ के समय वाराणसी जिले में गंगा नदी के पृष्ठ जल के कारण बरना नदी में आई हुई बाढ़ से बचाव	८.९०	१०–१२–५५	तदैव
४६	रामपुर जिले में कोसी नदी के बायें किनारे जोलपुर बांध	१.१५	सदैव	सदैव
४७	बलिया जिले में गंगा के बायें किनारे संसर-टोला बांध	१७.४१	सदैव	सदैव
४८	राप्ती नदी पर बाढ़ रोकने वाले जलाशयों के लिये दीर्घकालीन योजनायें तथा बाढ़ रोकने वाले निम्नलिखित जलाशयों की परियोजना के अनुमान बहराइच जिले में रनियापुर, टकई, गब्बापुर और पटखौली। गोंडा जिले में जालीजलवा, नवानगर, भगवानपुर, नवलगढ़, चतौरगढ़ और पकरी। बस्ती जिले में मंगलपुर, गोरखपुर जिले में प्यास और रामगढ़	४६०.२९	१०–१२–५५	तदैव

१	२	३	४	५
४९	आजमगढ़ नगर के चारों ओर टोंस नदी के बांध की मरम्मत ..	३.०६	१०–१२–५५	स्वीकृत
५०	निम्नलिखित निर्माण कार्यों के ऊपरी सिरे की चौड़ाई १० फीट से बढ़ाकर २० फीट करना हाहा नाला बांध, गोशालपुर बांध, असावर बांध, गोविन्दपुर बांध, मुस्तफाबाद, खूंटी, पृथ्वीपुर बांध, क्वानों नदी बांध, चानपारा से बांकेत तक ..	२२.५९	तदैव	तदैव
५१	गोरखपुर के मोतोनी बांध को ऊंचा और चौड़ा करना	..	तदैव	तदैव
५२	पूर्वी जिलों में ४३० अतिरिक्त गांवों को. ऊंचा करना	..	तदैव	तदैव
५३	अनूपशहर नगर के (बाढ़ग्रस्त भाग) का बचाव	५०.१५	१२–३–५६	तदैब
५४	उत्तर प्रदेश की ओर ताजेवाला हेडवर्क्स के नीचे यमुना नदी पर बाढ़ से बचाव के निर्माण कार्य	३१.७५	तदैव	तदैव
५५	यमुना नदी से राजापुर नगर के बचाव के लिये अनुमान	२०.००	१२–३–५६	स्वीकृत
५६	गंगा, घाघरा के द्वाबा में बाढ़ सहायता सम्बन्धी कार्यवाहियां ..	..	तदैव	निधि के अभाव के कारण अस्वीकृत।
५७	गोरखपुर में होबर्ट बांध पर बाढ़ से बचाव के लिये निर्माण कार्य ..	३.४८	तदैव	स्वीकृत
५८	बाढ़ का पानी निकालने के लिये पर्याप्त जलमार्गों की व्यवस्था करने के निमित्त वर्तमान पुलियों का नवीकरण ..	..	तदैव	तदैव
५९	प्रथम चरण में वाराणसी के अधिलेश्वी घाट का पुनर्निर्माण और मरम्मत ..	२.४१	तदैव	तदैव
६०	गोमती और राप्ती नदियों के जल-पोषक क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना ..	३५.००	१२–३–५६	स्वीकृत, पर प्रतिबन्ध यह है कि निधि प्राप्य हो।
६१	राज्य की भूमि तथा जल के साधनों के संरक्षण के लिये यमुना, गोमती, राप्ती और अन्य नदियों के जल-पोषक क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना जैसा कि मद सं० ६० से स्पष्ट है	१२.५०	तदैव	तदैव

चीफ इंजीनियर सिंचन विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाएं जो कि उत्तर प्रदेश बाढ़ निरोध समिति की स्वीकृतार्थ पेश की गयीं तथा स्वीकार हुयीं

क्रम सं०	विवरण	आंकित लागत		बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुई या नहीं
१	उत्तर काशी में मणिकर्णिका घाट पर बाढ़ से बचाव सम्बन्धी कार्य	३०,३००	रु०	हां
२	बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जिले के क्षेत्रों को बाढ़ से बचाव के हेतु करोन नदी के बहाव का सुधार	२२.३४	लाख	हां
३	कादराबाद नाला का पुर्ननिर्माण	२.०४	लाख	हां
४	मथुरा जिला में ईखू नाला का पुर्ननिर्माण ..	२.३७	लाख	हां
५	प्रथम और तृतीय सर्किल में छोटी-छोटी जल निकास योजनायें	८.४	लाख	हां
६	देवरिया जिले में अरहौलीदन पिपराघाट बन्द का निर्माण	५.१४	लाख	हां
७	बलिया जिला में सराय भारती औंदी बन्द का निर्माण	४.४५	लाख	हां
८	नारायणी छितौनी बाढ़ का निरोध बन्द का निर्माण	९.३६	लाख	हां
९	राप्ती नदी पर जलकुन्डी जलाशय का निर्माण ..	१४	करोड़	हां
१०	नैपाल में राप्ती नदी के बेसिन का सर्वे निरीक्षण कार्य	१.६८	लाख	हां
११	एटा जिला में शाहबाजपुर से नर्दीली तक गंगा नदी के दाहिने किनारे पर एक मार्जिनल बन्द का निर्माण	९	लाख	हां
१२	बैगुल नदी पर बाढ़ रोक जलाशय का निर्माण ..	४३	लाख	हां
१३	यमुना नदी के बायें किनारे पर एक मार्जिनल बन्द का निर्माण कार्य जिससे सहारनपुर और मुज़फ़्फ़रनगर जिलों में सेन्दली और खोखरी नदियों के बीच पूर्व की ओर और पश्चिम में यमुना की ओर स्थित ९९ गांवों का बचाव हो सकेगा ..	३७.६५	लाख	हां
१४	बटेश्वर नगर का बाढ़ से बचाव	२०.८	लाख	हां
१५	बनारस में घाटों के पुर्ननिर्माण सम्बन्धी पहली फेज एक्सप्लोरेशन (अन्वेषण) तथा बोरिंग स्ट्राटा के विषय में जानकारी आदि का कार्य ..	४,१६०	रु०	हां
१६	जौनपुर-अकबरपुर सड़क के ५१ वें मील पर टोंस नदी के पुल का विस्तार	१.५२	लाख	हां
१७	जिला पौड़ी गढ़वाल में बद्रीनाथ नगर के बचाव के हेतु सर्वे	३,९००	रु०	हां

क्रम सं०	विवरण	आंकित लागत		बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुई या नहीं
१८	इलाहाबाद में बेनी बन्द का बाढ़ से बचाव ..	रु० ५.५८	करोड़	हां
१९	जिला उन्नाव में गत बाढ़ के कारण गंगा घाट की क्षति की रोकथाम और बचाव का कार्य ..	२४,७००	रु०	हां
२०	जगत बेला और सहजनवां के बीच ३२२/१७ मील में राप्ती नदी पर स्थित पूर्व के पश्चिम किनारे के पास के दो स्पैन्स (Spans) मेहराबों को बन्द करने का प्रस्ताव			नहीं
२१	मायापुर में कंखल शहर की रक्षा के हेतु गंगा नदी के बीच स्पर (Spar) निर्माण का कार्य ..	११.६५	लाख	हां
२२	छितौनी बन्द के पहले से और अधिक (Further) बचाव	९.९५	लाख	हां
२३	उत्तर प्रदेश में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का सर्वे तथा उससे सम्बन्धित पंसालों और डिसचार्जों का नियोजन कार्य	९.७९	लाख	हां
२४	जिला लखनऊ में गोमती नदी के दाहिने किनारे पर मार्जिनल बन्द के निर्माण का प्रस्ताव ..	६.७	लाख	हां
२५	माधवपुर बन्द का पूर्व आंकित ७७ हजार रुपया लागत के अनुमानित व्यय को बढ़ा कर १.१६ लाख रुपया किये जाने का प्रस्ताव			हां
२६	वाराणसी (बनारस) घाट प्रथम फेज (Phase I) के अन्तर्गत दुर्गा घाट के ३८ फीट लम्बे भाग की मरम्मत जो पहले नहीं शामिल हो सका था ..	१.२	लाख	हां
२७	इलाहाबाद में नागबसुखी घाट के पास गंगा नदी से भूमि के कटाव को रोकना ..	४.९२	लाख	हां
२८	यमुना नदी के कटाव से कालपी नगर का बचाव ..	इस सम्बन्ध में यह तय हुआ कि चीफ महोदय एक एस्टीमेट बनावें और उसे टेक्निकल कमेटी के सामने पेश करें।		
२९	अयोध्या में जैन मन्दिर की मरम्मत ..	अनुमानित व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।		हां

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

Sl. no.	Name of the Scheme	Date of taking over possession	Date of disbursement of compensation by the Collector	Remarks
1	Civil Lines Relief and Rehabilitation Scheme.	9.8.51	Award not yet declared.	..
2	North Vijayanagar Dev. Scheme.	11.3.53 21.7.53	Ditto	..
3	Kandhari Road Dev. Scheme.	19.9.51 1. 10.51 19.10.51 3.11.51 8.11.51 29.11.51	22.3.55 & 25.3.55	Award for only waste and arable land passed; award for abadi land and buildings not yet passed.
4	Rakabganj Dev. Scheme	4.7.52	17.1.53	..
5	Nai Ki Mandi Street Scheme.	14.7.55	5.7.55 & 28.7.55	..
6	Phati Dharti (Ashok Nagar) Street Scheme.	6.4.54 18.8.54	25.3.55	..
7	Raja Ki Mandi Street Scheme.	4.7.52	21.1.55, 27.1.55 & 25.3.55.	..
8	West Idgah Dev. Scheme.	4.7.52 22.10.52	8.1.55, 10.1.55 13.1.55 & 24.1.55	..
9	Harijan Colony Dev. Scheme.	25.6.56	Award not yet declared.	..
10	Raja Ki Mandi Ghandhi Road Crossing.	23.3.56	Ditto	..
11	New Raja Ki Mandi Station Neighbourhood Scheme.	30.3.56	Ditto	

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ११८ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६

कतिपय प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में और संशोधन करने का

विधेयक

एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में और संशोधन करना इष्टकर है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विक्री-कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ४ का संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द "चार हजार रुपया" के स्थान पर शब्द "आठ हजार रुपया" रख दिये जायं।

उद्देश्य तथा कारण

१ अप्रैल, १९५६ से कुछ प्रकार के माल पर बिक्री-कर की दरें बढ़ा दी गई थीं और कुछ अन्य प्रकार के माल के सम्बन्ध में दी गई छूटें (exemptions) रद्द कर दी गई थीं। सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन दिये गये हैं कि बिक्री-कर की पुनरीक्षित दरों का व्यापारियों के कुछ वर्गों, विशेष रूप से खाद्यान्न के व्यापारियों के हितों पर कठोर प्रभाव पड़ रहा है तथा इन अभ्यावेदनों में कहा गया है कि बिक्री-कर के स्थान पर कोई निश्चित धनराशि वसूल कर ली जाय। सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है और यह निश्चय किया गया है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ४ के अधीन, जिसके द्वारा राज्य सरकार को एतदर्थ अधिकार दिया गया है, एक क्रमबद्ध माप-मान (graded scale) के आधार पर समुचित छूट-शुल्क (exemption fee) देने पर कुछ प्रकार के माल पर बिक्री-कर देने से छूट दे दी जाय। किन्तु इस धारा में छूट-शुल्क के लिए ४,००० रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस अधिकतम सीमा के कारण अधिक विक्रय धन के समूहों वाले (higher turn-over groups) व्यापारी लाभ की स्थिति में हो गये हैं। तदनुसार यह और निश्चय किया गया है कि छूट-शुल्क की अधिकतम सीमा को ४,००० रुपये से बढ़ा कर ८,००० रुपये कर दिया जाय।

अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१८४ एल०—ए०—१९५६—७९६।